लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1968/8 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 15, Friday, November 29, 1968/Agrahayana 8, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन संबन्धी उल्लेख	Obituary Reference	691—693

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
421. बिहार के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध जांच	Inquiry against Bihar Ministers	693—696
422. सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों में कमरों का किराये पर लगाना	Occupancy of Government run Hotels	696—698
424. मिजोओं तथा नागाओं के साथ मुठभेड़	Clashes with Nagas and Mizos	698—702
425. हज यात्रियों द्वारा विदेशों से लायी गयी डायना बन्दूकें (डायना गन्स)	Diana Guns brought by Hajis from abroad	702—706
426. शिक्षा प्रणाली में मूल परिवर्तन	Fundamental change in Education system	706—708

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
423. पूर्वोत्तर भारत के लिये विकास बोर्ड	Development Board for North Eastern India	708—709
427. एशियाई देशों में पर्यटन विकास के लिये क्षेत्रीय सम्मेलन	Regional Conference to promote Asian Tourism	709
428. इन्द्रप्रर भवन,नई दिल्ली में हुई ओं की गैर-सरकारी जांच	Non-official enquiry into incidents in In draprastha Bhavan, New Delhi	710

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

429. पारादीप बन्दरगाह के भीतरी प्रदेश की यातायात संभावनाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Traffic Potential of Hinterland of Paradeep Port	710
430. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report on Council of Scientific and Industrial Research	710—711
431. भारत पर्यटन विकास निगम	India Tourism Development Corporation	711
432. भारत में विदेशी धर्मप्रचारक	Foreign Missionaries in India	712
433. सरकारी विभागों में अग्रिम योजना	Pilot Scheme in Government Departments	712—713
434. उर्दू पाठ्य पुस्तक समिति	Text Book Committee for Urdu	713
435. मोदी नगर में पुलिस द्वारा लाठी प्रहार	Lathi Charge in Modi Nagar	713—714
436. ब्यावर में राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान में दिये गये सोने के बारे में जांच	Investigation into Gold Donated to National Defence Fund in Beawar	714
437. गोथमी घाट (बिहार) पर पुल	Bridge at Gothmi Ghat (Bihar)	714—715
438. चंडीगढ़ में व्यवसाय, व्यापार तथा वृत्ति पर कर समाप्त करना	Abolition of Tax on profession Trades and Callings in Chandigarh	715
439. प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य पूरा होना	Finalisation of Work of ARC	715
440. लैंड्स एण्ड पीपल्स--खण्ड 4 में प्रकाशित भारत का मानचित्र	Map of India in Lands and Peoples vol. IV	716
441. भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति की सूची	List of Personal property of Ex-Ruler	716
442. तमिलनाड का भारत संघ से पृथक होना	Scession of Tamilnad from the Indian Union	716—717
443. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	Darbhanga Sanskrit University	717
444. हल्दिया पत्तन	Haldia Port	718
445. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये प्रादेशिक भाषा	Regional language for UPSC Exam.	718

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
446. पटना में पड़ी कर्षनावें तथा बजरे	Tugs and Barges lying at Patna	719
447. पुस्तकों की प्रकाशन लागत में वृद्धि	Increase in cost of book production	719
448. उत्तर प्रदेश में पुलिस के अत्याचार	Police Atrocities in UP	720
449. केरल में वियतकांगो की छापामार लड़ाई के चल चित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of Films in Kerala on Vietcongs Guerilla Warfare	720—721
450. राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों पर गोष्ठी	Seminar on Natural Resources of Rajasthan	721
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2580. कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा के विरुद्ध आरोप	Charges against congress President Shri Nigalingappa	721
2581. राज्यों द्वारा लाटरियां	Lotteries by States	722
2582. आजाद हिन्द फौज का स्थापना दिवस	Foundation day of Azad Hind Fauj	722—723
2583. भारत में पुस्तकों का प्रकाशन विक्रय तथा उनका पकड़ा जाना	Publication sale and reading of Books in India	723
2584. दिल्ली उच्च न्यायालय के लिये भवन	Building for Delhi High Court	723—724
2585. कार्मिक संघ संगठन से अभ्यावेदन	Representation from Trade Union Organisation	724
2586. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना	Payment of Overtime Allowance to I.A.C. Employees	724—725
2587. फादर फेरर	Father Ferrer	725
2588. तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के लिये विदेशों में रोजगार	Employment in Foreign Countries for technical hands	725
2589. इंजीनियरी कालेजों तथा संस्थाओं में स्थानों का कम किया जाना	Reduction of seats in Engineering Colleges and Institutions	725—726

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2590.	भारत में प्राथमिक शिक्षा	Primary Education in India	726
2591.	सांस्कृतिक कार्यकलाप पर व्यय	Expenditure on Cultural Activities	726
2592.	मेसर्स अर्बन इम्प्रूवमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली	M/s Urban Improvement Ltd., New Delhi	726—727
2593.	प्लाट मालिकों के संरक्षण के लिये कानून	Legislation to protect plot holders	727
2594.	उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Orissa Government	727
2595.	उड़ीसा सरकार द्वारा जिला गजेटियरों का संकलन और प्रकाशन	Compilation and publication of the District Gazetteers by Orissa Government	728
2596.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	728—729
2597.	पंजाब के पुनर्गठन के कारण कर्मचारियों का वितरण	Reallocation of Staff due to Punjab Reorganisation	729
2598.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	India Tourism Development Corporation	729—730
2599.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	Hindustan Shipyard Ltd.	730—731
2600.	अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	731—733
2601.	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of ARC	733—734
2602.	राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली	National Museum, Delhi	734—735
2603.	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	735
2604.	शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था और अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय	Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration in Ministry of Education	735—736
2605.	राज्यों में शैक्षणिक कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Educational Programmes in States	736
2606.	बिहार में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing in Bihar	736

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2607. मनीपुर सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता	Special Compensatory Allowance to Manipur Government Employees	736—737
2608. भारत के बड़े पत्तनों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन	Report on working of major Indian Ports	737
2609. नेशनल एयरोनाटिकल लैबोरेटरी, बंगलौर	National Aeronautical Laboratory, Bangalore	738
2610. डा० गौतम हत्या कांड	Dr. Gautam's Murder case	738
2611. उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	Grants from Central Road Fund for U. P.	738—739
2612. संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ की सेवाओं में आरक्षण	Reservation in services of Union Territory of Chandigarh	739
2613. चण्डीगढ़ में गुलाबों का उद्यान (रोज गार्डन)	Rose garden, Chandigarh	739—740
2614. चण्डीगढ़ स्थित संग्रहालय	Chandigarh Museum	740
2615. इलाहाबाद में गंगा नदी पर पुल परियोजना	Ganga Bridge Project at Allahabad	741
2616. सरकारी क्षेत्र में होटल	Hotels in the Public Sector	741
2617. कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी	Calcutta Tramways Company	741—742
2618. कैटो हत्याकांड	Kaito Murder case	742
2619. राजपथ व्यवस्था के प्रसार की योजना	Scheme for Expansion of Highway system	742—743
2620. भारतीय दण्ड संहिता का पुनरीक्षण	Revision of Indian Penal Code	743
2621. मरमागाओ पत्तन	Mormugao Port	743—744
2622. दिल्ली पोलोटेक्नीकों के अध्यापकों को कार्य करने की दशा के बारे में जांच	Enquiry into working conditions of Teachers in Delhi Polytechnics	744
2623. शिक्षा शास्त्री की शिक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति	Educationist as Secretary of Ministry of Education	744
2624. दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप	Allegation against Delhi Police Personnel	744—745

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2625.	दिल्ली में पानी की बड़ी नाली का फट जाना	Bursting of water main in Delhi	745
2626.	गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए आयोग	Commission to enquire into Gandhi Murder Case	746
2627.	संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का पुनः चालू किया जाना	Revival of joint Consultative Machinery	746
2628.	सरकारी कर्मचारियों को मूल्यों में वृद्धि के समानुपात में महंगाई भत्ता दिया जाना	Full Neutralisation of Dearness Allowance to Government Employees	746
2629.	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Primary and Secondary School Teachers in Uttar Pradesh	747
2630.	मैसूर राज्य में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय	Hindi Medium University in Mysore State..	747
2631.	दिल्ली में यमुना नदी पर पुल	Bridge over river Jamuna in Delhi	747—748
2632.	बर्दवान विश्वविद्यालय के उपकुलपति	Vice Chancellor of Burdwan University	748
2633.	जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये आसाम जैसा फार्मूला	Assam Pattern Formula for the State of Jammu and Kashmir	748
2634.	चम्पारन (बिहार) में नक्सलबाड़ी जैसी गतिविधियां	Naxalites Activities in Chumparan (Bihar)	748—749
2635.	दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के मामलों सम्बन्धी मोरारका आयोग का प्रतिवेदन	Report of Morarka Commission on DMC and NDMC affairs	749
2636.	दिल्ली तथा नई दिल्ली में धारा 144	Section 144 in Delhi and New Delhi	749—750
2637.	एच० एल० 748 का संचालन परिणाम	Operational Results of HS 748	750
2638.	कलकत्ता राज्य परिवहन निगम	Calcutta State Transport Corporation	750—751
2639.	कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	Second Shipyard at Cochin	751—752

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2640. भाड़े की दरें	Freight Rates	752—753
2641. कांडला पत्तन	Kandla Port	753
2642. इंजीनियरी की संस्थाओं में दाखला	Admission to Engineering Institutions	753
2643. गांधी शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary Celebration	753—754
2644. गृह-कार्य मंत्री के निवास स्थान के सामने उपवास	Fast in Front of Home Minister's Residence	754
2645. खजुराहो से मूर्तियों की चोरी	Theft of Idols from Khajuraho	754
2646. पहलवानों को पेशेवर घोषित करना	Declaration of Wrestlers as Professionals	754—755
2647. भारत-चीन संघर्ष के दौरान गिरफ्तारियां	Arrests during Sino-Indian Conflict	755
2648. पाकिस्तान तथा चीन द्वारा अपहरण किये गये भारतीय राष्ट्रिक	Indian Nationals Kidnapped by Pakistan and China	755—756
2649. राजद्रोह के लिये मुकदमें	Trials for Treason	756
2650. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हिन्दी पुस्तकों का वितरण	Distribution of Hindi Books by Central Hindi Directorate	756
2651. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत हिन्दी की पढ़ाई	Hindi under the correspondence course run by Central Hindi Directorate	756—757
2652. वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Scientific and Technical Terminology Commission	757
2653. पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C. for full Fledged States	758
2654. मनीपुर के नागा क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Entry Restrictions in Naga area of Manipur	758
2655. मुंघेर (बिहार) के विंद दियार गांवों के बारे में विवाद	Dispute Regarding Villages of Vindaya Diyara, Monghyr (Bihar)	758—759

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2656. सरकारी माध्यमिक स्कूल, भरौली कोहाला (हिमाचल प्रदेश) का स्तर बढ़ाना	Upgrading of Government Middle School, Bharoli Kohala (Himachal Pradesh)	759
2657. केरल में मार्क्सवादी साहित्य का प्रचार	Propagation of Marxist Literature in Kerala	759
2658. उत्तर प्रदेश के स्कूल में ईसाई धर्म का प्रचार	Propagation of Christianity in U. P. School	759—760
2659. संघ राज्य क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए साहित्य की कमी	Lack of literature for Hill Areas of Union Territories	760
2660. मिजोओं द्वारा हथियार छोड़ना	Surrender of Mizos	760
2661. शर्मा इन्टर कालेज, बुलन्दशहर	Sharma Inter College, Bulandshahr	761
2662. नेशनल फिटनेस कोर	National Fitness Corps	761
2663. राज्यों में मन्दिरों और मस्जिदों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for repairs of temples and Mosques in States	761—762
2664. एक भारतीय का अपहरण	Abduction of an Indian	762
2665. अंदमान के सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिक संघ से ज्ञापन	Memo from Andaman Government Employees and Workers Federation	762—763
2666. हिन्दुस्तान शिपयार्ड की क्रियान्विति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on the working of Hindustan Shipyard	763—764
2667. नेफा में खेती योग्य अप्रयुक्त भूमि	Unused cultivable land in NEFA	764
2668. राज्य सरकारों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges by State Governments	764
2669. पालिटेक्निकों के प्रशिक्षकों के वेतनमान	Pay Scales of Instructors in Polytechnics	764—765
2670. उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी	Employees of U. P. Government	765
2671. केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यालयों के कर्मचारी	Employees of offices under Central Government or in Union Territories	765

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2672. उत्तर प्रदेश लोकजन जांच अध्यादेश, 1967	U. P. Publicmen Enquiries Ordinance, 1967	766
2673 हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों की गिरफ्तारी	Arrest of Teachers of Himachal Pradesh	766
2674. दीमापुर (नागालैंड) के निकट अमरीकी धर्म प्रचारिका की गिरफ्तारी	Arrest of American Missionary near Dimapur (Nagaland)	766—767
2675. राष्ट्रीय राजपथ संख्या (5)	National Highway No. 5	767
2676. शेख अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान से प्राप्त वित्तीय सहायता	Financial Assistance Received by Sheikh Abdullah's from Pakistan	767—768
2677. शेख अब्दुल्ला की गतिविधियां	Sheikh Abdullah's Activities	768
2678. पश्चिम तट की सड़क	West Coast Road	768
2679. मेक्सिको को भेजी गई खेलों की टीमें	Sports Teams sent to Maxico Olympics	768—769
2680. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Central Government Employees Strike	769
2681. एयर इंडिया द्वारा अमरीका के संघीय उड्डयन अधिनियम का उल्लंघन	Violation of US Federal Aviation Act by Air India	769—770
2682. शिक्षा सम्बन्धी रूस के दौरे	Educational Tours to Soviet Union	770
2683. यात्रा एजेंसियों की गैरकानूनी गतिविधियां	Unlawful activities by Travel Agencies	771
2684. विश्व मामलों की भारतीय परिषद् द्वारा प्राप्त किया गया विदेशी धन	Foreign Funds received by Indian Council of World Affairs	771
2685. गोविन्दवाड़ी (अगरतला) के निकट पाई गयी राइफलें	Rifles found near Gobindbari (Agartala)	772
2686. पत्तनों पर सामान उतारने के लिए अलग स्थान	Separate unloading berths at ports	772—774
2687. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education	774—775
2688. मंगलौर विमान अड्डा	Managalore Airport	775

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2689. आदर्श पाठ्य पुस्तक योजना	Model Text book Scheme	776
2690. कोचीन पत्तन	Chochin Port	776
2691. गजेटियर तैयार करना	Preparations of Gazetteers	777
2692. पारादीप पत्तन के विकास कार्य की जांच करने वाली समिति	Committee to look into the Development of Paradeep port	777—778
2693. प्रधान मंत्री की दक्षिणी अमरीका से वापसी की यात्रा के लिये विमान	Plane for P. M's. return journey from Latin America	778
2694. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिये श्रम आयुक्त	Labour Commissioner for Andaman and Nicobar Islands	778—779
2695. कुकी सरदार के मकान को आग लगाना	Kuki Chiefs House set on fire	779
2696. आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा पर पुल	Bridge on Tungabhadra in Andhra Pradesh..	780
2697. इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के सहायक महाप्रबंधक का कमरा बदलना तथा उसका नवीकरण	Shifting and Renovating of I. A. C. A. G. M's. Office	780
2699. उत्तर प्रदेश की सड़क विकास योजना	Road Development Plan of U. P.	781
2700. उत्तरी बंगाल में बाढ़ से सड़कों को क्षति	Damage caused by floods to Roads in North Bengal	781—782
2701. त्रिपुरा में संगकर्क की गतिविधियां	Activities of Sangkark in Tripura	782—783
2702. कश्मीर पर केन्द्रीय अधिनियमों को लागू करना	Enforcement of Central Acts in Kashmir	783
2703. बिहार सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Bihar Government Non-Gazetted Employees	784
2704. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotian of Class IV Employees	784—785
2705. कच्छ समुद्र तट में पाकिस्तानी नौका	Pakistani Boat in Kutch Sea Coast	685
2706. प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रवेशिका तथा विद्याविनोदिनी परीक्षाएं	Praveshika and Vidyavinodini Examinations of Prayag Mahila Vidyapith	785—786

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2707. विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग	Regional Languages as Media of Instruction at University Stage	786
2708. पटना पब्लिक कालेज की स्थापना	Setting up of Patna Public College	786—787
2709. प्रधान मंत्री की यात्रा के अवसर पर जलपाइगुड़ी में लाठी चार्ज	Lathi Charge in Jalpaiguri on the Occasion of P. M's Visit	787
2710. प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य की पूर्ति	Completion of A.R.C's. Work	788—789
2711. गैर-सरकारी सेवा में अखिल भारतीय संवर्ग के भूतपूर्व अधिकारी	Former Officers of All India Cadre in Private Employment	789
2712. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाटा से बसें खरीदना	Purchase of Buses from Tatas by U.P. Government	789—790
2713. मैसूर राज्य में इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के बुकिंग घर	I. A. C. Booking Offices in Mysore State	790
2714. हाथियागढ़ घटना की न्यायिक जांच	Judicial Inquiry into Hathiagarh Incident.	790—791
2715. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों द्वारा 'नियमानुसार कार्य'	Work to Rule by I.A.C. Pilots	791—792
2716. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	Books Brought out by National Council of Educational Research and Training	792—793
2717. सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीयूट, दुर्गापुर के निदेशक द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के विरुद्ध आरोप	Charges against C. S. I. R. by Director, Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur	793—794
2178. श्री मुहम्मद दीन की मृत्यु का समाचार	Reported Death of Shri Mohammad Din	794
2719. केरल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की संख्या	Number of CRP Personnel in Kerala	794—795

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2720. दो वर्षीय और तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	Two year and Three year Degree Course	795
2721. पश्चिम बंगाल में बाढ़ में मारे गये लोग	Loss of lives due to floods in West Bengal	795—796
2722. काजी नजरुल की रचनायें	Kazi Nazrul's works	796
2723. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद सेवाओं का पुनः बांटा जाना	Re-allocation of services after reorganising of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	796—797
2724. राज्यों में न्यायिक पदों की संख्या	Strength of Judicial Posts in States	797
2725. लचित सेना की गतिविधिया	Activities of Lachit Sena	797—798
2726. मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को ईसाई बनाना	Students studying in Missionary schools coverted to Christianity	798
2727. मिनिकाय द्वीप	Minicoy Island	799
2728. हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	799—800
2729. उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English in U. P. Government Departments	800
2730. भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय विदेश सेवा की परीक्षाओं में प्रत्याशियों की संख्या	Number of Candidates in IAS/IPS/IFS Examinations	800
2731. हिन्दी टाइपराइटरों का नया "की बोर्ड"	New Key Board of Hindi Typewriters	800—801
2732. भारत में पब्लिक स्कूल प्रणाली	System of Public Schools in India	801—802
2733. पब्लिक स्कूल	Public Schools	802—803
2734. सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय आचरण पंजियों में प्रतिकूल टिप्पणी	Unfavourable Comment in Government Servant's Confidential Character Rolls	803
2735. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका	Brochures on Reservation in Services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes	804

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2736.	कर्मचारियों की आचरण पंजियों में प्रविष्टियां	Entries in Employees Character Rolls	805
2737.	गोपनीय आचरण पंजी पद्धति में आमूल परिवर्तन	Overhauling of the system of confidential character Rolls	835—806
2738.	गोपनीय आचरण पंजी का महत्व	Importance attached to confidential character Rolls	806—807
2739.	बिहार में आदिम जातियों पर गोली चलाना	Firing on Tribals in Bihar	808
2740.	बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर माओ समर्थक तत्व	Pro-Mao Elements on Indo-Nepal Border in Bihar	808
2741.	दिल्ली पुलिस दल के ढांचे में परिवर्तन	Changes in Delhi Police Force	808
2742.	सोवियत संघ में संस्कृत पाण्डुलिपियों का पता लगना	Sanskrit Manuscripts Discovered in USSR..	809
2743.	हिमाचल प्रदेश में स्कूल की इमारतों में रहने वाले प्रधानाध्यापक	Headmasters Residing in School Building in Himachal Pradesh	809
2744.	हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV School Employees of Himachal Pradesh	809—810
2745.	विदेशी सरकारों और व्यापारियों की ओर से व्यवसायिक हित के लिए प्रचार	Professional lobbying on behalf of Foreign Government and Business Interests	810
2746.	केरल में भारत विरोधी आन्दोलन	Anti India Campaign in Kerala	810—811
2747.	मनीपुर के लिये योजना निकाय	Planning Body for Manipur	811
2748.	सेण्ट्रल स्कूलों में भाषा नीति में परिवर्तन	Modification of language policy in Central Schools	811
2749.	राजगीर (बिहार) में पर्यटन केन्द्र	Tourist centre at Rajgir (Bihar)	812
2750.	हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against striking Employees	812—813

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2751. पाकिस्तानी सहायता प्राप्त कर रहे मिजो	Mizos Receiving Pak. Aid	813
2752. विदेशों में रोजगार ढूंढने वाले मेधावी वैज्ञानिक	Talented Scientists seeking opportunities Abroad	813—814
2753. दिल्ली नगर निगम को भंग करना	Supersession of DMC	814
2754. बेलगांव में महाराष्ट्र समर्थक प्रदर्शन	Pro-Maharashtra Demonstration in Belgaum	814—815
2755. गैर-हिन्दी भाषा भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to students from Non Hindi States	815—816
2756. विश्वविद्यालयों के सभी विभागों में हिन्दी माध्यम	Hindi Medium in All Departments of Universities	816
2757. बिहार में पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन स्थल	Tourist Resort at Parasnath Hill in Bihar	816—817
2758. उड्डयन क्लब	Flying Club	817
2759. बेलगांव (मैसूर) में उड्डयन क्लब	Flying Club at Belgaum (Mysore)	817
2760. महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report	817—818
2761. राजनैतिक षड्यंत्रकारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Political Conspirators	818
2762. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा विदेशों से आमंत्रित व्यक्ति	Persons invited by Indian Council for Cultural Relations from Abroad	818
2763. सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालय में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in Government and Government Aided Offices	819
2764. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में गोलमाल	Embazzlement in Indian Council for Cultural Relations	819—820
2765. मध्य प्रदेश में एक विदेशी धर्म प्रचारक की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti National Activities of a Foreign Missionary in Madhya Pradesh	820
2766. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष का भाषण	Speech of RSS Chief	820—821

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2767. बस के मार्गों के परमिट	Bus Route Permits	821
2768. भारत में निरक्षरता	Illiteracy in India	821—822
2769. रूस सरकार के साथ करार	Agreement with Soviet Government	822—823
2770. विदेशी शस्त्र और गोला बारूद इत्यादि का बरामद होना	Foreign Arms and Amuunitions Unearthed.	823—824
2771. हिमाचल प्रदेश को सरकारी कर्मचारियों का दिया जाना	Allocation of Government Employees to Himachal Pradesh	824
2772. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के बीच मदों का विभाजन	Division of Items between Punjab, Haryana, Himaehal Pradesh and Chandigarh	824—825
2773. बड़े पत्तनों का विकास	Development of Major Ports	825
2774. इन्दिरा मार्केट, दिल्ली	Indra Market, Delhi	826
2775. समाज कल्याण अधिछात्र-वृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां देने का कार्यक्रम	Social Welfare Fellowships and Scholarships Programme	826—827
2776. भारतीय लेखकों की रूस में प्रकाशित पुस्तकें	Books of Indian Authors Published in Russia	827
2777. मध्यम तथा छोटे पत्तनों का विकास	Development of Intermediate and Minor Ports	827
2778. बांदा जिले में एक नवयुवक का जीवित जलाया जाना	Burning Alive of a Youngman in Banda District	827—828
2779. विशाखापत्तनम वाह्य पत्तन परियोजना	Visakhapatnam outer Harbour Project	828
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
देश के विभिन्न भागों में उग्रपंथी क्रांतिवादियों की हाल की गतिविधियां	Recent activities of extremist revolutionaries in different parts of the country	829—833
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri Deoki Nandan Patodia	829, 830—831
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	829—833
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	833—836
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	836

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
टेलीग्राफ तारें (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक	Telegraph Wires (Unlawful Possession) Amendment Bill	836
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	836
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1968-69	Demands for Supplementary Grants (Punjab), 1968-69	836
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1968-69	Demands for Supplementary Grants (Pondicherry), 1968-69	837
सभा का कार्य	Business of the House	837—838
नेफा में चीनियों द्वारा गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देने के बारे में—	Re Chinese Training Guerillas in NEFA	
तारांकित प्रश्न संख्या 633 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q No. 633	838—839
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	839
पच्चीसवां प्रतिवेदन	Twenty-fifth Report	839
राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक	State Agricultural Credit Corporation Bill..	839—846
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	839
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	839—840
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	840—842
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	842—843
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	843—844
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	844
श्री रंगा	Shri Ranga	844—845
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	845—846
श्री पी० विश्वम्भरम	Shri P. Viswambharan	846
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	847
चालीसवां प्रतिवेदन	Fortieth Report	847
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	847
(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 123 तथा 169 का संशोधन तथा नई धारा 125-क का रखा जाना (श्री अटल बिहारी वाजपेयी का)	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of sections 123 and 169 and insertion of section 125 A) by Shri Atal Bihari Vajpayee	847
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 15, 16, आदि का संशोधन) (श्री भोगेन्द्र झा का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of articles 15, 16, etc.) by Shri Bhogendra Jha	847

(3) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 18 का हटाया जाना) (श्री मधु लिमये का)	The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1968 (Omission of section 18) by Shri Madhu Limaye	848
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968(अनुच्छेद 1 तथा 3 का संशोधन) (श्री मधु लिमये का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment) of articles 1 and 3 by Shri Madhu Limaye	848
(5) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1968 (नई धारा 168-क का रखा जाना) (श्री मधु लिमये का)	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1961 (Insertion of new section 168A) by Shri Madhu Limaye	848
(6) विदेशी धन की आमद का विनियमन विधेयक, 1968 (श्री मधु लिमये का)	The Regulation of the Flow of Foreign Monies Bill, 1968 by Shri Madhu Limaye..	849
(7) पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय (संशोधन), 1968 (धारा 2, 3 तथा 4 का संशोधन)(श्री अ०त्रि० शर्मा का)	The delivery of Books and News paper (Public Libraries) (Amendment) Bill 1968 (Amendment of Sections 2, 3, 4, etc.) by Shri A. T. Sharma	849
(8) व्यय विनियमन तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक, 1968 (श्री हुमायूं कबिर का)	The Regulation of Expenditure and Eradication of Corruption Bill, 1968 by Shri Humayun Kabir	850
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	850—861
(अनुच्छेद 368 का संशोधन) (श्री नाथ पाई का)	(Amendment of article 368) by Shri Nath Pai	850
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee	850
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	851, 852—855
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	856—857
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	858—859
श्री श्रीराज मेघराज जी धरंगधरा	Shri Sriraj Meghrajji Dhrangadhra	959—860
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	860—861
दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour discussion Re. Provision of civic amenities to unauthorised colonies in Delhi	861—864
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	861—862
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	863—864

लोक-सभा
LOK SABHA

अंक 15, शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1968/8 अग्रहायण, 1890 (शक)
No 15, Friday, November 29, 1968/Agrahayana 8, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने तीन मित्रों अर्थात् सर्वश्री बी० के० धवन, पी० रामास्वामी और वी० रामकृष्ण के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री धवन 1962-67 में तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। उनका 67 वर्ष की आयु में 26 नवम्बर, 1968 को लखनऊ में देहान्त हो गया है।

श्री पी० रामास्वामी 1950 से 1962 में अस्थायी संसद, पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। उनका 66 वर्ष की आयु में 28 नवम्बर, 1968 को सिकन्दराबाद में देहान्त हो गया है।

श्री वी० रामकृष्ण 1933-34 में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। उनका 28 नवम्बर, 1968 को मद्रास में देहान्त हो गया है।

हमें इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख है और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजने में मेरे साथ सम्मिलित है।

श्री रंगा : अध्यक्ष महोदय आपने इन तीन मित्रों के बारे में जो कुछ कहा है उसके समर्थन में कुछ कुछ दुख भरे शब्द कहना मेरा कर्तव्य है।

श्री वी० रामकृष्ण मेरे जीवन पर्यन्त साथी थे और उन्होंने आक्सफोर्ड में मेरे विद्यार्थी काल में मुझे सहायता दी तथा मेरा मार्गदर्शन किया। बहुत वर्ष पूर्व 1934 में इस सभा का

सदस्य बनने के बाद उन्होंने भारत तथा भारत के राष्ट्रीय जीवन में बहुत अंशदान दिया। सिविल सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् तथा उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर तथा मद्रास में उद्योगों के निदेशक के पद पर काम करने के पश्चात् वह भारत तथा भारत की अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े रचनात्मक औद्योगिक नेता बने। उन्होंने विजयवाड़ा में आंध्र सीमेंट फैक्ट्री की स्थिति को मजबूत बनाया, उन्होंने मेचाला में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की, उड़ीसा में जयपुर सूगर आफ रायगढ़ तथा मद्रास में तिरूवांटीयूर में जायंट मशीन मैनूफैक्चरिंग वर्कशाप लगाई। चीनी तथा सीमेंट उद्योग दोनों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अंशदान दिया है। उन्होंने सरकार से मिलने वाली सहायता पर निर्भर नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी औद्योगिक तथा रचनात्मक योग्यता तथा लोगों के समर्थन जो कि हमारे विशेषज्ञ हैं, पर निर्भर किया। तिरूवोटयूर वर्कशाप के निर्माण में उन्होंने भारतीय जानकारी का प्रयोग किया और आज भारत को उस पर गर्व है।

औद्योगिक नेता बनने के पश्चात् उन्होंने जिस प्रकार चीनी निर्माताओं तथा गन्ना उगाने वालों के हितों को प्रसिद्ध सूत्र 'सिस्मा' से संतोषपूर्ण बनाया है, जिसके अनुसार चीनी निर्माताओं को सक्रोज तत्व की प्राप्त वृद्धि पर किसानों को पहले दिये गये भुगतान के अतिरिक्त अनुपूरक भुगतान करना पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इससे मजदूरों, किसानों तथा निर्माताओं को लाभ होगा। इस प्रकार उन्होंने देश में विभिन्न ग्रुपों के बीच औद्योगिक शान्ति की ओर पग बढ़ाये।

उन्होंने बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया और सबसे अधिक उन्होंने अपनी लड़की को औद्योगिक संस्थानों का एक बड़ा नेता तथा जयपोर सूगर का प्रबन्धक निदेशक बनने में सहायता तथा प्रशिक्षण दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए वही कुछ किया है जो कि कांग्रेस ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधान मंत्री बना कर किया है।

महोदय-मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शोक संतप्त परिवार को हमारे संवेदना संदेश भेज दें।

श्री पी० रामास्वामी तेलंगाना के एक हरिजन नेता थे। उन्होंने पहले शासन से तेलंगाना की मुक्ति के लिए तथा इस सभा में वाद-विवाद में महत्वपूर्ण अंशदान दिया है। वह पिछड़े वर्गों के नेता थे। मैं उनके सामाजिक कार्यों से बहुत कुछ सम्बन्धित रहा हूं। हमें इन महान सामाजिक कार्यकर्ताओं के निधन पर गहरा दुख है।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): हमें गहरा दुख है और हम इन प्रतिष्ठित भूतपूर्व साथियों के देहान्त पर शोक प्रकट करते हैं। जैसाकि आपने तथा श्री रंगा ने बताया श्री रामकृष्ण न केवल इण्डियन सिविल सेवा के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे बल्कि वह एक सर्वप्रथम उद्योगपति भी थे। उन्होंने नये उद्योग स्थापित करके राष्ट्र की स्थिति सुधारने के लिए तथा विधायक के रूप में पर्याप्त कार्य किया है। श्री पी० रामास्वामी एक महान समाज के सुधारक तथा हरिजन नेता थे और हम जानते हैं कि जब भी इस सभा में समाज सम्बन्धी

कोई मामला आता था तो वह गहरी चिन्ता व्यक्त करते थे। उन्होंने पददलित लोगों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस अंशदान दिया है। श्री धवन, जैसा कि सभा को पता है, एक प्रतिष्ठित वकील थे बल्कि उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा तथा समाज सुधार में पर्याप्त रुचि ली और वह उत्तर प्रदेश में समाज सुधार किये। इन सम्मानित नेताओं के परिवारों को सहानुभूति प्रकट करने में हम आपके साथ हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपने तथा इस सभा के अन्य सदस्यों ने दुख की जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उनमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं। मैं श्री रामास्वामी को इस सभा में एक साथी होने के नाते ही नहीं बल्कि संसद् सदस्यों के क्वार्टरों में सह-किरायेदार होने के नाते भी जानता हूं। वह पिछड़े वर्गों के सुधार में बहुत उत्सुक रहते थे और सारा जीवन उन्होंने इस प्रयोजन हेतु कार्य किया। इस समय उनके देहान्त से देश को वास्तव में बहुत क्षति हुई है और शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के सदस्य दुख व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े हुए
The Members then Stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध जांच

+

*421. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बिहार के 6 भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच सरकार को जांच प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ग) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh: Can the Government give assurance that the enquiry will be completed before the mid-term election and if this is not completed prior to that they will not be given the right of contesting election ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता कि जांच कब तक पूरी होगी । यह जांच आयोग के हाथ में है परन्तु मुझे बताया गया है कि वह मार्च के अन्त तक इसको अन्तिम रूप दे देंगे । जहां तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है मैं किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether any affidevit has been received from the public after these six names and whether there has been any addition to these names ? Can this House know whether there are any other ministers who have fallen in this category ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं कह सकता कि कौन हैं तथा कौन खड़े हैं । मुझे जानकारी मिली है कि कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी अतिरिक्त शपथ-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

Shri Valmiki Choudhary : I want to know from the Hon. Home Minister whether his attention has been drawn to this tendency whereby the coalition Governments of the various parties are levelling wrong and false charge for their own ends. It indicates bad tendency in politics. May I know whether keeping in view this fact Government can order the commission to stop work uptill the appointment of the Lok Pal ? You know that a Bill for the appointment of the Lok Pal is before us. May I know whether the appointment of this commission will not mar the importance of this Bill and Parliament ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अधिकांश प्रश्नों पर मेरा है 'नहीं' क्योंकि हम जांच को बन्द नहीं कर सकते । जांच आयोग नियुक्त किया जा चुका है और मेरे विचार में हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. Speaker, it is quite evident that corruption starts from top to bottom and not from bottom to top. If there is no corruption amongst the Ministers then it will automatically vanish among the general public. I would like to know whether Government have taken any special decision towards the State ministers or have given them some privilege like the ex-rulers that judicial proceedings will not be launched against them and they will simply be removed from the post on being found guilty in the enquiry established to enquire to their affairs ? If not, the number of corrupt ministers sent to the jail so far ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सरकार की तथा किसी अन्य व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध मुकदमा चलाने की इच्छा नहीं है । इसको केवल कल्पना नहीं कहा जा सकता । सरकार को जांच आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत कार्य करना होता है । माननीय सदस्य ने एक सामान्य प्रश्न उठाया है । अत: मैं इस बारे में कोई सूचना नहीं दे सकता ।

Shri Sita Ram Kesari: I would like to know from the Hon. Home Minister through you whether he will dissolve the enquiry commission as Calcutta high court has passed some strictures against Shri Maha Maya Prasad, Chief Minister of the United Front Government who have constituted the Enquiry Commission accepting his orders as a disputed one.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस मामले में मेरे पास सरकारी तौर पर कोई जानकारी नहीं है, जब तक मेरे पास पूरे तथ्य न आ जायें मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि आयर आयोग द्वारा कितने मंत्रियों के विरुद्ध जाँच की जा रही है और उनमें से कितने कांग्रेस दल के तथा कितने अन्य दलों के हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि गृह-कार्य मंत्री अपने पद की हैसियत से तथा कांग्रेस दल के चीफों में से होने के नाते न्यायालय से 'स्टे आर्डर' लेने वाले व्यक्तियों को जांच का वीरता से सामना करने के स्थान पर उनको जांच से अनुपस्थित रहने का परामर्श दिया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य को पहले ही जानकारी है कि जांच छः मंत्रियों के विरुद्ध हो रही है । वे सभी भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्री हैं । इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है और मेरे लिए इस सभा में दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर भी तथ्य यह है कि कुछ लोग उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में गये थे परन्तु न्यायालय में जाने का उनका अधिकार है । न्यायालय में जाने में क्या गलती है ? यह एक भिन्न बात है कि उनकी याचिका रद्द हो जाये अथवा स्वीकार हो जाये ।

श्री रंगा : जब उनके मामले विशेष आयोग को भेजे गये हैं तो उनके लिए एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से नहीं बल्कि एक भूतपूर्व मंत्रियों के नाते न्यायालय में जाना अनुचित नहीं ? क्या यह तथ्य कि वे विशेष आयोग के बजाय न्यायालय का संरक्षण लेना चाहते हैं उनकी साख को धक्का नहीं पहुंचाता । क्या इससे लोगों के हृदय में यह प्रभाव नहीं बैठता कि वे निर्दोष हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : औचित्य के बारे में माननीय सदस्य के अपने कुछ भी विचार हो सकते हैं । परन्तु कुछ मूल अधिकार हैं जिनके लिए वे लड़ना पसंद करेंगे । इसका विरोध करना तथा न्यायालय में जाना उनका मूल अधिकार है ।

श्री रंगा : औचित्य के प्रश्न पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उनको कुछ परामर्श दिया था ।

Shri Bibhuti Mishra : Fifty lakhs of rupees as it appears from the report have already been spent on this Ayyer Commission. It is difficult to say how much more will be spent. Another Commission viz Madholkar Commission has been constituted. I would like to know whether the Hon. Home Minister is prepared to entrust the work of both these Commissions to one commission keeping in view the financial position of the Bihar State? I would also like to know whether the Hon. Home Minister is considering to prevent Shri Maha Maya Prasad from contesting the next election, as one of my friends has stated that some strictures have been passed against Shri Maha Maya Prasad.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : न तो ऐसा कोई इरादा है और न ही किसी एक आयोग को पृथक-पृथक नियुक्त किये गये आयोगों का काम देखने को कहना उचित है । गृह-कार्य मंत्री अथवा कोई अन्य व्यक्ति किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं विहार से आया हूं । अतः मुझे भी अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार के सदस्यों का एकाधिकार नहीं है, इसमें समूचे भारत के सदस्य बोल सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बिहारी हूं क्योंकि मेरा नाम अटल बिहारी है । अतः आप मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सभी बिहारियों को अवसर नहीं दिया जा सकता ।

Shri Ramavtar Shastri : An effort to steal the documents connected with the trial of the Congress Ministers of Bihar was also made once before. Therefore, these documents have been kept under protection. Recently it has been reported in the press that a man was arrested in an attempt to steal those documents. I want to know the name of that man and want to know whether Government has taken any action against that person. Whether it is also a fact that that man has been released on bail ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Mrityunjay Prasad : The Government has spent a lot on the appointment of able advocates in the Ayyer Commission. Whether the advocates of the same standard will be appointed for the people to be tried before the Madholker and Ayyer Commission after the restoration of the clause (4) of original ordinance or advocates of such types will be appointed in the name of economy who may not be able to perform their duties ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है । हम इस विषय पर उपयुक्त समय पर अवश्य विचार करेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : There had been a complaint that since the imposition of President's Rule in Bihar the Ayyer commission is not getting the co-operation which it ought to get. Whether the same question was also raised at the time when he visited Patna to participate in the meeting of the consultative committee of the Members of Parliament. Whether he has given any instructions to give full co-operation to the Ayyer Commission so that there may not be any delay in the enquiry.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कुछ व्यक्तियों ने इसके बारे में मेरे से कहा था और मैंने इस विषय में जांच की है । ऐसी आलोचना निर्मूल है । किसी भी अवसर पर बिहार सरकार द्वारा सहयोग देने से इन्कार नहीं किया गया । विलम्ब का कारण वास्तव में यह है कि कुछ दल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गये थे सम्बद्ध व्यक्तियों से कुछ वक्तव्य और शपथपत्रों की आशा थी । अतः बिहार सरकार द्वारा जांच आयोग को सहयोग न देने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयां होने के कारण जांच आयोग ने स्वयं जांच कार्य में विलम्ब की है ।

Occupancy of Government-run Hotels

*422. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rooms in Government-run Ashoka Hotel and other

Hotels remain vacant for a considerably long period ;

(a) if so, the reasons therefor ; and

(c) the loss suffered as a result thereof between July and September, 1968 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The percentage of beds occupied in Ashoka, Janpath, Ranjit and Lodhi Hotels during July-September, 1968 were 32.7, 74, 31.67 and 38 respectively.

(b) The period from July to September is generally a lean period in Delhi from the tourist point of view.

(c) Financial results are assessed annually. It is, therefore, not possible to determine the profit or loss for the quarter ending September, 1968.

Shri Ram Singh Ayarwal : Whether it is a fact that the Tourist Development Corporation has not given it a Status of a model hotel because there is no provision of good meal, there is no lift, there is no room service and there are no such facilities which are there in a model hotel, whether it is also a fact that the tourists have not been attracted due to lack of cleanliness in the hotel ?

Dr. Karan Singh : No, Sir, the meals of the hotel is very tasty. It is also not a fact that there is no room service or cleanliness in the hotel. It is admitted that there is a scope of lot of improvement in that hotel and we will try to make improvement in it.

Shri Ram Singh Ayarwal : Whether it is not a fact that the tourists have not been attracted because the rents charged in this hotel is higher than the rent fixed for this type of hotel and in case less rent is charged it will attract more tourists ?

Dr. Karan Singh : No, Sir. The rent of this hotel is not higher than the rent ought to be fixed for a hotel of this standard. It is not more than the rent of the hotels of five stars.

Shri Kanwar Lal Gupta : Oberai Hotel comes in category one. But Ashoka Hotel has not been placed in the same category, I want to know the reasons for that.

Secondly, I want to know whether the former director of the Ashoka Hotel is at present member of the Board and whether thousand of rupees have been spent on his entertainment ? you may not be willing to tell his name. But if it is a fact what action has been done to stop it ?

Dr. Karan Singh : It is not a fact that Ashoka and Oberai Hotels have not been kept in the same category. Both of them are under the same category. Both of them come under the five star gradation. Both of them are of the same level. Ashoka Hotel is not of a lower level. The other question is regarding entertainment.....

Shri Kanwar Lal Gupta : I mean Himmatsinka.

Dr. Karan Singh : At present he is not the chairman. He was formerly the chairman of the Ashoka Hotel. Now he is director of the Hotel. I have no information at present about his entertainment. But I will certainly look into if the Hon. Member will give some information in this regard.

श्री बेदब्रत बरूआ : जिन होटलों को सामान्य स्तर का घोषित किया जाता है उन्हें हानि नहीं होती । कोई भी होटल का मालिक अपने होटल को हानि या मामूली लाभ में नहीं चलायेगा। इन सरकारी होटलों में लाभ न होने के क्या कारण हैं । चूंकि होटल को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है तो क्या हानि के लिये किन्ही व्यक्तियों पर जिम्मेदारी नियत करने की कोई व्यवस्था है ?

डा० कर्ण सिंह : मैं पहले यह बताना चाहूंगा कि अशोक होटल को 1966-67 में 27.4 लाख रुपये का लाभ हुआ और 1967-68 में 35.75 लाख रुपये का लाभ हुआ । अतः जहां तक अशोक होटल का प्रश्न है वहां हानि का प्रश्न ही नहीं उठता । एक और निगम है जिसमें जनपथ, रणजीत और लोधी होटल शामिल हैं, जनपथ होटल लाभ में चल रहा है । अन्य होटलों को शुरू किये अभी केवल दो या तीन वर्ष हुए हैं । अब उन्हें अपने ग्राहकों में वृद्धि करने में कुछ समय लगेगा । अतः मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इस बारे में लाभ पर ध्यान दिया गया है ।

Shri Hardayal Devgun : It is regretful for the Government that the Hotel started in the private sectors even after starting the Ashoka, Ranjit and Lodhi Hotels which are the Public sector, are earning more profits.

Whether it is due to the fact that the pay scales of the staff working in the Oberai Hotel is better and better facilities are provided there to the people staying there whereas the facilities given to the people staying in these Government hotels which include Ashoka Hotel and other Hotels also do not provide the same facilities. The staff of these hotels have not been provided the same facilities which ought to be provided in these Hotels. Therefore the services of these hotels are not prompt and the people are not attracted towards them ?

Dr. Karan Singh : The Hon. Member was correct when he said that the hotels in the public sectors should work so efficiently as those of hotels working in private sectors.

It is regretful that the hotels in public sectors may come under gradation two. But I assure the Hon. Member that the standard of the Ashoka Hotel will be so much raised that it may not only be considered as one of the best hotels of Delhi alone but may be regarded as one of the best hotels throughout India. We are trying to remove all disparity in the pay scales. The standard of the present management will be raised within one or one and a half years. We wish that it may work even on better lines in comparision to those of hotels working in private sectors.

Clashes with Nagas and Mizos

*424. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons of security police, border police and Army arrested, killed or injured in the Naga, Mizo and Assam areas during the last three years and the details thereof :

(b) whether it is also a fact that some of them were taken to Pakistan or China ; and

(c) if so, the action taken for the release and repatriation of these personnel and the number of those released so far ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस अवस्था में सदन में इस सूचना का देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(ख) और (ग). सुरक्षा पुलिस, सीमा पुलिस तथा सेना के किसी व्यक्ति को चीन ले जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है । 1966 के आरम्भ में मिजो विद्रोह के समय कुछ पुलिस कर्मचारी लापता थे । बाद में कुछ वापिस आये और उन्होंने बतलाया कि वे पाकिस्तान ले जाये गये थे । जब कभी कोई निश्चित सूचना होती है, प्रत्यावर्तन के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न के भाग (ग) का, जो इस प्रकार है, कोई उत्तर नहीं दिया गया है :—

"यदि हां, तो उन व्यक्तियों को रिहा कराने तथा उनके प्रत्यावर्तन के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है"

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है "यदि हां, तो उन व्यक्तियों को रिहा कराने तथा उनके प्रत्यावर्तन के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है ।"

लेकिन प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार था :—

"क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों को चीन अथवा पाकिस्तान ले जाया गया है ।"

जहां तक चीन का सम्बन्ध है मेरी जानकारी यह है कि किसी भी व्यक्ति को चीन नहीं ले जाया गया है । कुछ व्यक्तियों को पाकिस्तान ले जाया गया था लेकिन उनमें से अधिकांश वापिस आ गये हैं । जब तक निश्चित जानकारी नहीं होगी तब तक मैं नहीं दे सकता ।

Shri Kanwar Lal Gupta : First of all I want to know from the Hon. Home Minister the number of those persons who were taken to Pakistan and the number out of them who have since been returned and the number of persons who have yet to be returned according to the information received by him and the steps taken in regard thereto. Whether it is a fact that three of our officers were tied with tree and were shot down by the rebel Nagas a few days back ? Whether it is also a fact that the houses and bungalows of the rebel Nagas have been built in the city itself and they organise the schemes openly but the Government do not arrest them. I have read a report printed in the 'U. K. Observer' on 23rd June. The report says :—

"On the same day, Indian troops surrounded the bungalow of the Naga Federal Government's Regional Commissioner some miles south of Kohima."

When it is an open fact that their bungalows have been situated near Kohima and that they have murdered our officers, the reasons for not taking action against them ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह तथ्य है कि नागालैंड में विद्रोही नागाओं द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस प्रकार के सब मामलों में कार्यवाही करते हैं। यह सच है कि अभी भी कुछ पुलिस कर्मचारी गायब हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास अभी भी जारी हैं

Shri Kanwar Lal Gupta : My question has not been answered. I had asked about the discussion going on with Pakistan. Nothing has been told in this regard.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन सब मामलों में अधिकारियों के बीच समान्यता स्थानीय स्तर पर चर्चा की जाती है। कभी-कभी वे सहमत हो जाते हैं और कभी-कभी वे मामले की जानकारी देने से इन्कार कर देते हैं। फिर भी यह केवल उनकी चर्चा का विषय नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Taking into consideration the situation of Nagaland, our Security Force in Nagaland is not sufficient. Nagaland Government should be strong in order to solve the Naga Problem. But it is not so. What action do the Central Government take when the Nagaland Government demand for police ? "U. K. Observer" of 23rd June says :—

"It appears the Indians launched 3000 troops on 6th June against a Naga post recently set up in thick Jungle and among mountains within eight miles of the headquarters of Major General N. C. Rawlley.....

The Naga reports say that the Indian scaling parties were wiped out. Several hundred Indians dead are still lying in the Jungle surrounding the Naga Camp"

What action Government has taken to strengthen the Security or Border Force and minimise such type of instances in which our army personnel have been killed, and to provide compensation to the families of the deceased ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य का यह विश्वास करना कि नागालैंड में सशस्त्र सेनाएं अपर्याप्त हैं, ठीक नहीं है। दूसरे, मैं माननीय सदस्य के इस विचार से कि नागालैंड सरकार को इस मामले में मजबूत बनाना चाहिये, पूर्णतया सहमत हूं। नागालैंड सरकार ने जो भी पुलिस की सहायता मांगी उसे स्वीकार किया गया और नागालैंड सरकार को आवश्यक पुलिस बल भेजा गया।

माननीय सदस्य ने कुछ समाचारों में पढ़ी घटनाओं का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इन समाचारों से गुमराह न हों। लड़ाई में कुछ क्षति अवश्य होती है। इस प्रकार की कार्यवाही में ऐसी कल्पना की जाती है। मेरे विचार से आवश्यक कार्यवाही की गई है।

श्री कंवर लाल गुप्त : परिवारों को प्रतिकर देने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार की लड़ाइयों में जो व्यक्ति अपनी जान गवा देते हैं, उनके परिवारों को वही रियायत दी जाती है, जोकि सामान्यतया सैनिक अफसरों को मिलती है और मेरे विचार से, यदि मुझे ठीक प्रकार से याद है, मैंने यही सूचना पहिले दी थी।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि (क) पूर्वी पाकिस्तान और आसाम सीमा पर पाकिस्तानियों ने शिविर स्थापित कर लिये हैं जिनमें विद्रोही नागा जाते हैं और उनको छापामार युद्ध में प्रशिक्षण दिया जाता है और ये लोग वहां से वापिस आकर सरकार के विरुद्ध लड़ाई करते हैं और यदि हां, तो सरकार ने विद्रोही मिजो और पाकिस्तानियों के बैच जिन्होंने अपनी कमानों के अधीन शिविर स्थापित किये हैं, इस सम्पर्क को समाप्त करने के लिये क्या कार्य-वाही की है; और (ख) क्या सरकार तथाकथित स्वतंत्र मिजोलैंड के तथाकथित राष्ट्रपति श्री लालडिगा का अता पता अब तक मालूम करने में सफल हो सकी है ? क्या वह इस समय ढाका अथवा लंदन अथवा पेकिंग में है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, यह एक विदित तथ्य है, जो इस सभा को बता दिया गया है कि पाकिस्तान के, सीमा के अपनी ओर, कुछ प्रशिक्षण शिविर हैं जहां कुछ विद्रोही मिजो जाते हैं और यह सारा विवाद इस प्रकार शुरू हुआ है । यह कोई नई बात नहीं है । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मैं सभा में अनेक बार यह उत्तर दे चुका हूं कि इस सीमा पर यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं कि इन गतिविधियों पर रोक लगायी जायं और इन घटनाओं को प्रभावशाली ढंग से रोका जाय । जो लोग इसकी ओर जाना चाहते हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सुरक्षा सेनाएं इन गतिविधियों को रोकने में कुछ सीमा तक सफल हो गई हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य हमारे मूल्यांकन को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं । सम्भवतया वे स्वीकार नहीं करेंगे परन्तु मेरा इस मामले में यही अनुमान है कि वे कुछ सीमा तक सफल हो गये हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने इसका पूर्णतया सफाया कर दिया है ।

श्री हेम बरुआ : वे बहुत सीमा तक सफल हो गये हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : धन्यवाद । उनके प्रश्न के भाग (ख) के बारे में मैं बता दूं कि लालडिगा पाकिस्तान में है । यह मेरी जानकारी है ।

श्री हेम बरुआ : यदि लालडिगा पाकिस्तान में है तो उन्हें भारत वापस लाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : क्या वह हमसे यह आशा करते हैं कि हम इस प्रश्न पर राजनयिक कार्यवाही करें ।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री ने कहा कि यह बताना लोक हित में नहीं होगा कि सुरक्षा सेना के कितने सैनिक हताहत हुए हैं । मैं इस जानकारी के लिये उन पर दबाव नहीं डालूंगा । परन्तु समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि नागालैंड के जनरल माओ अंगामी ने जो चीन गये थे और अब वापिस नागालैंड आ रहे हैं, नागालैंड में अपने साथियों को यह संदेश भेजा है कि वे उनके नागालैंड वापस आने तक शांत रहें और छुप जायं । मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनका जासूसी विभाग इस समाचार की सत्यता की पुष्टि करता है ।

जनरल माओ अंगामी की इस प्रार्थना का क्या महत्व है और क्या निकट भविष्य में नागालैंड में कोई भयंकर संघर्ष छिड़ने की सम्भावना है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य को अपने जासूसी विभाग के प्रतिवेदन की ओर अपने अनुमान की जानकारी नहीं दे सकता। परन्तु मैं उन्हें बता दूं कि हम इस बारे में काफी जागरूक हैं और हमने सभा में यह सूचना दी है कि एक बड़ा समूह प्रशिक्षण के लिये चीन गया था और वह वहां से हथियार ला रहा है। इनमें से कुछ विद्रोही मिजो सीमा के दूसरी ओर हैं और वे भारत में घुसने के लिये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हमारी सुरक्षा सेनायें इस मामले के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और वे इस बात के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं कि इस मामले में अन्य दल के प्रयत्न बेकार साबित हों।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि यह मामला केवल युद्ध के द्वारा हल नहीं हो सकता और चाहे कितनी भी सुरक्षा सेनायें तैनात कर दी जायं, इस समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा। क्या वहां की स्थानीय जनता को विश्वास में लेने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है और स्थानीय जनता का इस बारे में कहां तक सहयोग प्राप्त किया गया है कि इन विद्रोही नागाओं और मिजो का पता लगाया जाय और उन्हें उनकी गैरकानूनी गतिविधियों के लिये दंड दिया जाय।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि वह केवल मिजोलैंड का ही उल्लेख कर रहे हैं। तो यह सामान्यतया बिल्कुल ठीक है कि सैनिक कार्यवाई से किसी भी बात को अन्तिम रूप से हल नहीं किया जा सकता। हमने इस समस्या के राजनैतिक हल के लिये निरन्तर प्रयत्न किये हैं और हमने उन स्थानीय नेताओं का समर्थन किया है जो इस मामले में सरकार को सहयोग देना चाहते हैं परन्तु हथियार उठाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं है।

श्री वि० ना० शास्त्री : क्या सरकार नागा लोगों की संघीय सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देती है। यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी और गैर-सरकारी कागजातों में "फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागा पीपल" के नाम क्या उल्लेख न करने की हिदायतें जारी करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार की किसी सरकार को मान्यता देने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु किसी संगठन का संकेत करने के हेतु किये गये निर्देशों में हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ मान्यता नहीं है।

Diana Guns Brought by Hajis from Abroad

\+
*425. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri J. B. Singh:**
Shri Narain Swarup Sharma: **Shri Jagannath Rao Joshi:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published

in the 'Organiser' dated the 7th September, 1968 that Hajis bring with them thousands of Diana guns into India from abroad every year ; and

(b) if so, the action taken by Government to check the probable danger arising out of it?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) This type of gun, under the Arms Act and Rules, falls in the category of air rifles and so the import, possession, etc., of such guns in this country are subject to the provisions of the said Act and rules. The Arms Act and rules do not provide for any restrictions on the possession, sale, etc. of exempted categories of air rifles. The exempted categories of air-guns have low fire-power and are incapable of killing a human being and are used for small game shooting and target practice only ; and such air guns as do not satisfy the prescribed tests will be subject to all the licencing requirements under the Act and rules.

Diana guns on being brought into this country are duly inspected by the local police authorities and covered by a no objection certificate before being handed back to the owner. In view of this, there is no apprehension of any danger.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is evident from the statement that people going abroad can bring Indian Diana guns and there is no restriction on the bringing of this gun under the existing law. It has also been given in the statement that this gun is not a dangerous one. Is it a fact that if Diana gun is fired from a position just close to the temple, its shot can be fatal ? Does the Hon. Minister know that the Diana gun has been used in a murder at Lucknow and the man, who was fired by this gun, had died?

Shri Vidya Charan Shukla : Perhaps, the Hon. Member is referring to the murder of Dr. Hari Gautam. I had enquired from C. B. I. about the gun used in this murder. The C. I. D. of Uttar Pradesh and the C. B. I. have reported that the gun used in this murder was of 20 gauge. The Diana gun has not been used in his murder.

As far as this question is concerned whether a man can die by this type of air rifle or not, there is a test prescribed in Arms Rules in this regard. A rifle which passes this prescribed test can cause death of a human being, others cannot. I would like to read the test, if you permit me. It is as follows :

"Projectiles discharged from such guns or pistols do not perforate a target 12" square formed by deal-wood boards of even grain, free from knots, planed on both sides and of thickness .1/2" or 1" for air pistols and air guns/rifles respectively."

When any Indian brings the gun, the police officers make enquiries whether this test has been applied on that or not. The gun is given to the person after these enquiries whenever it is found that the gun is more powerful than the prescribed test, the persons concerned will have to take licence. They cannot get it without licence.

Shri Atal Behari Vajpayee : It is not clear from the reply given by the Hon. Minister whether the examination of guns brought here is made on airport or port. The statement shows that the examination is done by the local police.

Shri Vidya Charan Shukla: The police is posted at every port or air-port who conducts the enquiry. Along with customs officials, police is also there. The Custom Officers give these guns to police officers for examination. The police officers examine these guns and give a certificate in writing that this gun does not require any licence.

Shri Prakash Vir Shastri: How a gun is related with Haj ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is not clear from the reply of the Hon. Minister how many Diana guns have been brought into India, how many were found objectionable and how many were issued certificates. Is Government thinking to ban the bringing of guns into India in future ? This gun may prove fatal and such cases have occurred in the past.

Shri Vidya Charan Shukla: I have already stated that such type of guns are brought without licences but they are not harmful. I want to give a statement for the last three years regarding the bringing of such type of guns in the country. During the year 1966, 15,300 Haj pilgrims went abroad and out of them 498 people brought such type of guns with them. In the year 1967, 15,200 Haj pilgrims went abroad and out of them 212 people brougbt such type of guns with them and during the year 1968, 15,000 Haj pilgrims went abroad and out of them 1,341 people brought such type of guns.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Taking into consideration that such type of guns may be proved harmful whether Government have any proposal to impose ban on bringing such type of guns in the country ?

Shri Vidya Charan Shukla: I have already stated that such type of guns cannot be proved harmful so there is no question of imposing ban on bringing such type of guns.

Shri Jagannath Rao Joshi: The Hon. Minister has accepted that out of those Haj pilgrims who went abroad 500, 200 and 1,000 pilgrims brought this type of guns.

It can be understood that every Haj pilgrim may bring one or two guns of this type or a gun of this type may be brought in one family but it cannot be understood that a Haj pilgrim may bring 1,000 guns with him. Whenever the guns are brought there is a news that they mysteriously disappear and go somewhere. Whether the Minister will try to investigate in this regard and inform us in this matter ?

Shri Vidya Charan Shukla: No licences are required for these type of guns. Therefore it could not be known whether the gun is with a particular man or that man has given it to some body. I have made it clear that since it is not harmful no licence is necessary for it.

Shri Atal Bihari Vajpayee: This is not correct.

Shri Vidya Charan Shukla: We did not possess any information regarding the transfer of the gun afterwards.

Shrimati Sushila Rohatgi: It is clear from the Hon. Minister's reply that the persons returning from there bring guns with them and thus their number is increasing every year. People go for Haj for peace and religious purposes. I want to know the relation between religious feelings and bringing the guns in the country.

Shri Vidya Charan Shukla: It is not necessary that only people who go for Haj

bring the guns. There are other people also who bring the guns. It is not proper to connect this matter with Haj pilgrimage.

Shri Yashwant Singh Kushwah : As these guns are sufficient to injure the people or creating tension, and taking into consideration this dangerous situation whether Government have any proposal to impose ban on bringing these guns.

Shri Vidya Charan Shukla : Even a stone is sufficient for doing injury but it does not mean that we may impose restrictions on stones. These type of guns have been minutely examined and it has been decided that they are not dangerous for the life of a person. Therefore there is no necessity to impose ban on bringing these type of guns.

Shri Kamalnayan Bajaj : We are glad to know that these guns are not dangerous for the life of a person. So no body will trust on these guns while using it for murder. But a man can be died in case of putting a bullet at some critical point. Whether Government have taken this aspect into consideration ? If these guns are brought for some particular sports then the people going any where will bring these guns. But if these guns are brought from some particular places then whether this matter should or should not be considered ?

Shri Vidya Charan Shukla : As I have already stated that it is not difficult to take the life of a person. It can be taken from other ways also. A prescribed test has been conducted to this effect whether the life of a person can be taken from these type of guns and according to it the life of a person cannot be taken by this type of guns. I cannot say that a bullet aimed at eye will or will not reach up to the brain. But according to the prescribed test conducted by us it is true that this type of gun is not sufficient to take the life of a person. If some persons bring guns from there it does not mean that they bring to misuse them. To suspect like this is not correct.

श्री ए० श्रीधरन : जो व्यक्ति भी विदेशों में गये हैं चाहे वे हाजी हों अथवा नहीं, वे भारत में डाइना बन्दूकें लाते हैं । मैं उस राज्य से आया हूं जिस राज्य से बहुत बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं । मैंने उन्हें 'डायना' बन्दूक लाते देखा है जो वे अपने बच्चों को पक्षियों को मारने के लिये दे देते हैं । यह प्रश्न साम्प्रादायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूछा गया है कि हाजी भारत में आते समय बन्दूकें ला रहे हैं । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह स्पष्ट घोषणा करेगी कि हाजी हज को न जाने वाले व्यक्ति तथा विभिन्न वर्गों के लोगों में 'डायना' बन्दूक के लाये जाने के बारे में वह भेदभाव का व्यवहार नहीं करती ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार की घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह परम्परागत है । लेकिन यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो मैं यह स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि हम किसी विशेष स्थान से आयें और अन्य स्थान से आने वाले व्यक्तियों जो ऐसी बन्दूकें लाते हैं जिनके लिये सशस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, के साथ कोई भेदभाव नहीं करते ।

श्री कार्तिक उरांव : 'बन्दूकें' और उनका खतरनाक न होना दोनों पारस्परिक विपरीत बातें हैं । मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि बन्दूकें खतरनाक कैसे नहीं हो सकतीं ।

ऐसा हो सकता है कि वे अधिक या कम खतरनाक हों। एक बन्दूक घायल करने में समर्थ हो या उससे हत्या भी की जा सके। लेकिन यह सच है कि बन्दूक को खतरनाक बनाया जा सकता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात के लिये सब आवश्यक कार्यवाही की है कि यह बन्दूक किसी भी स्तर पर, इसमें वृद्धि करने पर या इसमें कोई परिवर्तन करने पर खतरनाक सिद्ध न हो।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि इन बन्दूकों को गैर-खतरनाक वर्गीकृत किया गया है।

Shri Surendra Nath Dwivedy : I want to know whether a bullet can be fired from that gun. If a bullet can be fired and it is brought from a religious place, does it mean that it may be permitted to bring for the defence of the religion ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is only a pallet in this gun and the gun powder is not used in it. The pallet is fired only in the air.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सभा को और मुझे भी इस बात की जानकारी है कि माननीय मंत्री को शस्त्रास्त्रों के बारे में पूरा ज्ञान है। उन्होंने उल्लेख किया है कि डायना बन्दूक से मनुष्य को नहीं मारा जा सकता। क्या ऐसा उत्तर देते समय माननीय मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि मनुष्यों की खालों की मोटाई में भिन्नता होती है। ऐसे मामलों में क्या होगा जबकि एक मनुष्य की मोटी खाल नहीं होगी। क्या इस मामले में भी डायना बन्दूक भयरहित है ?

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'आरगेनाइसर', जो देश की शान्ति के लिये भारी खतरताक है, के द्वारा किये जा रहे साम्प्रदायिक प्रचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हज यात्रियों द्वारा डायना बन्दूकों को लाने के बारे में यह समाचार 'आरगेनाइसर' में प्रकाशित हुआ था लेकिन उसमें उसने उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को स्वीकार नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है।

Fundamental Change in Education System

*426. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for bringing about fundamental change in the education system according to which education will be completed at the XI class standard and thereafter every student will go to some technical or specialised course ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Fundamental Change in Education System

The Education Commission recommended that the secondary stage of education should be divided into two parts—the lower secondary stage and the higher secondary stage.

Primary education and lower secondary education taken together should form the first ten years of schooling and provide general education.

Diversification should begin at the end of class X. Students who desire to have university education may continue specialised general education in classes XI-XII. But about half of the students at least at this stage should be diverted into terminal vocational courses which will enable them to enter different walks of life. The duration of these courses should vary from one to three years according to their objectives. They should cover a large number of fields, such as agriculture, industry, trade and commerce, medicine and public health, home management, arts and crafts education, secretariat, etc. Their organisation should be elastic, allowing for part-time, correspondence and full-time courses with a large variety of institutional arrangements.

Shri Maharaj Singh Bharati : There has been a lot of unemployment amongst the present engineers and overseers or other technically educated persons due to unstable policy adopted by the Government. As a result of this unemployment the seats in every colleges where technical education is given, have been reduced. According to your estimate more than fifty percent of the students after matriculation will get some technical training whether it may be agricultural or some other training rather than providing them clerical training. Both these policies are contradictory. According to present policy instead of giving encouragement to technical education by raising unemployment question you are willing to reduce the number of seats in the colleges. According to your estimate there is a proposal to provide technical training to at least fifty percent students. Both of them are contradictory things. How will you co-ordinate them ?

Shri Sher Singh : Perhaps the Hon. Member has not followed me. He is in doubt. By stating that at least fifty percent people will be given training of one profession or the other, it does not mean that they will only be appointed overseers in any polytechnic. Fifty percent professional training after matriculation includes several things like training in agriculture and sectretariat course etc. which were not before. At present about seven secretarial institutions are working. Similarly we can start pre-medical and medical courses. It is a fact that there has been unemployment amongst the engineers and overseers. But the facilities provided to them have not been reduced.

Shri Maharaj Singh Bharati : The seats have been reduced.

Shri Sher Singh : We have to do that taking into consideration the employment opportunites. But we have not reduced the facilities. There are so many other professions which the students can adopt.

Shri Maharaj Singh Bharati : Will you provide the education according to the number of seats or according to the number of vacancies ?

Shri Sher Singh : There are so many technical works which can be learnt after matriculation. About fifty percent of the students should be absorbed in that work and it should also be decided which works are appropriate for them.

Shri Maharaj Singh Bharati : My question has not been answered. According to the present policy of the Government several types of technical training is being provided to the students. You have mentioned in your statement that fifty percent students will be given technical training. According to the employment point of view this should not be provided to more than five percent students.

On what basis you are going to create the seats, whether it is on the basis of employment or on the basis of percentage? Both of these things are contradictory. I want to know whether you are going to abandon the present policy or you are adopting some new policy ?

Shri Sher Singh : There is no question of abandoning the present policy. It is true that there may be less chances of employment in some professions but those chances may be improved in future. The scheme is not prepared for one year only. It is prepared for the future also. There may be several professions. Taking into consideration all the people raise the question of changing the structure of education. It is said why the education of unemployment is being given. There may be some people who may take the training with a view to start their own work and not with a view to do service. They can start their own work. Therefore, it is necessary that we may provide such type of education that by learning the technique of machine the people may be able to start their works themselves and may be able to earn money. Taking all these things into consideration we are trying to provide more and more practical training.

Shri Maharaj Singh Bharati : Even the engineers may start work themselves. Therefore, it was not necessary to reduce their seats. At least fifty percent students should be made self sufficient in this matter by providing technical training. The amount and facilities to be provided for them during the Fourth Five year Plan and upto the end of Fourth Plan the percent or students who will be covered under this Scheme ?

Shri Sher Singh: The Fourth Plan is under preparation. Therefore, it is not exactly known how much amount will be provided for the education during the Fourth Plan. Every efforts will be made to make necessary provisions for all these things in the Fourth Plan.

Shri Maharaj Singh Bharati : How this target of fifty percent comes ?

Shri Sher Singh : It is only the target to be completed.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास बोर्ड

*423. **श्री रवि राय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वोत्तर भारत (आसाम, नागालैंड तथा मनीपुर) का विकास करने के लिए एक विकास बोर्ड बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जबकि एक विकास मण्डल बनाने का कोई निश्चय नहीं है, कुल मिलाकर भारत के पूर्वोत्तर भाग की सुरक्षा और विकास के लिये एक सी और समन्वित नीति हेतु भारत सरकार का एक पूर्वोत्तर परिषद बनाने का विचार है। 11 सितम्बर, 1968 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में परिषद के विवरण का उल्लेख किया गया था। सदन के सभा-पटल पर विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2386/68]

एशियाई देशों में पर्यटन विकास के लिये क्षेत्रीय सम्मेलन

*427. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एशियाई देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारत में 1969 में क्षेत्रीय सम्मेलन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में भाग लेने वाले देश सम्मेलन करने सम्बन्धी निर्णय से सहमत हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन के कब तक होने की सम्भावना है ;

(घ) सम्मेलन से क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ; और

(ङ) सम्मेलन में कौन-कौन से देश भाग लेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णीसिंह) : (क) से (ङ). 'इन्टरनेशनल यूनियन आफ आफिशियल ट्रेवल आर्गेनाइजेशन्स' के 'साउथ एशिया ट्रैवल कमीशन' के सदस्य देशों अर्थात् अफगानिस्तान, लंका, ईरान, पाकिस्तान, मंगोलिया का जन गणराज्य, नेपाल तथा भारत के पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसी बैठक आयोजित होती है तो पाकिस्तान को छोड़ कर अन्य सब उपरिनिर्दिष्ट देश इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया है तथा मंगोलिया के जन गणराज्य (पीपल्स रिपब्लिक आफ मंगोलिया) से अभी कोई अन्तिम उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

बैठक के 1969 के पूर्वार्ध में आयोजित किये जाने की सम्भावना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन वृद्धि के लिये अधिक अच्छा सहयोग प्राप्त करना होगा, तथा इसमें इस प्रकार के विचारणीय विषय होंगे, जैसे मुख्य पर्यटक मार्केट में सामूहिक पर्यटन संगठन, क्षेत्र के अन्तर्गत देशों के राष्ट्रीय वाहकों के बीच सहयोग, तथा सम्मिलित रूप से प्रचार सामग्री का उत्पादन।

इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में हुई घटनाओं की गैर-सरकारी जांच

*428. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री गाडिलिंगन गौड : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर को इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में हुई घटनाओं की जांच करने के लिये एक जांच समिति बनाई गयी थी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग के सदस्य, श्री पुरुषोत्तम त्रीकम दास तथा राजस्थान और आसाम उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, श्री सरजू प्रसाद थे ;

(ख) इस जांच समिति के निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस समिति के निष्कर्षों पर कोई गौर किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) विरोधी पक्षों के कुछ संसद सदस्यों के अनुरोध पर ऐसी एक गैर-सरकारी समिति स्थापित की गई थी ।

(ख) समिति जिन परिणामों पर पहुंची वे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

पारादीप बन्दरगाह के भीतरी प्रदेश की यातायात सम्भावनाओं सम्बन्धी समिति

*429. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप बन्दरगाह के भीतरी प्रदेश की यातायात सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये नियुक्त विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) क्या रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की पांच प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बारे में सरकार समिति का प्रतिवेदन

*430. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री गणेश घोष : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1023 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यकरण के बारे में

श्री सरकार की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समिति के निर्देश पद बहुत व्यापक हैं परन्तु समिति अपना कार्य यथासम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रही है ।

भारत पर्यटन विकास निगम

*431. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने खरीद-ठेकों और बिक्री कार्यों के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में (500 रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पदों के लिए) उपयुक्त नियम बना रखे हैं और यदि हां, तो वे नियम क्या हैं और वे नियम कब से लागू हैं;

(ख) क्या इस निगम के कार्य संचालन का सामान्य मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं तो क्या निगम के काम की त्रुटियों का पता लगाने और इसके कार्य में सुधार करने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कारपोरेशन के कर्मचारियों के सेवा-नियम तैयार किये जा रहे हैं । जब तक इन तथा अन्य नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, कारपोरेशन केंद्रीय सरकार के एतत्संगत नियमों का उस अंश तक अनुसरण कर रहा है जहां तक वे खरीद, ठेके तथा बिक्री के लिए कर्मचारियों की भरती के मामले में लागू होते हैं ।

(ख) और (ग). कारपोरेशन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का कारपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर पुनरालोकन किया जाता है । कारपोरेशन के कार्यचालन की वित्तीय समीक्षाएं त्रैमासिक रूप से तैयार की जाती हैं तथा उनके वित्तीय परिणामों की कम्पनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षा की जाती है । उच्चतर कार्य-निष्पादन संबंधी लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है ।

फिलहाल कारपोरेशन के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है; परन्तु विभिन्न प्रस्तावों तथा योजनाबद्ध कार्यक्रमों के विषय में कार्य संचालन संस्थानों (इन्स्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट) से तकनीकी विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करने के प्रश्न पर स्वयं कारपोरेशन विचार कर रहा है ।

Foreign Missionaries in India

*432. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries in India and the number of those in Nagaland, Assam, Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh, separately ;

(b) the amount of financial assistance received by foreign missionaries in India during the last year ; and

(c) whether Government are taking any steps for Indianisation of this institution ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) A sum of Rs. 6,630 lakhs was received from abroad during the year 1967, which included contributions to religious institutions, charity remittances from foreign individuals and institutions for maintenance of non-profit, non-Government organisations and personal gifts. It also included grants under PL-480 Titles II and III. Information about financial assistance received by foreign missionaries alone is not maintained separately and is, therefore, not available.

(c) The policy of Government is one of progressive Indianisation of foreign missions in India.

Statement

Number of registered foreign and Commonwealth missionaries in India as on 1st January, 1968

State	Number		
	Other than Commonwealth Missionaries	Commonwealth Missionaries	Total
All India	3,796	2,624	6,420
Nagaland	4	3	7
Assam	216	119	335
Jammu & Kashmir	8	19	27
Bihar	331	188	519
Madhya Pradesh	239	106	345

सरकारी विभागों में अग्रिम योजना

*433. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ऐसे कौन से विभाग हैं जिनमें प्रशासन में दक्षता तथा मितव्ययता लागू करने की दृष्टि से प्रयोग के रूप में तथाकथित जो अग्रिम योजना शुरू की गई थी उस पर अभी भी कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या योजना के असफल होने का मुख्य कारण अपेक्षित योग्यता वाले सेक्शन अफसरों का न होना था; यदि हां; तो अधिकारियों को उचित स्तर तक लाने के हेतु प्रशिक्षित करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये ताकि वे कार्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकें तथा जो अयोग्य हों उन्हें हटाया जा सके; और

(ग) उपरोक्त भाग में उल्लिखित विभागों में अग्रिम योजना शुरू करने तथा जारी रखने में किस हद तक दक्षता तथा मितव्ययता हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). कई मंत्रालयों में शुरू की गई अग्रिम योजना 1962 में पुनरीक्षण के आधार पर 1956-57 में समाप्त कर दी गई थी प्रतिरक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त, जहां यह उसके आठ अनुभागों में एक परिवर्तित रूप में प्रचलित है, समस्त मंत्रालयों में समाप्त कर दी गयी थी। इस योजना में प्रत्येक मामले में टिप्पणी अनुभाग अधिकारियों द्वारा शुरू की जाती थी जिन्हें साधारण मामले निपटाने का अधिकार दिया हुआ था। फिर भी, सन् 1962 के पुनरीक्षण से मालूम हुआ कि अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिया गया योगदान एक औसत सहायक की सामर्थ्य से अधिक न था और अनुभाग अधिकारी अधिक काम को अन्तिम रूप से निपटाने की स्थिति में न थे। यद्यपि शुद्ध आर्थिक दृष्टि से प्रतिरक्षा मंत्रालय में अग्रिम अनुभागों पर परम्परागत प्रकार के अनुभागों के लगभग 2,150 रु० प्रति माह अधिक लागत आती है तो भी उस मंत्रालय की राय में इन अनुभागों ने उन्नत निष्पादन में योगदान दिया है।

उर्दू पाठ्य पुस्तक समिति

*434. **श्री जार्ज फरनेंन्डीज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जी० एम० सादिक की अध्यक्षता में गठित की गई उर्दू पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) समिति ने किन-किन लेखकों को उर्दू पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए कहा है; और

(ग) पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्यों के नाम निदशन में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विश्वविद्यालय स्तर की उर्दू की पुस्तकों के निर्माण के लिए श्री जी० एम० सादिक की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर अभी जम्मू और काश्मीर सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Lathi Charge in Modi Nagar

*435. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :
Shri S. S. Kothari :
Shri K. M. Abraham :
Shri Mohammad Ismail :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 139 on the 26th July, 1968 and state :

(a) whether Government have received the report of the Enquiry Commission in regard

to the lathi charge on the workers of Modi Nagar ;

(b) if so, the main points of the report ;

(c) the action taken by Government in this regard ; and

(d) if the report has not been received so far, the reasons for the delay ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) (a) to (c). The Commission has submitted to the State Government its report, which is now under their consideration.

(d) Does not arise.

व्यावर में राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान में दिये गये सोने के बारे में जांच

*436. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावर, राजस्थान में राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान में दिये गये सोने के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

गोथमी घाट (बिहार) पर पुल

*437. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोथमी घाट (बिहार) में छोटी गंडक नदी पर पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है क्योंकि इससे बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य आपस में जुड़ जायेंगे,

(ख) उक्त निर्माण कार्य पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) पुल को यातायात के लिये कब से खोला जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मुख्य पुल पहले ही बन चुका है अब केवल भार जांच शेष है और इसकी जल्दी ही पूरा होने की आशा है ।

(ख) अब तक मुख्य पुल पर 22.97 लाख रुपये ।

(ग) बिहार व उत्तर प्रदेश के ओर के पहुंच मार्ग के पूरे होने पर पुल यातायात के लिए

खोला जा सकता है। बिहार के ओर का पहुंच मार्ग जनवरी 1969 तक बनने की आशा है। उत्तर प्रदेश की ओर का पहुंच मार्ग राज्य सरकार से बनाई जा रही है परंन्तु मार्ग के लिए भूमि अर्जन में कुछ कठिनाई होने के कारण देरी है।

चंडीगढ़ में व्यवसाय, व्यापार तथा वृत्ति पर कर समाप्त करना

*438. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के नागरिकों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्र में व्यवसाय, व्यापार तथा वृत्ति पर से कर हटाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कर हटाने के लिए सरकार सहमत नहीं हुई।

प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य पूरा होना

*439. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अभी कितना काम पूरा किया जाना बाकी है; और

(ख) कब तक कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है, अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जायेगा और कब आयोग को समाप्त कर दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रशासन के निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रतिवेदन देने का विचार है :—

(1) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

(2) कर्मचारी प्रशासन

(3) राज्य स्तर पर प्रशासन

(4) जिला प्रशासन

(5) कृषि प्रशासन

इसके अतिरिक्त, आयोग का कुछ विशेष संगठनों पर प्रतिवेदन देने का विचार है।

(ख) आयोग ने उस तिथि की सूचना नहीं दी है जिस तिथि तक उसका काम समाप्त हो जायगा। फिर भी, वह जल्दी से जल्दी ऐसा करने का इच्छुक है।

Map of India in "Lands and Peoples—Vol. IV"

*440. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the American Geographical book "Lands and Peoples-Volume IV", written about South East Asia, the Kashmir territory has been painted in black colour in the map of India and its existence has not been shown in India ;

(b) whether it is also a fact that M/s Standard Literature Co. (P) Ltd., Sangam Bhavan, Colaba, Bombay-5 are the distributors of the aforesaid book ;

(c) if so, the action being taken by Government about this objectionable book ; and

(d) whether Government propose to proscribe this book and file a suit against the publisher ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Information was received about import, by Messrs. Standard Literature Co. (P) Ltd. of Calcutta of 300 sets of 1965 edition of the series entitled "Lands and Peoples" and published by Grolier Incorporated, New York. Instructions were issued to the Customs authorities to black out entirely the objectionable maps included in volumes I and IV of the series before allowing their import. The matter was also taken up with the publishers who have since agreed to correct the maps in the future editions.

(d) No, Sir.

भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति की सूची

*441. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्यों के भूतपूर्व नरेशों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति की सूची पेश की जानी थी;

(ख) क्या सूची दिये जाने के लिए कोई तारीख नियत की गई थी और यदि हां, तो वह तारीख क्या थी; और

(ग) क्या उक्त तिथि में कभी फेर बदल किया गया था और यदि हां, तो अब कौन सी तिथि निश्चित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों द्वारा किये गए विलय समझौतों और प्रसंविदाओं में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार नरेशों को उनमें निर्दिष्ट एक तारीख तक डोमीनियन शासन या राजप्रमुख को, जैसी भी स्थिति हो, अचल सम्पत्ति प्रतिभूतियों और रोकाधिक्यों की, जिन्हें वे रियासत की सम्पत्तियों से भिन्न अपनी निजी सम्पत्तियां होने का दावा करते थे, तालिकाएं प्रस्तुत करनी थीं ।

(ग) नियमानुसार विलय-समझौतों और प्रसंविदाओं में एक बार निश्चित की गई तारीखें नहीं बदली गईं ।

तमिलनाड का भारत संघ से पृथक होना

*442. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास सरकार से तमिलनाड कांग्रेस के अध्यक्ष के

इस आरोप के बारे में तथ्य मंगाये हैं कि मद्रास विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस० बी० आदित्यन खुले तौर पर तमिलनाड को भारत संघ से पृथक करने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मद्रास सरकार से प्राप्त हुए उत्तर का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह जानकारी मद्रास सरकार से कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से तथ्यों के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय

*443. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने वर्तमान दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को एक पूर्णरूपेण आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में विस्तार करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मौके पर जांच करने के बाद संस्कृत के अध्ययन के सभी पहलुओं को बनाये रखते हुये वर्तमान संस्कृत विश्वविद्यालय का आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में विस्तार की मंजूरी दे दी थी ;

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या योजना को व्यावहारिक रूप देने के स्थान पर राज्य विश्वविद्यालय आयोग का इस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार कार्य न हो सके ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट में मिथिला/दरभंगा विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके अन्तर्गत के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और नया बहु-संकाय विश्वविद्यालय स्वायत्त स्कन्ध हो सकते हैं । आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और निर्णय किया कि प्रारंभ में राज्य सरकार की राय प्राप्त की जाए । राज्य सरकार ने सिफारिशों की जांच की और उन्हें राज्य विश्वविद्यालय आयोग के पास उसके विचार जानने के लिए भेज दिया । राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

हल्दिया पत्तन

*444. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन के लिये ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ हुई बातचीत का कोई परिणाम निकला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) हल्दिया पत्तन के विकास-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). हल्दिया परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ने निमित्त विश्व बैंक से एक ऋण की वार्ता सफल नहीं रही । अतः परियोजना बिना विश्व बैंक के सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) हल्दिया डाक परियोजना में एक तेल जेटी और 6 घाटों वाला अवरुद्ध डाक सिस्टम और दूसरी अन्य सुविधाएं शामिल हैं । डाक सिस्टम के निर्माण के लिये 45 प्रतिशत आवश्यक भूमि अर्जित कर ली गई है । 11 अगस्त, 1968 से चालू कर दी गई है । अब यह खतरनाक पेट्रोल के निर्यात के लिये प्रयोग किया जा रहा है । डाक सिस्टम का कार्य प्रगति पर है । अब तक 4 प्रतिशत कार्य हो चुका है । अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर, के पास कोयला व खनिज ढोने के लिये, मशीन की आज्ञा दे दी गई है, 12 रेल इन्जन के लिये रेलवे के पास और दे दिये गये हैं ।

2. हल्दिया डाक परियोजना संबंधी कार्य, कार्य सूची के अनुसार प्रगति पर है और 1971 तक पूरे होने की आशा है ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए प्रादेशिक भाषा

*445. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के प्रसार के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के सुझाव को क्रियान्वित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इनका प्रयोग आरम्भ करने के बारे में क्या कार्यक्रम है ?

गृह कार्य-मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखिल सभी भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अखिल भारतीय और उच्च केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग आरम्भ करने का निश्चय किया है ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ब्योरे तैयार कर रहा है ।

पटना में पड़ी कर्षनावें तथा बजरे

*446. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4882 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में बेकार पड़े बजरों तथा कर्षनावों का बक्सर तथा राजमहल के बीच कोयला ढोने के लिये प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के परामर्श से शुरू किया गया सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन नंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (घ). बजरे तथा कर्षनावों का बक्सर तथा राजमहल के बीच केवल कोयला ढोने के लिये प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । पहले यह नावें इस टुकड़े पर कोयला तथा अन्य वस्तुओं के ढोने के लिए प्रयोग किये जाते थे परन्तु यह लाभप्रद नहीं पाई गई । उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार के परामर्श से इलाहाबाद व राजमहल के बीच यातायात की शक्यता पर प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर गंगा पर वाणिज्यिक सेवाएं चालू करने की संभावनाओं की जांच की गई । राज्य सरकार की राय है कि योजना पहले कुछ वर्षों में नुकसान में चली जायेगी । हाल ही में गठित समिति जो देश की अन्तर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं का अध्ययन करेगी तथा विकास के कार्यक्रम को वह इस योजना की भी जांच करेगी ।

पुस्तकों की प्रकाशन लागत में वृद्धि

*447. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में छपाई के कागज की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण देश में पुस्तकों की प्रकाशन लागत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कीमत कितनी बढ़ी है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश में पुस्तकों की प्रकाशन लागत का मूल्य सूचकांक संकलन करने का कोई प्रयत्न अभी तक नहीं किया गया है । किन्तु यह ठीक है कि मई, 1968 से विनियंत्रण होने के बाद कागज की कीमत बढ़ गई है ।

(ख) कीमत 200 रुपये से 250 तक प्रति टन के हिसाब से बढ़ गई है । उत्पादक इस बढ़ौती का कारण कच्ची सामग्री, रसायनों की कीमत बढ़ने, वेतन तथा अन्य ऊपरी खर्चे बढ़ जाना बतलाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में पुलिस के अत्याचार

*448. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की घटनाओं के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या राज्यपाल के शासन में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अधिक खराब हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पुलिस अत्याचारों के कुछ आरोप राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ।

(ख) शिकायतों में जांच करवाना राज्य सरकार ने शिकायतों के स्वरूप तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजपत्रित पुलिस अधिकारियों से, राज्य गुप्तचर विभाग से तथा मजिस्ट्रेटों से तथा कुछ मामलों में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत, आरम्भ कर दिया है । उन मामलों में जिनमें शिकायतें सही पाई गई हैं, संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Exhibition of Films in Kerala on Vietcongs' Guerilla Warfare

*449. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Kerala Chief Minister in the State Legislative Assembly on the 30th August, 1968, in which he said that in some parts of Kerala, films depicting guerilla warfare of Vietcongs were shown ;

(b) if so, the object of the same and the names of the persons concerned with it ; and

(c) Government's reaction in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). According to information furnished by the State Government, the Chief Minister, Kerala, stated in the Kerala Legislative Assembly on August 30, 1968, in reply to an interpellation, that it had come to the notice of the State Government that films on guerilla warfare of the Vietcong were being exhibited in the Marxist Volunteer Camps. The State Government have further intimated that a film entitled "Epic Liberation Struggle" of the Vietnam people was screened in the

Vanaja Talkies, Baliapatam (Cannanore District) on March 17, 1968 and Prathibha Talkies, Pazhayangadi (Cannaore District) from March 19, 1968 to March 21, 1968 before exclusive audiences consisting of CPM workers and well wishers.

(c) The State Government have been requested to intimate the action proposed to be taken by them against the managements of the two theatres for screening an uncertified Film in violation of the provisions of the Cinematograph Act, 1952. They have stated that they are looking into the matter.

राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों पर गोष्ठी

*450. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन" विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में जोधपुर में एक गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने के सम्बन्ध में गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2387/68**]

Charges against Congress President Shri Nijalingappa

2580. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri V. Narasimha Rao :
Shri R. K. Amin :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri K. Lakkappa :
Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri S. M. Banerjee :
Shri D. N. Deb :
Shri P. K. Deo :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have demanded a probe into the charges levelled against the former Mysore Chief Minister and present Congress President, Shri Nijalingappa ;

(b) whether it is also a fact that Shri Nijalingappa has given his consent to it ; and

(c) if so; the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) Yes, Sir.

(b) Government have no information.

(c) Attention is invited to the statement made in Parliament by the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri on 22nd February, 1965. This indicates Government's final decision in the matter.

राज्यों द्वारा लाटरियां

2581. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सिद्दय्या :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ राज्यों ने लाटरियां आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने लाटरियां आरम्भ की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हरियाणा, केरल, मद्रास, पंजाब तथा राजस्थान ।

आजाद हिन्द फौज का स्थापना दिवस

2582. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1968 से आजाद हिन्द फौज की स्थापना दिवस की स्मृति में रजत जयन्ती समारोह हुआ था;

(ख) क्या भारत सरकार ने सरकारी तौर पर इस समारोह में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है; तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने इस अवसर पर जनता द्वारा आयोजित किए गए इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए मंत्रि-परिषद से अनुरोध किया था । इसी प्रकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों से समारोहों को सफल बनाने के लिए अनुरोध किए गए थे । शिक्षा सचिवों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से रजत जयन्ती को अच्छे ढंग से मनाने के लिए सरकार द्वारा अनुरोध किए गए थे । डाक तथा तार विभाग ने इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया था । अखिल भारतीय आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम जिसमें सार्वजनिक उत्सव, समाचार बुलेटिन तथा न्यूजरील आते हैं प्रसारित किए गए थे । सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा विशेष पोस्टर और नेता जी के चरित्र तथा स्वतंत्रता आन्दोलन की भारत की राष्ट्रीय सेना के बड़े-बड़े प्रकाशन प्रकाशित किए गए थे । गृहमंत्री ने कलकत्ता नगर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक की आधार शिला स्थापित की थी । मोइरंग (मनीपुर) में भी एक समारोह हुआ था जिसमें मंत्रिमंडल के छः मंत्री भी अन्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे । इस अवसर पर लाल किले के सामने सुभाष मैदान में राजधानी में हुए सार्वजनिक समारोह में प्रधान मंत्री भी उपस्थित थीं । राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह प्रकट होता है कि इस अवसर पर उन्होंने भी समारोह आयोजित किए थे । आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इस अवसर पर हुई परेड में 500

एन०सी०सी कैडिटों को भी भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी थी। उन्होंने नृत्य तथा नाटकोत्सव भी आयोजित किए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में पुस्तकों का प्रकाशन, विक्रय तथा उनका पढ़ा जाना

2583. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में सबसे अधिक चलचित्र बनाने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है परन्तु पुस्तकों के प्रकाशन, बिक्री और पढ़ने के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है;

(ख) यदि हां, तो पुस्तकों के पठन को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस देश में "पाठक सप्ताह" आयोजित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख). उपलब्ध सूचना से प्रकट होता है कि सबसे अधिक चलचित्र बनाने वालों में भारत का तीसरा स्थान है और विश्व के पुस्तक निर्माण करने वाले देशों में आठवां स्थान है।

शिक्षा को व्यापक बनाने के प्रयत्न वास्तव में पढ़ने को लोकप्रिय बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इसके अतिरिक्त, साहित्य अकादमी ने भारत की अथवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में विदेशों की साहित्यिक कृतियों का अनुवाद प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (ट्रस्ट) ने योग्यता बढ़ाने के लिए सस्ती पुस्तकें प्रकाशित की हैं। नेशनल बुकट्रस्ट के पास पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम हैं, और इन प्रयोजनों के लिए पुस्तकों के मेले, प्रदर्शनी, सेमिनार वगैरह की व्यवस्था करता है। देश में पुस्तक निर्माण सम्बन्धी सलाह देने के लिए सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना की है।

(ग) और (घ). जी नहीं।

Building for Delhi High Court

2584. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a permanent building for housing the Delhi High Court has not been provided so far ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which a permanent building is likely to be provided for the High Court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Not yet, Sir. Previously it was proposed to construct a building at 14-Tilak Marg. That plot being too small to meet the present and future requirements of the High Court, it has now been decided to construct a permanent building at Sher Shah Road. Plan and estimates regarding the cost of construction etc. are under preparation. As soon as these are finalised the construction of the building will start. It is expected that the building will take two years in construction after the Plan and estimates are finally approved.

कार्मिक संघ संगठन से अभ्यावेदन

2585. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक कार्मिक संघ संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सरकारी कार्यालयों में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को विभिन्न कार्मिक संघ संगठनों से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अभी हाल की हड़ताल से संबंधित अनेक विवादों पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । प्राप्त हुए अभ्यावेदनों में से कुछ में सरकारी कार्यालयों में, जिसे वे "सामान्य स्थिति" कहते हैं, पुनः स्थापित करने के सुझाव भी शामिल थे;

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी सम्भव कदम उठाए हैं जो कि 12 नवम्बर, 1968 को लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री जी द्वारा भी बताए गए हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना

2586. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को दिये गये समयोपरि भत्ते की राशि पिछले तीन वर्षों में दुगनी से भी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में कितनी राशि दी गई थी और इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या समयोपरि भत्ते की राशि को घटाने के लिये कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री(डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों में समयोपरि भत्ते के रूप में दी गयी राशियां निम्नलिखित हैं :

1965-66	1966-67	1967-68
	(लाख रुपयों में)	
79.51	92.07	138.95

सेवा की अनिवार्य आवश्यकताओं तथा अन्य परिचालनात्मक कारणों की वजह से कर्मचारियों को समयोपरि कार्य पर विनियुक्त करना पड़ता है। तथापि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन समयोपरि भत्ते के रूप में देय राशि को कम करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं, तथा वे कर्मचारियों के संगठनों/संघों के साथ परामर्शपूर्वक इस दिशा में किये जाने वाले उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में उत्पादनकारिता (प्राडक्टिविटी) के नये नियम प्रवर्त्तित किये हैं, जिनके परिणामस्वरूप 'समयोपरि' व्यय के कम हो जाने की आशा है।

Father Ferrer

2587. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ranjit Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no State Government is prepared to accommodate the Spanish Bishop, Father Ferrer ; and

(b) if so, whether the Bishop has been intimated accordingly ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Father Ferrer is not a Bishop. A visa for him for work in Andhra Pradesh has since been granted.

Employment in Foreign Countries for Technical Hands

2588. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made any endeavour to find employment in foreign countries for those technically qualified youngmen, who are unemployed, so that they can earn foreign exchange ; and

(b) if not, whether Government consider this as harmful to the country or whether it is impossible to find employment in foreign countries through Government efforts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). Government have been making efforts through our Missions abroad to offer the services of Indian engineers (and other technical experts) to friendly developing countries to assist them in their development programmes. During the last six months 5 Indian engineers have been deputed and 32 cases are under consideration.

Reduction of Seats in Engineering Colleges and Institutions

2589. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Shri Chand Goyal :
Shrimati Sushila Rohatgi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have reduced the number of seats in the engineering colleges, polytechnics and other such institutions throughout the country as a result of unemployment

amongst the engineers arising due to Plan holiday and stagnation in the field of development; and

(b) if so, whether Government do not regard this reduction as a sign of brain contraction?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, since the admissions are being related to the instructional facilities available for maintenance of correct standards and the demand for technical personnel for the Fourth Plan.

Primary Education in India

2590. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to encourage ordinary schools and other types of schools like Shishu Sadan, Montessori, religious and public schools for primary education or they propose to introduce uniform system of primary education for all the children of this country; and

(b) the efforts being made by Government to achieve this aim?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Government desires that, at the primary stage, a common school system of education on the broad lines recommended by the Education Commission, should be created as soon as possible.

(b) This principle has been laid down in the National Policy on Education. The State Governments who are constitutionally responsible for primary education have been requested to implement this policy.

Expenditure on Cultural Activities

2591. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Education** be pleased to state the amount spent by Government on the propagation, expansion and organisation of cultural activities during 1967-68 and the estimates of proposed expenditure on these activities during the Fourth Plan?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): The necessary information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

मैसर्स अर्बन इम्प्रूवमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली

2592. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपयों की 'ग्रीन फील्ड' बस्ती के प्लाट-मालिकों के साथ कथित धोखाधड़ी करने के कारण मैसर्स अर्बन इम्प्रूवमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच कराने का केन्द्रीय सरकार ने वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच जांच आरम्भ कर दी गयी है और इस मामले में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्लाट मालिकों के संरक्षण के लिये कानून

2593. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बस्तियों के प्लाट मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने का सरकार का विचार है जहां केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले स्थानों में बस्तियां बसाने की योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यह कानून कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता

2594. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संग्रहालय की इमारतों के विस्तार, उपकरण, प्रकाशन अथवा उसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के लिये वर्ष 1967-68 और 1968-69 में उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ख) क्या उड़ीसा के राज्य संग्रहालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या था और उल्लिखित वर्षों में कितनी सहायता दी गयी थी?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी हां । 6,08,800 रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ग) दो वर्षों में निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं :—

	रुपये
1967-68	— 4,400/–
1968-69	— 4,500/–

उड़ीसा सरकार द्वारा जिला गजेटियरों का संकलन और प्रकाशन

2595. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला गजेटियरों का संकलन और प्रकाशन करने के लिए वर्ष 1950 से 1968 तक उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मिली है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां ।

(ख) 45,986.40 रुपये ।

(ग) पांच जिला गजेटियरों के प्रारूप पूरे हो गये हैं और प्रकाशन के लिए अनुमोदित कर दिये गये हैं । कोरापुट का गजेटियर प्रकाशित हो गया है और मयूरभंज का गजेटियर छप रहा है ।

पारादीप पत्तन

2596. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर अपेक्षित संख्या में मार्ग सूचक बोये स्थापित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि 1966 से 1968 में अब तक केवल तीन बोये स्थापित किये गये हैं; और

(ग) क्या पत्तन पर पर्याप्त रेडियो संचार सुविधाओं की अब व्यवस्था कर दी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). पारादीप पत्तन पर मार्गसूचक के लिये अपेक्षित संख्या में बोये पहले से अर्जित कर लिये गये हैं परन्तु जल मार्ग में इन बोये को स्थापित करने के लिये जरूरी सोरे लंगर के उपस्कर प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः अब तक केवल तीन स्थायी बोये स्थापित करना संभव हुआ है । जैसे ही लंगर उपस्कर मिल जायेंगे अन्य बोये भी स्थिति में रख दिये जायेंगे ।

पीपों से सूचित तब तक अन्तर्जल के भीतर नौचालन के बचाव के लिये जल-मार्ग छोटे-छोटे पीपों से सूचित किया जा रहा है । हाइड्रोग्रेफिक सरवेअर से अस्थायी बोये की स्थिति बराबर जांच की जा रही है । जहाजी चाल को देखने के पहले जहां भी आवश्यक हो सही स्थिति में रखी जाती है । बोये के अलावा सुरक्षित नौचालन के लिए बीकन भी स्थापित किये गये हैं ।

(ग) एक एच० वी० एफ० सेट को खरीदने के लिए आर्डर दे दिये गये हैं और जल्दी प्राप्त होने की आशा है। पत्तन पर बेतार के तार का स्टेशन और टेलिप्रिन्टर का इन्तजाम करने के लिये प्रारम्भिक कदम उठाये जा चुके हैं।

पंजाब के पुनर्गठन के कारण कर्मचारियों का वितरण

2597. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन के कारण कर्मचारियों के वितरण के बारे में मुख्य सचिवों को समिति की समस्त सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). संगठन की प्रक्रिया में शामिल 57 विभागों में से 54 विभागों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। 52 विभागों के आवंटनों को अंतिम रूप दे दिया गया है शेष विभागों के आवन्टनों को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही प्राथमिकता आधार पर की जा रही है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम

2598. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी और उसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन थे तथा वही बोर्ड अब तक कार्य करता रहा;

(ख) अब निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन हैं और निगम का चेयरमैन अथवा प्रबन्ध निदेशक कौन हैं उनकी नियुक्त कब हुई थी, उनका कार्य-काल क्या है और उनकी नियुक्त की शर्तें क्या हैं;

(ग) निगम को अनियमितताओं, चोरी, स्टाक में कमी, अग्नि अथवा ऐसे अन्य कारणों से कितनी हानि हुई और क्या इन मामलों की जांच की गई; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1-10-1966 को हुई थी। प्रथम निदेशक मंडल के सदस्यों की एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध 'ए')। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2388/68]

इस निदेशक मंडल का 1-10-1967 से पुनर्गठन किया गया। नये निदेशकों के नाम अनुबन्ध 'बी' में दिये गये हैं। इससे पता चलेगा कि निदेशक मंडल वही नहीं बना रहा।

(ख) वर्तमान निदेशक मंडल 1-10-1968 से गठित किया गया था तथा इसके सदस्यों के नाम अनुबंध 'सी' में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2388/68]**

कारपोरेशन के चेयरमैन श्री रमेश थापड़ हैं। वे 1-10-1967 को एक वर्ष के लिए चेयरमैन नियुक्त किये गये थे। 1-10-1968 को एक और वर्ष के लिए उनकी पुर्ननियुक्ति की गई है। श्री रमेश थापड़ एक गैर-सरकारी अंशकालिक चेयरमैन हैं। उन्हें कारपोरेशन के अन्य गैर-सरकारी निदेशकों की तरह निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें वे सम्मिलित हुए हों, 75/– रुपये लेने का अधिकार है, तथा कारपोरेशन के काम के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा-भत्ता लेने का भी अधिकार है जिसमें ट्रेन अथवा विमान का वास्तविक किराया एवं प्रासंगिक व्यय के रूप में पहले दिन के लिए 100/– रुपये तथा बाद के दिनों के लिए 50/– और दैनिक-भत्ता सम्मिलित है।

श्री एम० एस० सुन्दरा निगम के वर्तमान प्रबन्ध संचालक हैं। उन्हें 26 अगस्त, 1968 से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की शर्तें अनुबन्ध 'डी' में दी गई हैं।

(ग) और (घ). कारपोरेशन को अनियमितता, चोरी, स्टाक में कमी, आग, इत्यादि के कारण 3,332/– रुपये की हानि हुई। ऐसे सब मामलों की पूरी तरह से जांच की गयी तथा जो व्यक्ति इनके लिये उत्तरदायी ठहराये गये उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई, जिसमें उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों से सम्बन्धित धनराशि की वसूली भी सम्मिलित है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

2599. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड को कब तथा किन उद्देश्यों हेतु स्थापित किया गया था,

(ख) क्या परियोजना रिपोर्ट के अनुसार एकक स्थापित करने के तथा उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हो गये हैं और यदि हां तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिपयार्ड स्थापित करने में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं; सहयोग की शर्तें क्या हैं और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;

(घ) क्या शिपयार्ड में बनाये गये यह पोत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े क्या हैं; और

(च) क्या शिपयार्ड को इस समय किन्हीं कठिनाइयों का सामना है और यदि हां, तो सरकार का विचार उनको किस प्रकार दूर करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत सरकार ने 1-3-1952 में तत्कालीन किस्म के निर्मित किये गए समुद्र में चलने योग्य जहाजों के निर्माण के लिए सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड से विशाखापत्तनम शिपयार्ड ने अपने अधिकार में लिया था।

(ख) चूंकि सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड से शिपयार्ड चालू हालत में अधिकार में लिया गया था इसलिए शिपयार्ड को अधिकार में लेते समय परियोजना की रिपोर्ट उत्पादन लक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, फिर भी शिपयार्ड प्रतिवर्ष औसतन प्रत्येक 8000 डी० डब्लू० टी० भार के $2\frac{1}{2}$ जहाज बना सकता था।

वर्तमान समय में शिपयार्ड द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक 12500 डी० डब्लू० टी० भार वाले दो से तीन तक समुद्र में चलने योग्य जहाज बना रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन मूल टनेज भार सहित	केवल रुपये (लाख में)
1965-66	3 जहाज कुल भार 38,000 डी० डब्लू० टी०	414.00
1966-67	2 ,, ,, ,, 25,300 डी० डब्लू० टी०	284.00
1967-68	3 ,, ,, ,, 38,000 डी० डब्लू० टी०	497.00

(च) जैसा कि कहा गया है, वर्तमान उपलब्ध सहूलियतों के साथ शिपयार्ड में प्रतिवर्ष प्रत्येक 12,500 डी० डब्लू० टी० भार के 2 से 3 तक जहाजों के निर्माण की क्षमता है। शिपयार्ड के उत्पादन में सुधार करने में उसकी कार्य-शक्ति में तेजी लाने के लक्ष्य से उसने प्रतिवर्ष प्रत्येक 18000 डी० डब्लू० टी० भार के दो दो जहाजों के सहित 6 जहाजों के निर्माण के लिए एक एकीकरण विकास कार्यक्रम बनाया है जो कि समिति द्वारा इस वर्ष के मई माह में दी गई रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है। इस कार्यक्रम में अनुमानित 10 करोड़ रुपये शिपयार्ड द्वारा बनाये गये कार्यक्रम की अब सरकार जांच कर रही है।

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली

2600. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल लिमिटेड को कब तथा किन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया

था और इसमें कितने लोगों के ठहरने का स्थान है और इसके उद्देश्य किस हद तक पूरे हुऐ हैं;

(ख) 31 मार्च, 1968 तक इसमें कुल कितनी धनराशि लगाई गई थी, इसमें से कितनी धनराशि ईक्विटी शेयरों में है तथा कितनी राशि सरकार तथा बैंकों से ऋण के रूप में ली गई थी;

(ग) क्या गत वर्ष होटल के प्रबन्ध में कोई परिवर्तन किया गया है, यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण थे, इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके प्रशासन को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) योजना के अनुसार होटल कब पूरा हो जाना चाहिए था, होटल का काम कितना पूरा हो चुका है और शेष कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है, इसमें कितना विलम्ब होने की सम्भावना है और इसके क्या कारण हैं और होटल के पूर्ण होने पर और कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) अशोक होटल्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो अक्तूबर, 1955 में प्रचलित की गयी थी तथा जिसने अक्तूबर, 1956 में कार्य करना प्रारम्भ किया था । यह होटल एक लग्जरी होटल की सुविधाएं तथा सेवायें प्रदान करता है । इसमें 494 कमरे हैं जिनमें 798 शय्याएं हैं । निगम को स्थापित करने के उद्देश्यों तथा कारणों को कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में स्पष्ट किया गया है ।

(ख) **प्रदत्त पूंजी**

	रुपये
सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी	2,34,14,900.00
प्राइवेट पार्टियों द्वारा लगायी गयी पूंजी	15,85,100.00
योग :	2,50,00,000.00

ऋण

केन्द्रीय सरकार द्वारा 31-3-1968 तक दिया गया ऋण	1,25,00,000.00

(ग) होटल के निदेशक मंडल का हाल ही में पुनर्गठन किया गया था तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री रमेश थापर, चेयरमैन
2. श्री एस० डी० नारगोलवाला
3. श्री एस० के० राय
4. श्री हिम्मत सिंह आफ मनसा

5. श्री एम० एस० सुन्दरा
6. ले० क० के० के० चन्द्रन, प्रबन्ध संचालक
7. ले० ज० आर० के० कोछड़
8. राजकुमारी इन्दिरा देवी धनराजगीर
9. श्री के० टी० सतारावाला
10. श्री एस० विक्रम शाह
11. श्री एम० आर० धवन
12. श्री एस० के० फूका
13. श्री एम० सीटी० मुथिआह
14. जामसाहेब आफ नवनगर

(घ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, होटल का निर्माण-कार्य पूरा हो गया था तथा इसने 30-10-1956 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। अंकटाड कान्फ्रेन्स की तैयारियों के अंग के रूप में, 1967 में यह निर्णय किया गया कि होटल के साथ एक अनेक्सी का निर्माण किया जाये, जिसमें एक गेस्ट रूम ब्लाक, एक कन्वेशन हाल तथा एक रिवाल्विग स्काई रेस्टोरैंट हो। गेस्ट रूम ब्लाक तथा कन्वेशन हॉल, जिन्हें की 30 दिसम्बर, 1967 से पहले पूरा हो जाना था, वास्तव में क्रमश: 31 जनवरी, 1968 और 28 फरवरी, 1968 को पूरे हुए। रिवाल्विग स्काई रेस्टोरैंट जोकि 30 जून, 1968 तक पूरा होना था अभी चौथी मंजिल की छत की मुंडेर तक पूरा हुआ है तथा बाकी का काम टावर की ऊंचाई को 129 फीट से बढ़ाकर 225 फीट करने के बाद में किये गये निर्णय के कारण तथा अनेक्सी के निर्माण के लिए एक विशेष फर्म को ठेका देने के मामले की छानबीन की आवश्यकता के कारण स्थगित कर दिया गया है। टावर की ऊंचाई को बढ़ाकर 225 फीट करने का फैसला अब किया जा चुका है तथा ठेका देने के मामले में फैसला भी शीघ्र ही कर लिया जायेगा। अनेक्सी से संबंधित प्रायोजना को पूरा करने पर 67 लाख रुपये और खर्च होने की सम्भावना है, जोकि अब तक खर्च हुए 198 लाख रुपये के अलावा है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्विति

2601. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री क० लकप्पा : **श्री ज० मुहम्मद इमाम :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए कोई व्यवस्था की है और यदि हां तो क्या व्यवस्था की है और सिफारिशों की कैसे जांच की जाती है;

(ग) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में कोई रूपभेद किया जा सकता है अथवा इन्हें रद्द किया जा सकता है और यदि हां तो क्या यह मंत्रिमंडल स्तर पर अथवा किसी अन्य निकाय द्वारा किया जाता है और यदि मंत्रिमंडल के अलावा कोई और निकाय द्वारा किया जाता है तो उस निकाय के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब न होने देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अब तक निम्नलिखित विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं :

1. नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्यायें ।
2. योजना के लिए व्यवस्था ।
3. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ।
4. वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा ।
5. आर्थिक प्रशासन ।
6. भारत सरकार का शासन तंत्र तथा उसके काम काज की प्रणाली ।

(ख) प्रत्येक प्रतिवेदन की जांच के लिए प्रणाली का निर्धारण मुख्यतः की गई सिफारिशों के स्वरूप के अनुसार किया जाता है । सरकार द्वारा किये गये निर्णयों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों की है ।

(ग) मंत्रिमंडल के आदेशों के अतिरिक्त आयोग की कोई सिफारिश अभी तक रद्द या संशोधित नहीं की गई है ।

(घ) सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की नियतकालिक रिपोर्टों द्वारा की जाती है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली

2602. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1968 में आभूषणों की चोरी को देखते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के प्रबन्ध में गम्भीर अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) क्या यह सच है कि संग्रहालय, के पास चोरी हुई चीजों के फोटोग्राफ तथा अन्य आंकड़े भी नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन भूलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली तथा देश में अन्य स्थानों पर स्थिति ऐसे ही संग्रहालयों के कार्य संचालन की पूर्ण जांच करायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । संग्रहालयों के पास तथा संग्रहालय से चोरी गये कुल 125 आभूषणों और 3 सिक्कों के फोटोग्राफ तथा अन्य आंकड़े थे । शेष 29 चोरी गये सिक्कों के फोटोग्राफ संग्रहालय के पास नहीं थे, यद्यपि तत्संबन्धी अन्य आंकड़े थे ।

(ग) विभागीय जांच के फलस्वरूप राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

(घ) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक समिति पहले ही स्थापित कर दी है ।

Crimes in Delhi

2603. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri S. S. Kothari :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of violence, stabbing and theft registered with the Police in the Union Territory of Delhi during the period from July to October, 1968 ;

(b) whether the number exceeds the number for the same period during the last year ; and

(c) if so, the action being taken to reduce the number of crimes ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). 4,023 cases of violence, stabbing and theft were registered with the Police in the Union Territory of Delhi during the period 1-7-1968 to 31-10-1968 as against 4,266 cases registered during the corresponding period of last year.

(c) Preventive action is taken in accordance with the law whenever necessary; the crime situation is reviewed by Delhi Administration from time to time. Recently, a number of schemes have been sanctioned for modernising the Delhi Police by providing better communication facilities and scientific aids for investigation of crimes.

Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration in Ministry of Education

2604. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the provision of a Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration exists in the Ministry of Education since 1967 with a view to tackle the problems of the staff ; and

(b) if so, whether any such provision has been made for the attached and subordinate offices and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The representatives of the recognised unions/service associations from the attached/subordinate offices are members of the Departmental Council established in the Ministry of Education under JCM Scheme.

Financial Assistance for Educational Programmes in States

2605. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government extend financial assistance to the State Governments for carrying out educational programmes;

(b) if so, the amount of such assistance given to each State during 1967-68; and

(c) whether these funds were provided keeping in view the population of a particular State and, if not, the other criteria on which these grants were made?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2389/68]**

बिहार में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

2606. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री बिहार राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाये के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) जानकारी के कब तक सभा-पटल पर रखे जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना से समाविष्ट विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2390/68]**

मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता

2607. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6751 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य कर रहे मनीपुर सरकार के

कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता देने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मामले की अभी भी परीक्षा की जा रही है।

भारत के बड़े पत्तनों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन

2608. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बृजराज सिंह कोटा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पत्तनों के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों पर विचार कर लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या बड़े पत्तनों के लिये महाप्रबन्धकों के पद की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) शेष सिफारिशों पर कब विचार किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा बन्दरगाहों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सभी सामान्य सिफारिश जो रिपोर्ट में दी गई हैं वे जांच कर दी गई हैं और उन पर कार्यवाही की गई या सरकार का कार्यवाही का प्रस्ताव है, वह सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2391/68] इन सिफारिशों के अतिरिक्त, रिपोर्ट में प्रत्येक पत्तन पर टिप्पणी तथा निष्कर्ष भी हैं। ये संबंधित पत्तन अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही के लिये लादी गई हैं और इस संबंध में प्रगति का अवलोकन सरकार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

(ख) संलग्न विवरण के क्रम संख्या 15 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

नेशनल एयरोनाटिकल लैबोरेटरी, बंगलौर

2609. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री नेशनल एयरोनाटिकल लैबोरेटरी, बंगलौर में नियुक्ति के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6598 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समिति ने इस बीच जांच कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डा० गौतम हत्या कांड

2610. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में हुई डा० गौतम की हत्या की जांच सरकार ने पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है और विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान

2611. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1968-69 के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त की व्यवस्था की जाने के लिये अपनी योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) इनके लिये अब तक कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रिजर्व से अनुदानों की मांग की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). सड़क विकास की योजनाएं जो केन्द्रीय सड़क निधि से धन प्राप्त करती हैं, उनकी योजनाएं नहीं मंगाई जाती हैं और वर्ष से वर्ष के आधार पर अनुमोदित होती हैं। 1970-71 के अन्त वाले पांच वर्ष के लिये योजनाओं का प्रस्ताव जनवरी 1967 तक उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों से मांगा जाता है। राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित हो गये हैं और उनका ब्योरा संलग्न विवरण में है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2392/68]**

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि से उत्तर प्रदेश में अनुमोदित कार्य के लिए व्यय प्रगति पर है। 1968-69 के बजट इस्टीमेट में 40 लाख रुपये उपलब्ध किया गया है। इसमें से 35 लाख रुपये राज्य के आवंटन से 5 लाख रुपये सुरक्षित निधि से होगा।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सुरक्षित निधि से 14.93 लाख रुपये का अनुदान मांगा है।

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की सेवाओं में आरक्षण

2612. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की सेवाओं के लिये पंजाब तथा हरियाणा से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति किया जाता है; और

(ख) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में कुछ प्रतिशत पदों का वहां के निवासियों के लिये आरक्षण किया जाता है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन में अधिकतर कर्मचारी पंजाब और हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर हैं। सीधी भर्ती तभी की जाती है जब प्रशासन अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त कर्मचारी पाने में असफल होता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

चण्डीगढ़ में गुलाबों का उद्यान (रोज गार्डन)

2613. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में गुलाबों के उद्यान (रोज गार्डन) के रख रखाव पर प्रतिवर्ष कुल कितना धन खर्च होता है;

(ख) गुलाबों के इस बगीचे के गुलाबों की बिक्री अथवा निर्यात से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है; और

(ग) इस बगीचे को आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रख-रखाव का व्यय इस प्रकार है :

वर्ष 1967-68 में 20,000 रुपये

वर्ष 1968-69 में 40,000 रुपये (पूर्वानुमानित)

(ख) गुलाब उद्यान अभी विकास की स्थिति में है और इसलिये अभी तक उससे कोई आमदनी नहीं हुई है ।

(ग) गुलाब उद्यान मनोरंजन तथा यात्री आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है । इसके पूर्ण विकसित होने पर पुष्प तथा पौधों की बिक्री द्वारा आय होगी । आशा की जाती है कि यथासमय यह आत्म-निर्भर हो जायगा ।

चण्डीगढ़ स्थित संग्रहालय

2614. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ स्थित संग्रहालय पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) 1968 में अब तक कितने व्यक्तियों ने इस संग्रहालय को देखा था;

(ग) संग्रहालय के विकास के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) उसमें प्रदर्शन हेतु रखी गई कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 26,20,189/ रु०

(ख) 6-5-68 से, जब से संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, 30,000 व्यक्तियों ने संग्रहालय को देखा है ।

(ग) संग्रहालय के विकास के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने का प्रस्ताव है :

(i) स्लाइडों और फिल्मों, शैक्षिक फिल्मों की सहायता से शैक्षिक व्याख्यान आयोजित करके और प्रमुख विद्वानों की वार्ताओं की व्यवस्था करके शैक्षिक सेवाएं कार्यक्रम प्रारंभ करना;

(ii) नए प्रदर्शन कक्ष में, चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान इसके निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, कला प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।

(iii) पहले नई अवाप्तियों का अभिग्रहण करना और दूसरे देश के अन्य संग्रहालयों के साथ मूर्तियों के विनिमय की व्यवस्था के जरिए संग्रहालय के संग्रह को समृद्ध करना ।

(घ) बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस गार्ड, चौकीदारों, परिचरों आदि तैनात करने के अलावा इलैक्ट्रोनिक चोर घंटियां, दूहरे ताले और बिजली की 'काल-बेल' प्रणाली आदि की व्यवस्था करके सुरक्षा प्रबन्ध मजबूत करने का प्रस्ताव है ।

इलाहाबाद में गंगा नदी पर पुल परियोजना

2615. **श्री मधु लिमये** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में गंगा नदी पर पुल बनाने की परियोजना की क्रियान्विति करने में कुछ और प्रगति हुई है;

(ख) यह पुल यातायात के लिए कब खोल दिया जायेगा; और

(ग) इसके निर्माण पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1968 जुलाई तक पुल के लिए कुल 13 नीवों के लिए कुल 5200 फीट कुएं की नींव की गलाई में से 456 फीट स्टीनिंग की ऊंचाई डाल दी गई है और 289.23 फीट गलाई पूरी हो चुकी है। बाद में नदी में बाढ़ आने में कार्य रोकना पड़ा। ठेकेदार ने कार्य को आरम्भ करने का प्रबन्ध कर लिया है।

(ख) पूर्ण होने की संविदा तिथि मार्च 1972 है ।

(ग) मुख्य पुल की स्वीकृति अनुमानित लागत 225.47 लाख रुपये है, लेकिन इससे बढ़ जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र में होटल

2616. **श्री मधु लिमये :**

श्री जनार्दनन :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकारी क्षेत्र में होटलों का जाल बिछाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णी सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं; परन्तु एक विदेशी फर्म को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता ट्रामवे कंपनी

2617. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता ट्रामवे कंपनी के स्वामित्व को अपने हाथ

में लेने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) विषय अभी भी पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). चूंकि कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी को मुआवजा के निर्धारण और अदायगी से विदेशी मुद्रा का प्रवाह हो सकता है इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इस विषय में कब निर्णय लिया जायेगा ।

कैंटो हत्याकांड

2618. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री विभूति मिश्र :

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग के विशेषज्ञों को छिपे नागाओं के भूतपूर्व जनरल कैंटो की हत्या की जांच करने को कहा है;

(ख) क्या सरकार को केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इस बारे में कोई संकेत मिला है कि कैंटो की हत्या किसने की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). जांच जारी है ।

राजपथ व्यवस्था के प्रसार की योजना

2619. **श्री नि० रं० लास्कर:**

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राजपथों का विस्तार करने और पुरानी सड़कों को मजबूत बनाने तथा उनके स्थान पर नई सड़कें बनाने के लिये चौथी योजना में एक व्यापक योजना शामिल की जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर कुल कितना धन खर्च आयेगा; और

(घ) इसमें देश की परिवहन व्यवस्था में कहां तक सुविधा होगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का परिमाप अभी विचाराधीन स्थिति में है। देश में वर्तमान राजमार्ग प्रणाली के विस्तार मजबूती और पुराने राजमार्गों के स्थान पर नये राजमार्ग निर्माण के लिये उस परियोजना में एक योजना शामिल करने के प्रश्न पर चौथी योजना के लिये आवंटनों को अंतिमरूप दिये जाने और राजमार्गों के लिये धनराशि प्राप्ति की जानकारी मिल जाने के पश्चात ही विचार करने की संभावना है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय दण्ड संहिता का पुनरीक्षण

2620. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता के पुनरीक्षण के बारे में जांच पूरी कर ली है और सरकार को अपना पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और संहिता सम्बन्धी विधान को अन्तिम रूप दे दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मारमागाओं पत्तन

2621. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री दी० चं० शर्मा**
श्री हरदयाल देवगुण : श्री एस० आर० दामानी

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारमागाओं पत्तन के विकास के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करना संभव नहीं है ताकि भारी मात्रा में लोह-अयस्क की ढुलाई का काम हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) परियोजना को चालू रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग). लौह-अयस्क की ढुलाई के काम के लिये मारमागाओं पत्तन के विकास के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ऋण सहायता के लिये विश्व बैंक को लिखा गया है। जनवरी, 1968 में दिये गये ऋण सहायता के लिये प्रार्थना पत्र इस समय बैंक के विचाराधीन है। तब तक परियोजना के

कुछ जटिल पहलुओं पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। निकर्षण व उद्धरण के लिये मारमागाओं पोर्ट ट्रस्ट ने निविदा मांग ली है। परियोजना के लिये परामर्श अभियन्ता की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

दिल्ली पोलीटेक्नीकों के अध्यापकों की कार्य करने की दशा के बारे में जांच

2622. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पोलीटेक्नीकों और अन्य औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों ने अपनी कार्य करने की दशा के बारे में न्यायिक जांच की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। दिल्ली के पालीटेक्निकों और तकनीकी उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों ने ऐसी जांच की मांग की है।

(ख) उनकी मुख्य कठिनाइयां हैं :

(i) अन्य स्थानों पर नौकरियों के लिए अध्यापकों का व्यापक प्रव्रजन ;

(ii) वीमेन्स पालीटेक्निक के अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करना ;

(iii) अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच घोर निराशा और तकनीकी शिक्षा के स्तरों में गिरावट ;

(iv) अध्यापकों को विभिन्न तरीकों से सताना।

मामलों का संतोषजनक हल निकालने के लिए दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव ने दिल्ली तकनीकी अध्यापकों की संयुक्त परिषद के साथ विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दिया है।

शिक्षा शास्त्री की शिक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति

2623. **श्री रविराय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार वे अपने विभाग में एक शिक्षा शास्त्री की सचिव के रूप में नियुक्ति करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). विषय विचाराधीन है।

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप

2624. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें किसी पुलिस के कुछ

कर्मचारियों को डकैती करने का दोषी पाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पुलिस की समाज विरोधी तत्वों के साथ सांठ-गांठ के कारण दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय तस्करी में काफी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में दोषी पुलिस कर्मचारियों को पकड़ा गया है ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों का पुलिस पर से विश्वास न उठ जाये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उपरोक्त (क) से सम्बन्धित 6 मामले ।

(घ) ऐसे पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार तुरन्त और कड़ी कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली में पानी की बड़ी नाली का फट जाना

2625. **डा० सुशीला नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 सितम्बर, 1968 को दिल्ली में शक्ति नगर रेलवे फाटक के पास सादोरा कलां गांव में पानी की एक बड़ी नाली फट गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण बहुत से घरों में पानी भर गया था ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(घ) क्या इस घटना में तोड़फोड़ को किसी कार्यवाही का कोई सन्देह है ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा कोई जांच करने का आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जल-प्रणाल फटा नहीं था बल्कि प्रणाल में एक बड़ा सुराख हो गया था ।

(ख) सुराखदार प्रणाल में से पानी सदोराकला ग्राम की लगभग 50 झुग्गियों में चला गया जो कि नीचे के क्षेत्र में स्थित थीं ।

(ग) सम्पत्ति को कोई भारी हानि नहीं हुई बल्कि झुग्गियों में मामूली मरम्मतें करनी पड़ी थीं और जिसके लिए प्रभावित झुग्गीवासियों में से प्रत्येक को 25 रु० दिये गये थे । दो बिजली के खम्भे तथा पार्क-अहाते को भी क्षति पहुंची थी जिनकी बाद में मरम्मत कर दी गई ।

(घ) और (ङ). पुलिस को यह जांच करने के लिए रिपोर्ट कर दी गई कि कहीं यह तोड़-फोड़ का मामला तो नहीं था । उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिये आयोग

2626. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी जी के हत्या के षडयंत्र की जांच करने वाले आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1968 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का पुनः चालू किया जाना

2627. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सलाहकार व्यवस्था को पुनः चालू किये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). संयुक्त सलाहकार व्यवस्था अभी तक चालू है । अतः उसके पुनः चालू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों को मूल्यों में वृद्धि के समानुपात में महंगाई भत्ता दिया जाना

2628. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ मूल्य में वृद्धि के समानुपात में महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने के प्रश्न पर बातचीत की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार व्यवस्था और अनिवार्य विवाचन के लिए योजना के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय परिषद की आगामी बैठक 27 दिसम्बर, 1968 को होनी है । कार्यसूची में महंगाई भत्ते के पूर्ण विलय का मद शामिल है ।

Pay Scales of Primary and Secondary School Teachers in Uttar Pradesh

2629. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Nihal Singh :**
Shrimati Sushila Rohatgi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether some further progress has been made in fixing the pay scales or providing other facilities to the teachers of the Primary and Secondary schools in the Uttar Pradesh ;

(b) whether the pitiable economic condition of the teachers is proposed to be reviewed in the Fourth Five Year Plan ; and

(c) if so, the time by which a final decision would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Since the reply to Unstarred Question No. 5328 was given in the Lok Sabha on 23rd August, 1968, the Government of U. P. has revised, with retrospective effect from 1st July, 1968, the scale of pay of primary school teachers. The new scale is Rs. 110-125 and the estimated additional cost involved therein is Rs. 3 crores per year.

(b) and (c). Since a satisfactory solution of the problem will need raising of additional resources, it is felt that the matter should await consideration by the popular Government after the next mid-term elections.

Hindi Medium University in Mysore State

2630. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to the opening of the Hindi medium University in the Mysore State ;

(b) whether it is a fact that both the Minister of Education and the Deputy Prime Minister have been entrusted with the work of taking the required decision in this regard ; and

(c) if so, the time by which this scheme would be finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The Central Hindi Committee in their meeting held on July 20, 1968 decided that the Deputy Prime Minister and the Education Minister may prepare a scheme for this purpose. This recommendation is under consideration.

Bridges over River Jamuna in Delhi

2631. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to the proposed construction of the two bridges on the river Jamuna in Delhi for traffic ;

(b) the time by which the construction of these bridges is likely to be completed ; and

(c) whether the work of strengthening the present bridge on Jamuna would be started after the opening of the aforesaid two bridges for traffic ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The bridge near the "C" Power Station has been completed and is available for light traffic. The bridge behind Humayun's Tomb has been nearly completed except for the approach slabs. The bridges are expected to be ready in all respects by the end of this year.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

बर्दवान विश्वविद्यालय के उपकुलपति

2632. **श्री जि० मो० विस्वास :** **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री जनार्दनन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्दवान के उप-कुलपति ने त्याग-पत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उनके त्याग-पत्र के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये आसाम जैसा फार्मूला

2633. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू आटोनामी फोरम ने काश्मीर और जम्मू राज्य में आसाम फार्मूला लागू करने का अभियान चालू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने जम्मू आटोनामी फोरम के अध्यक्ष श्री बलराज पुरी द्वारा प्रेस में प्रकाशित एक पत्र देखा है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चम्पारन (बिहार) में नक्सलबाड़ी जैसी गतिविधियां

2634. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1968 के 'सर्चलाइट' तथा 'इंडियन नेशन' में नकसलाइट्स किल फार्मर 'लूट मेज क्राप' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि लूटने वाले 'नक्सलबाड़ी जिन्दाबाद' के नारे लगा रहे थे और उन्होंने ग्राम माधोपुर थाना पटाही जिला चम्पारन के अमीन चन्द शाह की मक्की की फसल लूट कर उसकी हत्या कर दी और अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में चल रही इन गतिविधियों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 21 सितम्बर, 1968 को लगभग 50 व्यक्तियों की एक सशस्त्र भीड़ ने श्री अमीन चन्द शाह पर आक्रमण किया । उसकी तत्काल मृत्यु हो गई । इस घटना के साथ कोई राजनीति उलझाव नहीं थे और नक्सलबाड़ी की प्रसंशा में कोई नारे नहीं लगाये गये ।

(ग) एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है ।

Report of Morarka Commission on D. M. C. and N. D. M. C. Affairs

2635. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri V. Narasimha Rao :
Shri R. K. Amin :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Meethalal Meena :
Shri D. N. Deb :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Morarka Commission constituted for examining the financial position of the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee has submitted its interim report to Government ;

(b) if so, the salient points made out in the report ; and

(c) the decisions taken by Government on the report ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The Morarka Commission have submitted its interim report to the Government and the Government have laid it on the Table of the House on 22nd November, 1968. The report is at present under consideration.

Section 144 in Delhi and New Delhi

2636. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the areas of Delhi and New Delhi where Section 144 has not been promulgated during the last two years and the areas where it has been promulgated along with the periods of its promulgation, the areas where it is currently in force and the period for which it is likely to continue ;

(b) the number of occasions when lathi-charge or cane-charge was resorted to during this period and the number of arrests made for violations of Section 144 ; and

(c) the number of demonstrations and meetings that were permitted during this period and the number when permission was not given ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2393/68]**

(b) No lathi-charge or cane-charge was resorted to during this period for any violation of section 144 Cr. P. C. However, on November 7, 1966, lathi-charge was resorted to, to disperse an unlawful assembly.

28,979 arrests have been made during the last 2 years for violation of orders under Section 144 Cr. P. C.

(c) Permission was granted for holding 4 demonstrations and 119 meetings and it was refused in case of 10 demonstrations and 11 meetings.

एच० एस० 748 का संचालन परिणाम

2637. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 1967-68 के लेखे तैयार हो गये हैं ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अपनी एच० एस० 748 हवाई सेवा की उड़ानों पर लाभ हो रहा है और यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो कितनी हानि हो रही है ; और

(ग) एच० एस० 748 के रुकने के स्थल कौन-कौन से हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) लेखों को तब से अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उनकी सरकारी लेखा-परीक्षकों द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). जो चार एच० एस० 748 विमान 1967-68 के दौरान, 2.5 महीनों के अन्तरों पर, लिये गये थे, उनका मुख्यतया प्रशिक्षण कार्य के लिये उपयोग किया गया। इसलिये उनका वाणिज्यिक उपयोग बहुत कम हुआ, और इस कारण इन विमानों की लाभप्रदता का अभी उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इन विमानों की लाभप्रदता का मूल्यांकन चालू वर्ष में उनके परिचालनों के परिणाम के आधार पर किया जायेगा।

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम

2638. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के कार्य संचालन के लगभग ठप्प हो जाने के कारण यात्रा करने वाली कलकत्ते की जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान कलकत्ता राज्य परिवहन निगम की केवल 50 प्रतिशत बसें चलाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के कार्य-संचालन की जांच करने और उसके कार्य को सुप्रभावी बनाने के लिये कोई उच्चधिकार समिति बनाने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राज्य सरकार के अनुसार, यह सच है कि यात्रा करने वाली जनता को बड़ी कठिनाइयां हैं क्योंकि कलकत्ता राज्य परिवहन निगम ने जो प्रभावी बसें चलाई हैं उनकी संख्या परिवहन सुविधाओं की मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी, नहीं, अभी हाल ही में 1966-67 में राज्य सरकार द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने निगम के कार्य-संचालन की जांच की ।

कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

2639. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री ई० के० नायनार :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने का निर्माण करने के बारे में मैसर्स मितसुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बहुत पहिले एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और भविष्य में उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). मैसर्ज मित्सुविशी हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, टोकयो ने कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिये 1966 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें खुला वाहक और 33000 डी० डब्लू० टी० दो तेल पोत खुला वाहक के लिये दो बिल्डिग और 53000 डी० डब्लू० टी० के जहाज के मरम्मत के लिए डाक का प्रस्ताव था, रिपोर्ट की सरकार ने जांच की, खुले वाहक में दुनिया का रुख हिन्दुस्तान जहाजी व्यापार का आकार सी हिन्दुस्तानी जहाज की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया कि 66,000 डी० डब्लू० टी० श्रेणी के वाहक के लिए डाक का निर्माण तथा 85,000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाज के लिए मरम्मत डाक कोचीन शिपयार्ड के लिये बनाया जाय । परियोजना के आकार में संशोधन के कारण मैसर्स मित्सुविशी हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को संशोधित परियोजना रिपोर्ट बनाने को कहा गया है जिसके लिये

जुलाई, 1968 संविदा का अन्तिम रूप दिया गया। संशोधित परियोजना रिपोर्ट की फरवरी, 1969 में आशा की जाती है। उसके प्राप्त होने तक,. भूमि व मिट्टी सर्वेक्षण, भूमि अर्जन, पानी व बिजली की व्यवस्था के विषय में पूरी कार्यवाही का प्रस्ताव है। राज्य सरकार और सम्बन्धित एजेन्सी को इन कार्यों के बारे में लिखा जा चुका है।

भाड़े की दरें

2640. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री नरेन्द्र कुमार सालवे :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न अमरीकी नौवणिक सम्मेलन में भाड़े की दरें बढ़ाने के विरुद्ध विरोध-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उक्त भाड़े की दरों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां, सम्बन्धित तीनों सम्मेलनों में इसका विरोध किया गया है। उनसे प्रार्थना की गई है कि फ्रेट की दर इकतर्फा न बढ़ाएं किन्तु कोई अन्तिम निश्चय करने से पूर्व जहाजियों और भारत सरकार से परामर्श करें।

(ख) और (ग). तीन सम्मेलनों में से एक ने जो अमेरिका से माल आयात करता है, घोषणा की है कि अभिवेदन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप उन्होंने बढ़ी हुई फ्रेट दरों की मात्रा 10 प्रतिशत से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमी कर दी है। दूसरे दो सम्मेलन जो अमेरिका के पूर्वी कोष्ट से हमारे माल का निर्यात करते हैं उसने परामर्श दिया है कि इस विषय पर उनकी सदस्य शाखायें ध्यान दे रही हैं। यद्यपि इन सम्मेलनों से कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, भारत के पूर्वी किनारे के क्षेत्रों से अमेरिका के पूर्वी कोष्ट की निर्यात करने वाले एक सम्मेलन ने प्रस्तावित सामान्य 10 प्रतिशत वृद्धि में निम्नांकित ढील देने की घोषणा की है :

(1) जूट तथा जूट से बनाई गई वस्तुओं पर फ्रेट दर में 7.5 प्रतिशत वृद्धि होगी।

(2) गुआरगम पर फ्रेट दर में 5.5 प्रतिशत वृद्धि होगी।

(3) शेलाक पर सब तरह फ्रेट दर में वृद्धि पर छूट दी जावेगी।

(4) जूट कास्पेट कपड़े पर फ्रेट दर की वृद्धि 11-2-69 तक स्थगित कर दी गई है।

अखिल भारतीय जहाज परिषद को हमारे व्यापार पर प्रस्तावित वृद्धि पर जांच करने को कहा गया है। और यह पता चला है कि उनके परामर्श पर व्यापार सम्बन्धित कई जहाजियों ने भी सम्मेलनों से विरोध प्रकट किया है। अखिल भारतीय जहाज परिषद राष्ट्रीय जहाज मालिकों और जहाज इस्तेमाल करने वालों की संयुक्त समिति ने दिनांक 4-12-1968 की मीटिंग में इस विषय पर विचार करने का प्रस्ताव किया है।

कांडला पत्तन

2641. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्रता से लदान करने के सुविधाओं के अभाव के कारण कांडला पत्तन में काफी कठिनाई उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने यह बताया है कि शीघ्रता से लदान करने की सुविधाओं के अभाव के कारण कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी है और माल के घाट में जहाजों के लदान की दर में कोई कमी नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्जीनियरी की संस्थाओं में दाखला

2642. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष इंजीनियरी कालिज और स्कूलों के दाखिले में भारी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यह कमी कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की मौजूदा बेरोजगारी को ध्यान में रख कर, तथा आने वाले वर्षों में ऐसे कार्मियों की नियत मांग के बारे में अनिश्चितता के कारण, उपलब्ध अनुदेशात्मक सुविधाओं के अनुसार प्रवरता के आधार पर तकनीकी संस्थाओं के दाखिलों को सीमित कर दिया है। चालू वर्ष में इंजीनियरी कालेजों के दाखिले गत वर्ष के 24,200 के विरुद्ध 17,000 के लगभग हैं। पोलीटेक्नीकों में गत वर्ष के 43,000 के विरुद्ध लगभग 30,000 दाखिले हुए हैं।

गांधी शताब्दी समारोह

2643. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा भारत से बाहर गांधी जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिये सरकार द्वारा की गई तैयारी का ब्योरा क्या है ; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०2394/68**]

Fast in front of Home Minister's Residence

2644. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons had staged dharna in front of his official residence on the 21st September, 1968 under the leadership of Shri Madhok, a Bhartiya Jan Sangh Leader ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A batch of 5 Jan Sangh workers led by Shri Balraj Madhok, M. P. resorted to dharna outside the residence of the Union Home Minister on September 21, 1968 to press for the institution of a Judicial inquiry into the happenings at the Indraprastha Bhavan on September 19, 1968.

(c) Government have already framed and communicated definite charges to the officers concerned with the wrong use of force at Indraprastha Bhavan on September 19, 1968 with a view to holding a departmental inquiry against them.

Theft of Idols From Khajuraho

2645. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreigners had been arrested on a charge of stealing idols from Khajuraho, a tourist centre in Madhya Pradesh, in the month of September, 1968; and

(b) if so, the number of idols recovered from these arrested persons, the number of persons arrested and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b). No theft of sculpture from Khajuraho or arrest of any foreigners in that connection in September, 1968, has come to this Ministry's notice. One sculpture from Chitra Gupta Temple at Khajuraho was, however, stolen on 21st August, 1968, allegedly by some foreigners. A report was made to the police immediately. According to information received from the District Collector and State Police, four foreign tourists were detained on suspicion but as the stolen sculpture was not found in their possession at the time they were apprehended, no arrests were made. The matter is under police investigation.

Declaration of Wrestlers as Professionals

2646. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained from the Indian Wrestling Association the

basis on which a wrestler is declared as a professional ;

(b) whether it is a fact that all the Indian wrestlers who were selected by the Wrestling Association for the Mexico Olympics had received wrestling prizes from the public from time to time ; and

(c) whether Government would enquire from the Wrestling Association the reasons for not declaring the wrestlers, who have been receiving prizes from the public, as professionals except a few of them ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). Under the rules governing the Olympic Games, it is the responsibility of the National Olympic Committee to certify the participants in the Games as 'Amateurs'. It is presumed that the Indian Olympic Association had fully satisfied itself about the status of the wrestlers included in the Olympic contingent for Mexico before certifying them as 'Amateurs'.

Arrests During Sino-Indian Conflict

2647. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Chinese and Indian nationals arrested in West Bengal and in other parts of the country at the time of Sino-Indian conflict of 1962 either for helping the enemy or on such a suspicion ;

(b) the number of such accused foreigners who were deported and the number of those who were prosecuted by the Union and State Governments ; and

(c) the number of Indians and foreigners sentenced, out of those against whom prosecution proceedings were initiated and the number of cases pending at present ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2395/68]** Information from Assam, Bihar and Jammu and Kashmir is awaited.

Indian Nationals Kidnapped by Pakistan and China

2648. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian nationals kidnapped by Pakistan from border areas of Jammu and Kashmir, Rajasthan, West Bengal and Assam and by China from Jammu and Kashmir and Assam, separately since 1st August, 1968 so far ;

(b) the number of Government employees among them ;

(c) the number of kidnapped persons returned by them so far and the number of those still in their custody ; and

(d) the steps being taken by Government to take them back ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of Indian nationals kidnapped by Pakistan from across the border since the 1st August, 1968 is as under :—

Jammu and Kashmir	Two
Rajasthan	One
West Bengal	Six
and Assam	Four

No Indian has been kidnapped by China from across the Jammu and Kashmir and Assam border during this period.

(b) Nil.

(c) Six (West Bengal—Four and Assam—Two) have been returned to India. Seven are still in Pak custody.

(d) Protests have been lodged with Pakistani authorities at appropriate levels and they have been moved to arrange for the return of the kidnapped Indian nationals.

Trials for Treason

2649. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Abdul Ghani Dar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of persons prosecuted on a charge of treason during the last eight years ;
(b) the details regarding the punishments given to them ;
(c) whether any one of them has been sentenced to death ; and
(d) if so, the number of those who were hanged ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). There is no specific definition of treason in the law of the land. However, persons have been prosecuted for committing offences under Chapter VI of the Indian Penal Code, the Official Secrets Act and the Defence of India Rules. A statement regarding such cases is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2396/68]**

Distribution of Hindi Books by Central Hindi Directorate

2650. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Hindi books distributed free by the Central Hindi Directorate and the number of books sent to foreign countries ; and

(b) the number of books distributed in each country and details regarding the expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b). During the three years, 1965-66 to 1967-68, 3,00,863 copies of books comprising 509 titles were distributed by the Central Hindi Directorate under the Scheme of Free gifts of Hindi books to school, college and public libraries in non-Hindi speaking States. The Directorate has no Scheme for distributing books to foreign countries.

Hindi under the Correspondence Course by Central Hindi Directorate

2651. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of persons who have been taught Hindi under the correspondence course run by the Central Hindi Directorate and the total number of persons who are being taught Hindi at present :

(b) the number of Indians and foreigners, separately, who are being taught Hindi ;

(c) the total expenditure incurred on this scheme so far and the number of persons who are implementing this scheme in the Central Hindi Directorate ;

(d) whether it is a fact that some persons have been recruited for this scheme from outside whereas the services of old experienced technical staff are available in the Commission and in the Directorate who could implement this scheme more efficiently ; and

(e) if so, the reasons for taking this action ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) 1,005 candidates were admitted to the first two-year general Course, started in March, 1968. All of them are still receiving tuition. The second general Course will start in March next.

(b)	Indians	840
	Foreigners	165

(c) The total expenditure incurred up to the 31st October, 1968 amounted to Rs. 56,000/- against an income of Rs. 35,000/- from fees. 23 persons of various grades have been sanctioned for implementing this scheme.

(d) and (e). This is a new venture in teaching a language through Correspondence. It is, therefore, necessary that persons who are required to help in the preparation of lessons and evaluation of candidates' response-sheets should possess not only qualifications in the language but also in linguistics and pedagogy. Accordingly for the posts of Assistant Education Officers and Evaluators sanctioned under the scheme a Master's degree in Hindi with a degree in Education plus three years experience of teaching Hindi to non-Hindi speaking people have been prescribed. Since these are Class II posts, these are required to be filled through the Union Public Service Commission. The technical staff employed in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology who possess the prescribed qualifications are also eligible to apply. The remaining posts sanctioned under the scheme have been filled in accordance with the recruitment rules prescribed for such posts in the Directorate.

Scientific and Technical Terminology Commission

2652. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 2193 on the 23rd November, 1966 and state :

(a) the present position in regard to the various schemes of the Scientific and Technical Terminology Commission;

(b) the expenditure incurred and the progress made in the implementation of each scheme so far; and

(c) the extent of work remaining and when it is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) to (c). A statement showing the schemes of the Commission for Scientific and Technical Terminology, expenditure incurred thereon yearwise, progress made thereof, together with the extent of work which remains to be completed is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2397/68]**

पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की शिफारिशें

2653. **श्री हेम बरुआ :** **श्री हेम राज :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री एम० मेघचन्द्र :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने वर्तमान संघ राज्य-क्षेत्रों को पूर्ण राज्य बनाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मनीपुर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर विचार किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर के नागा क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

2654. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के नागा क्षेत्र में भारत के नागरिकों के प्रवेश को निषिद्ध कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). रक्षा और भारत सुरक्षा तथा लोकहित के लिये मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचित करना आवश्यक समझा गया था। इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना सामान्य सांविधिक नियम संख्या 1595, दिनांक 29-8-1968 की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2398/68]

मुघेर (बिहार) के बिन्द दियार गांवों के बारे में विवाद

2655. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री मुघेर (बिहार) के बिंद दियार के गावों संबंधी विवाद के बारे में 30 अगस्त, 1868 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6846 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं तो सरकार ने इस बारे में और क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बिहार सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है और राज्य सरकार को सीमाओं के उचित निर्धारण के लिये शीघ्र कार्यवाही करने की सलाह दी जा रही है ।

Upgrading of Government Middle School, Bharoli-Kohala (Himachal Pradesh)

2656. **Shri Hardayal Devgun**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from Village Panchayat of Kamlota, Tehsil Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh and eight other Village Panchayats of that area demanding that the Government Middle School, Bharoli-Kohala, where 700 boys/girls are studying, should be upgraded to Higher Secondary level ;

(b) whether people of the area have been putting this demand before the State Government as also the Central Government during the last two years ;

(c) whether it is also a fact that the Panchayat has constructed 13 rooms for the Higher Secondary School and is prepared to construct four more rooms ;

(d) if so, the action taken by Government thereon ; and

(e) if no action has been taken, the reasons for the same ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). A representation from Village Panchayat of Kamlota was received in the Central Government in November of 1967 ; and it was forwarded, in original, to the Government of Himachal Pradesh for examination. That Government have informed that the question of upgrading of Bharoli-Kohala school will be considered by them next year along with that of other schools.

(c) to (e). The requisite information has been called for from the Government of Himachal Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Propagation of Marxist Literature in Kerala

2657. **Shri Ranjit Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Marxist literature is being propagated by the District Magistrates in Kerala ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such instance has come to notice of Government.

(b) Does not arise.

Propagation of Christianity in U. P. School

2658. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints against Nirmala Convent School, Bulandshahr, U. P. that christianity is being propagated there under the pretext of running a school ;

(b) if so, whether Government propose to make an enquiry into the matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir, certain complaints were received by District Magistrate, Bulandshahr.

(b) An enquiry was made into the various allegations levelled but these could not be substantiated.

(c) Does not arise.

Lack of Literature for Hill Areas of Union Territories

2659. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is absolutely no literature in most of the hill areas of the Union Territories due to absence of any script of their local dialects ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government for producing literature by framing scripts of the languages of these areas ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b). In those hill areas of Union Territories where local tribal dialects are spoken and which have no script of their own, there is generally dearth of written literature, although some printed material is available in Roman script in areas like Nagaland. The Government of India propose to publish some tribal folk-literature in Devanagari script in respect of such dialects which cover large areas and which are most capable of development. For this purpose, the Devanagari script is being modified to include diacritical marks for transcription of peculiar sounds of these languages which are not found in Devanagari script. An Expert Committee has been constituted for this purpose.

Surrender of Mizo

2660. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Sradhakar Supakar : **Shri Himatsingka :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri S. K. Tapuriah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of the strict action taken by the security forces the opposition of Mizo hostiles has almost been crushed and many hostiles have surrendered recently; and

(b) if so, the number of hostiles who have surrendered and the quantity and nature of arms seized from them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The security forces have been able to keep the Mizo rebels on the run and the operations continue. During September and October, 1968, 1,409 Mizo hostiles surrendered. The arms surrendered numbered 22 and included rifles and sten-guns.

Sharma Inter College, Bulandshahr

2661. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received the details of inquiry into the complaints against the Principal of the Sharma Inter College, Bulandshahr ;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in the matter ;

(c) if not, the reasons for the delay in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement containing the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2399/68]**

नेशनल फिटनेस कोर

2662. **श्री हेमराज :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फिटनेस कोर के कितने कर्मचारियों को, क्षेत्रवार, अक्तूबर 1968 के अन्त तक सेवा से हटा दिया गया था;

(ख) उनकी भर्ती ऐो शर्तें क्या थीं; और

(ग) उनमें से कितनों को वैकल्पिक रोजगार दे दिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के किसी भी राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारी को अभी तक उसके पद से नहीं हटाया गया है । चोकी (गुजरात) और हाबरा (पश्चिम बंगाल) के प्रशिक्षित केन्द्रों और बरवाह (म० प्रदेश) स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के बन्द हो जाने के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के 9 और चतुर्थ श्रेणी के 40 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है ।

(ख) उनकी नियुक्ति बिल्कुल अस्थाई आधार पर की गई थी और इसलिए उनकी सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती थीं ।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2400/68]**

Financial Assistance for Repairs of Temples and Mosques in States

2663. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time of merger of the Indian States, it was agreed

that Government would continue to provide assistance which used to be given by the Rulers for the repairs of the temples and mosques ; and

(b) if so, the names of States and number of temples and mosques therein to which Government are providing financial assistance and the annual quantum thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). At the time of the merger of former Indian States provision had been made in respect of some States for the purpose. A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2401/68]** As the expenditure in this behalf is incurred by the respective State Governments, information regarding the number of such institutions and the annual expenditure thereon is not available.

एक भारतीय का अपहरण

2664. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा कैला शहर के निकट ग्राम बोलापाशा के श्री सुधीर शील की पत्नी, श्रीमती सोमना शील को पाकिस्तानी गुण्डे 28 अगस्त, 1968 को बलपूर्वक उठाकर ले गये थे;

(ख) क्या गुण्डों ने उस महिला से बलात्कार किया था और उसके बाद उस अभागी महिला का धर्म परिवर्तन करने के बाद पाकिस्तानी क्षेत्र के हनीफ नामक एक व्यक्ति के साथ निकाह कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो श्रीमती सोमना शील को पाकिस्तानी गुण्डों तथा हनीफ के पंजे से छुड़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह सूचना मिली है कि श्रीमती सोमना शील अपने आप ही पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसके साथ कोई बलात्कार किया गया या उसका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया गया या किसी पाकिस्तानी के साथ विवाह किया गया। भारत को उसकी वापसी का प्रश्न पाक-अधिकारियों के साथ उठाया गया है।

अंदमान के सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिक संघ से ज्ञापन

2665. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1968 में सरकार को अंदमान तथा निकोबार सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिक संघ के प्रधान से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार को अंदमान तथा निकोबार सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिक संघ के प्रधान और अन्दमान लकड़ी उद्योग यूनियन, पोर्ट ब्लैर से दिनांक 12 सितम्बर, 1968 का एक पत्र प्राप्त हुआ है । पत्र में उठाये गये प्रसंगों तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2402/68]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड की क्रियान्वित सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

2666. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री नम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). समिति की सिफारिश का सारांश सभा-पटल पर रखे गये विवरण में देखा जा सकता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2403/68]**

मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित में संबंधित हैं :

(1) यार्ड की संस्था के ढांचे का पुनर्गठन ।

(2) उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से यार्ड के विकास का कार्यक्रम ।

(3) जहाजों के विक्रय मूल्य नीति का निश्चयीकरण और यार्ड में निर्मित जहाजी उपदान ।

(1) के संबंध में समिति ने सिफारिश की कि मैनेजिंग डाइरेक्टर और जहाज बनाने के डाइरेक्टर के अधिकारिकों की संख्या में परिवर्तन किया ताकि संस्था अधिकारण व आज्ञा में साफ भेद रहे । मेटीरिअल कन्ट्रोल डिपार्टमेंट आदि के पुनर्गठन के उपाय भी समझाये गये । यार्ड ने अपने मेटीरियल कन्ट्रोल डिपार्टमेंट का पुनर्गठन कर लिया है हल कंट्रक्शन डिपार्टमेंट को भी दो भागों में बांट लिया है प्रत्येक को एक स्वतंत्र मैनेजर के आधीन रखा गया है ।

(2) के बारे में शिपयार्ड 2 जहाज 18000 डी० डब्लू० टी० के प्रत्येक 6 जहाज वर्ष में 10 करोड़ रुपये के लागत पर बनाने की योजना बनाई है। कार्यक्रम की सरकार ने जांच कर ली है। शिपयार्ड ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिस पर सरकार जांच कर रही है। निर्णय तक सरकार ने कुछ कार्य आवश्यक मशीन व संयंत्र के मदों के अर्जन की स्वीकृति दे दी है।

(3) के बारे में विषय सरकार के विचाराधीन है। शिपयार्ड ने और सिफारिश को कार्यान्वित करने की प्रार्थना की है। सामान एकत्रित करने की पद्धति और स्टील की आवश्यकता की जांच को संबन्धित मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

Unused Cultivable Land in NEFA

2667. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the scheme formulated by Government to utilise lakhs of acres of cultivable land lying unused in NEFA ;

(b) whether Government propose to permit the farmers from other parts of India to cultivate the said land and to settle there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The unused cultivable land in NEFA does not run into lakhs of acres. A scheme for resettling families of ex-servicemen, ex-Assam Rifles personnel, NEFA employees and Bihari Labourers in NEFA has been formulated for implementation during the Fourth Plan Period.

(b) and (c). There is no such proposal under the consideration of Government as cultivable land in NEFA is limited.

Appointment of Judges by State Governments

2668. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the Chief Justice of India, Shri Hidayatullah, on the 5th October in a symposium held at Srinagar that the appointment of Judges by the State Governments is not proper ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such statement has been made by the Chief Justice of India.

(b) Does not arise.

Pay scales of Instructors in Polytechnics

2669. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay scales of the Instructors in the State Polytechnic, Lucknow and Workshop of Gorakhpur in U.P. are Rs. 100-180 and Rs. 120-220 respectively ;

(b) whether the pay scales of all other Polytechnic Workshop Instructors is Rs. 180-380; and

(c) if so, the cause of this disparity and the action being taken to remove it ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The disparity is due to the fact that the qualifications and experience for the posts at the Lucknow and Gorakhpur Polytechnics are lower than those for similar posts in other polytechnics. A suggestion is being made to the State Government to remove the disparity as far as possible.

Employees of U. P. Government

2670. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1120 on the 26th July, 1968 regarding employees of U. P. Government and state :

(a) whether the required information has been received ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). Yes, Sir. Statements showing the requisite information are annexed (Annexures I-V). **[Placed in Library. See No. LT-2404/68]**

(c) Does not arise.

Employees of Offices under Central Government or in Union Territories

2671. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 804 on the 30th August, 1968 and state :

(a) whether the information about the number, names and designations of employees of offices under the Central Government or in Union Territories where Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/68-Establishment (D), dated the 20th April, 1961 is applicable, has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). In our reply to part (b) of Starred Question No. 804 on 30th August, 1968, it was stated that the information regarding the number of employees of the Central Government and Centrally Administered Areas, who have benefited from the Home Ministry's O. M. No. 9/45/60-Estt.(D), dated 20-4-1961, would be collected and laid on the Table of the House. The names and designations of such employees are not being collected, as collection of this information would involve time and labour not commensurate with the public interest served in gathering it. As regards the number of employees who have benefited from the Home Ministry's Office Memorandum referred to above, complete information has not so far been received from some Ministries/Departments as they have to collect it from their attached and subordinate offices spread all over the country. Efforts are, however, being made to expedite the collection of this information for placing it on the Table of the House.

U. P. Publicmen Enquiries Ordinance, 1967

2672. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5695 on the 29th March, 1968 and state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh had issued the U. P. Publicmen Inquiries Ordinance, 1967 on the 21st October, 1967 ;

(b) if so, the names and designations of Publicmen, Districtwise, against whom action was taken till September, 1968 under the said Ordinance and the number of those who were found guilty ; and

(c) the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Action was not taken against any one under this Ordinance.

(c) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों की गिरफ्तारी

2673. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1968 में हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों को अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्होंने किन मांगों के कारण हड़ताल की थी; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) अध्यापकों को अनिवार्य सेवाएं बनाए रखना अध्यादेश, 1968 के उपबन्धों को तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था । अध्यापकों की मांग थी कि उन्हें पंजाब सरकार द्वारा अध्यापकों के लिए स्वीकृत उच्च वेतनमान दिये जाएं ।

(ग) दिल्ली के अध्यापकों के लिए स्वीकृत वेतनमानों को 21-12-1967 से लागू करने का पहले ही से निर्णय कर लिया गया है ।

दीमापुर (नागालैंड) के निकट अमरीकी धर्म प्रचारिका की गिरफ्तारी

2674. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री के० रमानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1968 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नागालैंड में दीमापुर के निकट एक अमरीकी धर्म-प्रचारिका जिसके पास आन्तरिक सीमा-क्षेत्र का परमिट नहीं था गिरफ्तार कर ली गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि उस धर्म-प्रचारिका के भारत में रहने सम्बन्धी परमिट की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उसके पास एक समाप्त रिहायशी परमिट था । फिर भी, उसने आगे ठहरने के लिये प्रार्थना की थी और सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों से इस सम्बन्ध से एक पत्र प्राप्त किया था ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5

2675. **श्री सि० मू० मूर्ति** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 को विशाखापत्तनम औद्योगिक क्षेत्र की ओर मोड़ने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार के लिये कोई धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है और यह कब की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस जिले में सूखे की स्थिति और अदक्ष श्रमिकों के लिये रोजगार की संभावनायें उत्पन्न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम से कम अब इस राशि के दिये जाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां । पूर्ण योजना के लिये 37.95 लाख रु० स्वीकृत अनुमानित लागत में से, 1968-69 में अब तक 10.72 लाख रु० का आवंटन कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Financial Assistance Received by Sheikh Abdullah from Pakistan

2676. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah is in receipt of Financial assistance from Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that he does so openly and claims that it is his right to receive all kinds of assistance from all corners of the world to liberate Kashmir ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Such information as Government have regarding receipt of financial assistance

from Pakistan is derived from intelligence reports which it would not be in the public interest to disclose.

(b) and (c). Government have no information about such admission by Sheikh Abdullah beyond a press report. Government would obviously take strong exception to any Indian national receiving such assistance.

Sheikh Abdullah's Activities

2677. **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the release of Sheikh Abdullah, the feelings of hatred and ill-will towards India have increased in the people of Kashmir ;

(b) whether it is also a fact that the people of Kashmir have begun to insult the Hindu tourists visiting Kashmir and go to the length of calling them 'Indian dog' ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to expurgate this vicious atmosphere ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government are not aware of any change in the feelings towards the country of the people of Jammu and Kashmir after the removal of restrictions on Sheikh Abdullah.

(b) and (c). No such tendency has come to notice. The State Government is vigilant in dealing with anti-national activities.

पश्चिम तट की सड़क

2678. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट की सड़क में 1963 में करनाड बाइपास, 1961 में कोप बाइपास और 1963 में वेस्ट कोस्ट रोड पर अडीपी बाइपास के ठेकों में विलम्ब भूमि के अर्जन में विलम्ब के फलस्वरूप होना बताया गया है और क्या यह विलम्ब उचित है;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ठेकेदारों पर जुर्माने लगाये गये हैं और यदि हां, तो जुर्माने की राशि क्या है और ठेकेदारों के नाम क्या हैं; और

(घ) कार्य को बजट और कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना मैसूर सरकार से मंगाई जा रही है और जल्दी से जल्दी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मेक्सिको को भेजी गई खेलों की टीमें

2679. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार ने मेक्सिको ओलिम्पिक खेलों में भेजी जाने वाली टीमों के

लिये पूरा किराया और अन्य खेलों की टीमों के लिये आधा किराया देकर भदभाव बरता है, क्या यह इसलिये था कि हाकी टीम स्वर्ण पदक विजेता थी परन्तु इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि अन्य खेल जैसे निशानेवाजी में भी भारत को एक पदक प्राप्त हुआ था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : ओलिम्पिक खेलों में सम्मिलित होने वाली हाकी टीम के लिए सरकार ने आने-जाने का पूरा खर्चा दिया था, जब कि अन्य टीमों के लिए किराये व्यय हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता सीमित की थी। ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों पर सरकार ने अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के परामर्श से विचार किया था और प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिए गए थे। भारतीय निशानेबाजी की टीम के किसी सदस्य ने ओलिम्पिक खेलों में कभी भी पदक नहीं जीता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

2680. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का नोटिस 19 सितम्बर से बहुत पहले दिया गया था जब कि संसद का सत्र चल रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार ने अत्यावश्यक सेवाएं तथा संधारण अध्यादेश 1968 जैसा कठोर कानून बनाने से पहले संसद् को विश्वास में नहीं लिया; और

(ग) चूंकि यह अध्यादेश राज्यों में रहने वाले काफी प्रतिशत लोगों पर लागू होता है क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पूर्व परामर्श किया था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 29-8-1968 को केवल एक संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया था जब संसद् का सत्र चल रहा था। अन्य संघों से हड़ताल के नोटिस 31-8-1968 के बाद प्राप्त हुए जब संसद् का सत्र नहीं चल रहा था।

(ख) इस तथ्य के अतिरिक्त कि हड़ताल का नोटिस केवल एक संघ से प्राप्त हुआ था जब संसद् का सत्र चल रहा था, उस समय अध्यादेश जारी करने का विचार नहीं था क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि वास्तव में हड़ताल नहीं की जायगी।

(ग) 13-9-1968 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 की धारा (1) के अन्तर्गत जारी किया गया और राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक नहीं था।

एयर इण्डियन द्वारा अमरीका के संघीय उड्डयन अधिनियम का उल्लंघन

2681. **डा० कर्णी सिंह** : **श्री सीताराम केसरी** :
श्रीमती इलामाल चौधरी : **श्री क० प्र० सिंह देव** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अक्तूबर, 1968 के 'इकनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित यह समाचार सच है

कि अमरीका के संघीय उड्डयन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दोषियों में एयर इंडिया एक है;

(ख) यदि हां, तो संघीय उड्डयन अधिनियम के उपबन्धों का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है;

(ग) क्या इससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के नाम पर धब्बा लगा है;

(घ) दोषियों को दण्ड देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसे उल्लंघनों को भविष्य में रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस विषय में सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के सिविल एयरोनौटिक्स बोर्ड के सामने कार्यवाही चल रही है, तथा एयर इण्डिया ने प्रतिवेदन किया है कि इस विषय में उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है।

(घ) और (ङ). बोर्ड द्वारा की गयी छानबीन के निष्कर्ष प्राप्त हो जाने पर सरकार मामले पर विचार करेगी।

शिक्षा सम्बन्धी रूस के दौरे

2682. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत सरकार के साथ अक्टूबर, 1968 में हुए एक समझौते में यह व्यवस्था की गयी है कि सोवियत संघ में वैज्ञानिक अनुसंधान करने तथा उस देश में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का भी अध्ययन करने के लिये कुछ भारतीय विशेषज्ञ वहां जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दौरों पर सरकार का अनुमानत: कितना खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) इसके फलस्वरूप क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस करार में करीब चार सप्ताहों के लिए रूस जाने और उस देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए जिसमें इंजीनियरी अनुसंधान तथा प्रयोगशाला के उपकरण भी शामिल हैं–15 भारतीय विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था है।

(ख) कुल 1,50,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें रूसी सरकार से रूबल उधार के तौर पर 70,000 रुपए भी शामिल हैं।

(ग) भारतीय विशेषज्ञों का यह दौरा अग्रिम अध्ययन के चार केन्द्रों और भारत रूस-क्रेडिट करार 1966 के अन्तर्गत सोवियत सरकार के सहयोग से भारत में इंजीनियरी अनुसंधान की स्थापना के सम्बन्ध में है।

यात्रा एजेंसियों की गैर-कानूनी गतिविधियां

2683. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी यात्रा एजेंसियां हैं; और

(ख) क्या इनमें से किन्हीं एजेंसियों को हाल ही में दुर्लभ मुद्रा के जाली यात्री चैक देने सम्बन्धी अवैध कार्यवाहियां करते हुए पाया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 36 एजेंसियां (अभिकरण) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची पर हैं।

(ख) इन अनुमोदित एजेंसियों में से कोई भी जाली 'विदेशी यात्री चैकों' को जारी करने के मामले में शामिल नहीं पायी गयी हैं।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा प्राप्त किया गया विदेशी धन

2684. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद को फोर्ड फाउंडेशन, एशिया फाउण्डेशन और अन्य विदेशी निकायों से धन मिलता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसके द्वारा विभिन्न विदेशी एजेन्सियों से प्राप्त की गई राशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद को अतीत में राकफेलर फाउंडेशन, कार्नेगी एन्डोमेंट फार इन्टरनेशनल पीस, फोर्ड फाउंडेशन तथा एशिया फाउन्डेशन से धन मिला है।

1. 1963 से परिषद को केवल फोर्ड फाउंडेशन तथा एशिया फाउंडेशन से धन मिला है।

2. फोर्ड फाउंडेशन से 1963 में 35,000 डालर तथा 1964 में 40,000 डालर के अनुदान प्राप्त हुए हैं। एशिया फाउंडेशन से 1964 में 3,75,000 रु० तथा 1965 में 20,000 रु० के अनुदान प्राप्त हुए हैं। इन दोनों फाउंडेशनों से प्राप्त अनुदान अनुसन्धान-प्रयोजनों के लिए थे।

3. सरकार ने पहले ही एशिया फाउंडेशन को भारत में अपनी गतिविधियां समाप्त करने को कहा है। फोर्ड फाउंडेशन के संबंध में कोई प्रतिकूल सूचना नहीं है।

Rifles Found Near Gobindbari (Agartala)

2685. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri P. Venkatasubbaiah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rifles were recovered in large number recently from a jungle near Gobindbari at a distance of 190 kilometres from Agartala ;

(b) if so, the name of the country whose markings these rifles bear ; and

(c) the action taken by Government to trace the culprits and also to check the inflow of arms from across the borders ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Separate Unloading Berths at Ports

2686. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Brij Raj Singh Kotah :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the dust which emanates at the time of unloading foodgrains and fertilizers from the ships in the sea-ports spoils other articles and puts the cranes out of order ; and

(b) if so, the action taken with a view to improve the situation and arrange separate berths for unloading different kinds of cargoes from the ships ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The position varies from port to port as indicated below :—

Calcutta Port :

Generally, foodgrains and fertilisers are discharged by vessels in bags and as such, the question of dust affecting other articles or cranes on shore does not arise. However, at berth Nos. 23 and 24 of the Kidderpore Docks, foodgrain is discharged in bulk from vacuators. This mode of discharge throws out some dust but the dust released is not so heavy as to put the cranes out of order. Since only foodgrains are handled at these berths, the question of the other cargo getting contaminated by the dust from the bulk discharge does not arise.

Bombay Port :

Discharge of foodgrains in bulk is restricted to berths 7 to 9 and 10 to 12 in the Alexandra Dock. Grain discharging equipment has been installed at these berths. The equipment has a device to trap the dust emanating from the discharge of foodgrains. Immediately after discharge, the grain is received directly into hoppers provided by the port authorities in the sheds alongside and the grain from the hoppers is decanted into bags. In spite of all these precautions, a certain quantity of fine dust escapes into the area alongside vessels discharging the grain and settles on certain parts of the electrically-operated cranes which tends to have an adverse effect on their working. The chances of other cargo getting contaminated in the

process are remote since the berths, at which foodgrains are discharged, are used exclusively for foodgrains and not for any other cargo. The discharge of fertilisers in bulk is restricted to berths 14 and 15 in Alexandra Dock and berth No. 12 in the Victoria Dock. Off and on, it becomes necessary to allot an additional berth but care is taken to see that the shed alongside does not have any packages of cargo lying stored when these bulk commodities are handled at these berths. Fertilisers imported in bulk are discharged in rope net slings by means of shore-side cranes or by ships' winches. When shore-side cranes are used, more particularly to discharge rock phosphate and sulphur in bulk, the cranes frequently tend to go out of order.

To mitigate the difficulties caused by the dust nuisance, the discharge of these bulk commodities is confined to certain specified berths in the Docks and attendants are posted in the vicinity, where these commodities are being discharged, so as to enable prompt repairs to any crane getting immobilised.

Madras Port :

Foodgrains, fertilisers and other cargoes such as phosphate and ore produce a certain amount of dust when they are handled. The dust produced affects to a certain extent the equipment such as cranes but this cannot be helped as the cranes are essential for handling the cargo. The Port Trust provide cyclone chambers to reduce dust nuisance when foodgrains are discharged through vacuators. In addition, remedial measures such as periodical cleaning of the equipment is done for wiping out the dust off the equipment.

The number of alongside berths at the Port is 18 out of which four to five are allotted to food and fertiliser vessels and the remaining berths for other vessels.

Cochin Port:

Normally, foodgrains and fertilisers arrive and are discharged in bags and hence the Port authorities do not encounter any difficulty on account of dust. Consignments of wheat, however, arrive in bulk and are bagged on board before discharge. Recently, the Food Corporation of India have installed Buhler pumps for discharge of bulk wheat, but this is being done in a limited way as only four Buhler pumps are now available for such discharge. The discharge of bulk wheat by Buhler pumps causes a certain amount of dust but such discharge is done only in sheds where there is no other cargo such as tea, cashew etc., which will become contaminated by dust. Bulk fertilisers are discharged mostly in stream and are stacked in the port area away from other cargo.

The port has not experienced any difficulty relating to damage to cranes on account of dust arising from bulk discharge of foodgrains and fertilisers.

As a general measure, it is not physically possible nor is it considered necessary, from the point of view of possible damage, to allot a separate berth for each commodity, especially in the case of general cargo. Care is, however, taken to see that cargoes which are easily susceptible to damage by the nearness of the other cargo, are as far as possible, kept away from such cargo.

Visakhapatnam Port :

Foodgrains and fertilisers are bagged on board the vessels before discharge at the port. Consequently, no dust nuisance is caused. Separate berths are allotted for discharge of foodgrains and fertilisers and general cargo is handled at other berths. The cranes are not affected by the handling of foodgrain and fertiliser.

Kandla Port :

Dust emanating from unloading of foodgrain from ships has not caused much damage to other articles or cranes.

At this port, fertiliser ships are normally berthed at two specific berths. Loose fertilisers coming in contact with rails or cranes tend to corrode and damage the same. Continuous maintenance of the cranes and railway tracks is effected to avoid damage to them. As far as possible, no other cargo is stored near places where fertilisers are being handled.

Mormugao Port :

There is no traffic in bulk foodgrains and fertilisers at this port. Imported foodgrains and fertilisers handled at this port come in bagged form and as such, no problem of dust nuisance from this traffic arises. Foodgrain and fertiliser ships are handled at different berths.

Paradip Port :

The port has no such experience of dust nuisance since only iron ore is loaded at the Port.

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

2687. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा कानून द्वारा अनिवार्य है और किन राज्यों ने इसे लागू किया है ।

(ख) यदि अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं की गयी है तो संवैधानिक उपबन्ध का पालन करने और कानून का सामान्य आदर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ग) यदि इसे आंशिक रूप से लागू किया गया है तो क्या सरकार राज्य सरकारों के ध्यान में यह बात लायेगी कि भेदभाव उचित नहीं है और इससे भ्रष्टाचार फैलेगा; और

(घ) क्या सरकार इस बात पर बल देना चाहती है कि जिनका नाम स्कूलों में लिख दिया गया है कम से कम उन पर यह कानून लागू हो ताकि उनकी साक्षरता से उन पर होने वाले व्यय का औचित्य सिद्ध हो ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). लगभग सभी राज्य सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अधिनियमित कर दिये हैं, जिनमें यह व्यवस्था दी गई है कि उनको लागू करने के आधार तैयार होते ही, उसे एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में लागू किया जाए । सरकार के पास जो नवीनतम सूचना (1964-65) उपलब्ध है, उसके अनुसार ये अधिनियम, देश के 1,59,995 शहरों और गांवों में लागू कर दिये गये हैं । किन्तु विद्यमान सामाजिक-आर्थिक अवस्थाओं में, इन अधिनियमों को पूरी तरह से लागू करना व्यवहारिक नहीं है । इसलिए सांविधिक अनिवार्यता लागू करने के बजाय, कक्षा में हाजिर रहने के लिए अनुनय-विनय द्वारा तथा कुछ आकर्षण रख कर कोशिश करना ज्यादा बेहतर है ।

(ग) भेदभाव अथवा भ्रष्टाचार के किसी मामले की जानकारी सरकार को नहीं है और इसलिए उसके द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस सुझाव को, जिस पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 34वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है ।

मंगलौर विमान अड्डा

2688. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन निदेशक ने इंडिया एयरलाइन्स कारपोरेशन को यह सूचना कब दी थी कि मंगलौर पत्तन डकोटा विमानों के परिचालन के लिये तैयार हो गया है;

(ख) क्या अब निश्चित की गई तिथि 11, नवम्बर 1968 से पहले वहां विमानों का परिचालन आरम्भ करने के लिये कोई विमान तथा विमान-चालक उपलब्ध नहीं थे;

(ग) मंगलौर विमान अड्डे पर कर्मचारियों, जो विलम्ब के कारण बेरोजगार रहे, पर कितना खर्च आता है;

(घ) क्या इस विलम्ब के लिये किसी को जिम्मेवार ठहराया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पिछले वर्ष इसी अवधि में मंगलौर-बम्बई मार्ग से कितनी शुद्ध आय हुई थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सितम्बर, 1968.

(ख) इंडियन एयरलाइन्स, मंगलौर से सेवा को तब तक पुनः चालू नहीं कर सके, जब तक कि उन्होंने अपने विमानों की समय-सूची फिर से तैयार करके, विमान-कर्मियों तथा कर्मचारियों को अपने-अपने स्थान पर तैनात करके एवं समय-सूची की सूचना अग्रिम रूप से प्रचारित करके तद्विषयक आवश्यक प्रबन्ध नहीं कर लिये । सूचना प्राप्त होने पर इंडियन एयरलाइन्स ने उक्त बातों की समीक्षा की तथा सेवा को शीतकालीन समय-अनुसूची के प्रवर्तन के समय 11 नवम्बर, 1968 से पुनः चालू करने का निर्णय किया ।

(ग) मंगलौर में तैनात नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाला व्यय 13,228/-रुपये प्रति मास बैठता है । जिस समय मंगलौर के धावन-पथ में परिवर्तन कार्य चल रहा था उस अवधि में ये कर्मचारी पूर्ण रूप से विनियुक्त नहीं थे ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

(च) मंगलौर-बम्बई मार्ग पर अप्रैल, 1967 से अक्तूबर, 1967 तक, जिस समय कि इस सेवा को बन्द किया गया, कुल आय लगभग 11.12 लाख रुपये थी, जिसके विपरीत उसी अवधि में कुल परिचालन लागत लगभग 21.42 लाख रुपये थी ।

आदर्श पाठ्य-पुस्तक योजना

2689. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने अब तक आदर्श पाठ्य-पुस्तक योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की है;

(ख) परिषद ने अब तक कितनी आदर्श पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्य में संशोधन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2405/68]

(ख) 48

(ग) और (घ). राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्य और कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के लिए, भारत सरकार द्वारा स्थापित समिति ने पाठ्य-पुस्तक योजना के सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। सिफारिशें, राष्ट्रीय परिषद के विचाराधीन हैं।

कोचीन पत्तन

2690. **श्री जनार्दनन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में बहुत गाद जमा हो गई है और क्या इससे नौवहन मार्गों, घाटों, मोड़ बेसिनों तथा नौबन्धों पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इससे मजबूर होकर बड़े जहाजों का इस पत्तन पर आना भी बन्द हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो गाद को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कोचीन पत्तन पर कोई असाधारण गाद नहीं है। परन्तु नाले के जगहों पर गाद जमा हो गई है जो पत्तन के निकर्षक बेड़े की कमी के कारण कुछ वर्षों से नहीं हटाई जा सकी। एमकुलम नौवहन मार्गों में नये अलग जगहों को बनाने के कारण निकर्षण की मात्रा की अधिकता के कारण जो वर्तमान निकर्षक के वर्षों के कारण उसकी कुशलता में उत्तरोत्तर कमी के कारण घाटों व पहुंचमार्गों में अपेक्षित गहराई को बनाए रखना संभव नहीं हो सका है।

(ख) पत्तन में 30 फीट का डुबाव बनाये रखने की आशा की जाती है परन्तु किसी जहाज के कोचीन पत्तन पर इस कारण आना बन्द कर दिया हो ऐसी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है।

गजेटियर तैयार करना

2691. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असन्तुलित कार्यक्रमों तथा कार्य करने के बेतरतीब तरीकों से गजेटियरों के कार्य में गत 13 वर्षों से शिथिलता आई हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य-स्तर पर परियोजना संपादकों को जल्दी-जल्दी स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा ऐसे क्षेत्र कार्यों को हाथ में नहीं लिया जाता जिनमें परिश्रम करना पड़े; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसके कार्यकारी दलों के पुनर्गठन का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। योजना केवल 1958 में कार्यान्वित की गई थी और उसने संतोषजनक प्रगति की है। योजना की शैक्षिक प्रकृति के बावजूद और साथ ही यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना होने के नाते, एक तिहाई से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। 330 तथा कुछ जिला गजेटियरों में से 134 के प्रारूप पूरे हो गये हैं, जिनमें से 68 प्रकाशित हो चुके हैं।

(ख) जिला गजेटियरों के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सम्पादकों की नियुक्ति / तबादले आदि उन्हीं पर निर्भर करते हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आयोजना आयोग इस योजना को राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का निर्णय कर चुका है।

पारादीप पत्तन के विकास-कार्य की जांच करने वाली समिति

2692. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन के विकास-कार्य की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). पारादीप पत्तन के खनिज लोहे के अलावा यातायात शक्ति की जांच करने के लिये मार्च, 1967 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। अध्ययन दल की रिपोर्ट नवम्बर 1967 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

रिपोर्ट में यह व्यवस्था की गई है कि 1970-71 के लगभग, पत्तन 3.4 लाख 27 सामान्य माल ले सकेगा और यह सिफारिश की गई कि पारादीप में एक सामान्य माल रखने का अलग स्थान बनाया जाना चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर एक सामान्य माल के लिए अलग जगह बनाने के प्रस्ताव पर जांच किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री की दक्षिणी अमरीका से वापसी की यात्रा के लिये विमान

2693. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री के० रमानी :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने लातीनी अमरीका के देशों के हाल के दौरे के पश्चात न्यूयार्क से नई दिल्ली की अपनी वापसी यात्रा शान्ति दल के स्वयंसेवकों के साथ एयर इंडिया के एक विमान में की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह विमान शान्ति दल के स्वयंसेवकों के लिये किराये पर लिया गया था और प्रधान मंत्री ने भी उसी विमान से यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो शान्ति दल के स्वयंसेवकों के लिए किराये पर लिये गये विमान में यात्रा करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग). प्रधान मंत्री महोदया और उनके दल ने 15 अक्तूबर, 1968 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 104 से न्यूयार्क से नई दिल्ली की सामान्य किराया देकर यात्रा की। इस उड़ान को पहले ही जून, 1968 में यू० एस० के शांति दल स्वयंसेवकों (पीस कोरव ालंटीयर्स) ने किराये पर लिया हुआ था। प्रधान मंत्री और उनके दल को इसी उड़ान में स्थान दे दिया गया क्योंकि उस तारीख में एयर इंडिया की और कोई उड़ान नहीं होनी थी। जितने प्रधान मंत्री के दल में सदस्य थे चार्टर विमान के उतने यात्रियों को एयर इंडिया ने अपनी अगली अनुसूचित न्यूयार्क से नई दिल्ली की उड़ानों को हस्तान्तरित कर दिया। इस प्रबन्ध में एयर इंडिया या चार्टरर द्वारा प्रधान मंत्री और उनके दल के लिए कोई रियायत देने का प्रश्न नहीं हुआ। प्रधान मंत्री और उनके दल का किसी विदेशी एयरलाइन से यात्रा करने का अर्थ होता देश के लिये विदेशी मुद्रा की हानि और एयर इंडिया की आय में क्षति।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये श्रम आयुक्त

2694. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री उमानाथ :**
श्री गणेश घोष : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का उप-आयुक्त श्रम आयुक्त

के रूप में भी कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अलग श्रम आयुक्त न रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के उप आयुक्त इस समय द्वीप समूहों के पदेन श्रम आयुक्त भी हैं । फिर भी, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के लिए हाल में ही श्रम आयुक्त का एक अलग पद स्वीकृत किया गया है ।

कुकी सरदार के मकान को आग लगाना

2695. **श्री हिम्मत सिंहका :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि स्वचलित हथियारों से लैस लगभग 40 विद्रोहियों ने 12 अक्तूबर, 1968 अथवा इसके आसपास किसी दिन सदर हिल्स में नुरथां ग्राम में एक कुकी सरदार के मकान को उसकी पत्नी तथा उसके बच्चों को मकान में बन्द करने के पश्चात आग लगा दी थी और इस प्रकार उन सबको जिन्दा जला दिया ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि पिछले काफी समय से मिजो विद्रोहियों ने अपनी विद्रोहात्मक गतिविधियां फिर बड़ा दी हैं; और यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में हुई शत्रुतापूर्ण घटनाओं का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 11 अक्तूबर, 1968 को लगभम 30/40 मिजो कुकी विद्रोहियों ने सदर हिल्स में नुरथां ग्राम पर हमला किया और ग्राम मुखिया चिमशोंग के घर को आग लगा दी । वह और अन्य घर वाले घर से अनुपस्थित थे जिसे जला डाला था । कोई जिन्दा नहीं जलाया गया ।

(ख) उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं और पुलिस द्वारा सन्देह में 12 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ग) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1968 के महीनों में क्रमश: 5, 3 और 2 हिंसात्मक घटनाएं हुईं ।

आन्ध्र प्रदेश के तुंगभद्रा पर पुल

2696. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 16 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 879 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में माधवरम मंत्रालय के निकट तुंगभद्रा नदी पर एक अन्तर्राज्यीय पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसके लिए धनराशि नियत कर दी गई है; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला स्वतंत्रता-पूर्व के दिनों से विचाराधीन है, क्या सरकार का विचार इस पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। 10 सितम्बर, 1968 को भारत सरकार ने प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए 44.75 लाख रु० के अनुमानित लागत की मंजूरी दी इसमें से 14.92 लाख रु० जो एक-तिहाई के बराबर है उसके बराबर अनुदान दिया गया। शेष लागत मैसूर व आन्ध्र प्रदेश बराबर वहन करेंगी।

(ख) पुल के निर्माण के लिए निविदा को जल्दी मंगाई जाने की आशा है। निविदा के चुनाव के बाद और संविदा देने के बाद कार्य प्रारंभ होगा।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सहायक महाप्रबन्धक का कमरा बदलना तथा उसका नवीकरण

2697. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सहायक महाप्रबन्धक के कमरे को बदलने पर किया गया खर्च 42,000 रुपये से भी अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए वास्तव में कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कमरे को बदलना अत्यावश्यक नहीं था और यह खर्च फिजूल था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की अपव्ययता को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। वास्तव में हुआ व्यय 8,930/- रुपये था।

(ग) और (घ). कारपोरेशन ने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थान निकालने तथा अतिरिक्त जगह किराये पर लेने के खर्च से बचने के लिये यह पुनर्व्यवस्था करना आवश्यक समझा।

उत्तर प्रदेश की सड़क विकास योजना

2699. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री उत्तर प्रदेश की सड़क विकास योजना के सम्बन्ध में 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2406/68]

उत्तरी बंगाल में बाढ़ से सड़कों को क्षति

2700. **डा० रानेन सेन :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल में हाल की बाढ़ के कारण सड़कों तथा पुलों को कितनी क्षति हुई है;

(ख) इनकी मरम्मत के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने मरम्मत कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो कितनी और क्या सहायता मांगी गई है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) . उत्तरी बंगाल में नुकशान काफी अधिक हुआ था । इसमें पर्वतीय भागों में भारी भूमि-स्खलन सड़कों के कुछ हिस्सों और पुलों तथा पुलियों का बह जाना और मैदानी भागों में पानी भर जाने से सड़कों को गाड़ी चलाने के आयोग्य हो जाना शामिल है । पश्चिमी बंगाल के समस्त राज्य में राष्ट्रीय राज-मार्गों पर अस्थाई मरम्मत और नुकशान को पूरा करने पर अनुमानित 1.11 करोड़ रुपये व्यय होगा । इसमें राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 31-क, जो कि सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के अधीन है, शामिल नहीं है । राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 31-क सहित बोर्ड के आधीन सभी सड़कों पर हुई क्षति की मरम्मत पर लगभग मोटेतौर पर अनुमानित 7.4 करोड़ रुपये खर्च होगा ।

जहां तक राज्य सड़कों पर हुए नुकशान का सम्बन्ध है उस पर योजना आयोग द्वारा भेजे गये दल द्वारा अध्ययन किया जा चुका है । उनकी रिपोर्ट हाल ही में सरकार को दे दी गई है और सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) से (ङ). जी हां, राज्य सरकार ने राज्य की सड़कों की अस्थायी मरम्मत और क्षति पूरा करने के खर्च के लिये आर्थिक सहायता की मांग की है। क्षति को अस्थायीतौर पर पूरा करने के लिये लगभग 57 लाख रुपये अक्तूबर, 1966 में राष्ट्रीय राज-मार्गों को छोड़कर सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के अधीन सब सड़कों और पुलों पर 387 लाख रुपये की सहायता मांगी गई है :

राष्ट्रीय राज-मार्ग केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और उन पर होने वाला खर्च भारत सरकार को पूरा करना है। चालू वर्ष में पश्चिमी बंगाल में सीमान्त सड़कें विकास बोर्ड के अधीन राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 31-क को छोड़कर बाढ़ से क्षत राष्ट्रीय राज-मार्गों की मरम्मत के लिए 35 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को राष्ट्रीय राज-मार्गों की मरम्मत के लिए पहले दी गई धनराशि के अतिरिक्त है।

सन् 1969-70 को मरम्मत के लिये शेष 56 लाख रुपये की आवश्यकता है यह धन-राशि की व्यवस्था उस वर्ष के बजट में की जावेगी और उसके अलाटमेंट की सूचना यथासमय राज्य सरकार को संचारित की जाएगी।

जहां तक सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के अधीन राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 31-क तथा दूसरी सड़कों का सम्बन्ध है उक्त बोर्ड कार्यों के लिए योजना बनाने और उनके लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने का प्रबन्ध कर रहा है।

त्रिपुरा में संगकर्क की गतिविधियां

2701. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री किरित बिक्रम देव वर्मन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि त्रिपुरा की आदिम जाति के लोगों का संगकर्क नामक एक भूमिगत संगठन हैं जो कि राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है;

(ख) संगकर्क का अस्तित्व कब से है;

(ग) क्या यह सच है कि संगकर्क के सदस्य पूर्वी पाकिस्तान के काचालोंग में नियमित सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं और हाल ही में उनके पास से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राइफलें पकड़ी गयी हैं;

(घ) इस बारे में पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ङ) संगकर्क पर रोक लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार को त्रिपुरा सिंग्रेक संघ की गत एक वर्ष की अवैध गतिविधियों की जानकारी है।

(ग) ऐसी सूचना नहीं है कि सिंग्रेक संघ के सदस्य पूर्वी पाकिस्तान में काचालोंग में प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं किन्तु कोई व्यक्ति अभी तक पाकिस्तानी राइफलों के साथ गिरफ्तार नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सिंग्रेक संघ की समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये आवश्यक निरोधक उपाय, जिसमें भिन्न-भिन्न भीतरी क्षेत्रों में कुछ पुलिस चौकियों की स्थापना भी शामिल हैं, किये गये हैं और सतर्कता बरती जा रही है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

Enforcement of Central Acts in Kashmir

2702. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to enforce some more Central Acts in Kashmir in the near future;

(b) if so, the names of such Acts; and

(c) whether the consent of the Government of Jammu and Kashmir has been received in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government propose to undertake necessary legislation for extending certain Central Acts to the State of Jammu and Kashmir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

S. No.	Names of the Act
1.	The Workmen's Compensation Act, 1923
2.	The Trade Unions Act, 1926
3.	The Children (Pledging of Labour) Act, 1933
4.	The Payment of Wages Act, 1936
5.	The Employees' Liability Act, 1938
6.	The Employment of Children Act, 1938
7.	The Weekly Holidays Act, 1942
8.	The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
9.	The Industrial Disputes Act, 1947
10.	The Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947
11.	The Minimum Wages Act, 1948
12.	The Factories Act, 1948
13.	The Employees State Insurance Act, 1948
14.	The Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948
15.	The Working Journalists (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955
16.	The Motor Transport Workers Act, 1961
17.	The Maternity Benefit Act, 1961
18.	The Payment of Bonus Act, 1965.

(c) Yes, Sir.

Strike by Bihar Government Non-Gazetted Employees

2703. **Shri Ramavatar Shastri**:. Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the non-gazetted employees of Bihar had gone on five days' strike during the Soshit Dal regime;

(b) whether it is also a fact that the said Government had deducted their five day's salary ;

(c) if so, the total number of the striking employees and the total amount deducted from their salaries ;

(d) whether the Samyukt Vidhayak Dal Government formed after the fall of Soshit Dal Government had decided to pay the said amount of deducted salaries to the non-Gazetted employees ; and

(e) if so, the reasons for not paying the said five days' salaries so far and action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) In view of the large number of employees involved and their being scattered all over the State exact information is not readily available. However, on a very rough estimate about 80% of the staff participated in the strike and about Rs. 30 lakh was deducted from their salaries for unauthorised absence.

(d) and (e). The Soshit Dal Government had decided that salary will not be paid to the striking employees for the strike period but in order to regularise the break in service, the employees would be granted extraordinary leave. Accordingly the decision of the Government was implemented. However, an employee moved the High Court against this decision. The Court while upholding the decision of not paying salary for the strike period, had ruled that the break in service could not be saved by Government by granting extraordinary leave **suo moto** unless concerned employees applied for such leave or acquiesced in the same. The employees pressed their demand before the successor Government (Loktantrik Dal Ministry) but they took no decision until they tendered resignation on 25-6-68. On 26-6-68, they decided that a sum equal to salary for strike period should be paid to concerned employees **ad-hoc**. This was examined by the State Government and it was found that such ex-gratia payment could not be made. The earlier decision of the contemporary Soshit Dal Government was therefore acted upon. No further action in this regard is proposed to be taken by the State Government.

Promotion of Class IV Employees

2704. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6500 on the 5th April, 1968 and state :

(a) whether Government propose to promote in various Departments those class IV employees to Class III posts who have put in 10 years of service and have not passed Matriculation Examination as is done in the Railways and Posts and Telegraphs Department ;

(b) if so, the time by which the proposed scheme is likely to be implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Under the scheme in operation in the Ministry of Railways, Class IV employees who have put in 5 years of continuous service irrespective of their age and educational qualifications are eligible for promotion against the quota reserved for them in Class III posts on the basis of a test. In the P. and T. Department, permanent and quasi-permanent Class IV employees are eligible for promotion against the prescribed quota in the cadre of time-scale clerks and lower division clerks ; no minimum educational qualification has been prescribed. There is also an incentive scheme under which permanent and quasi-permanent Class IV employees who have put in not less than six years aggregate service in the P. and T. Department and who have passed the Matriculation or equivalent examination after a period of three years' service in the Department are eligible for promotion against a certain quota reserved for them in the cadre of time-scale clerks and Lower Division Clerks. In the Indian Audit and Accounts Department, Class IV employees who have put in 15 years of service, irrespective of their educational qualifications, are eligible for promotion to the L.D. cadre on the basis of a departmental test.

As already stated in reply to Unstarred Question No. 6500 on 5th April, 1968, since the nature of duties of Class III post is quite different from that of Class IV, the latter have not so far been considered eligible for promotion to Class III posts in other Central Government offices. Keeping in view the consideration for administrative efficiency and the need for bettering the service prospects of Class IV employees in other Central Government offices also a scheme has now been introduced under which Class IV employees who have passed Matriculation or equivalent examination and who have put in at least five years of service in a Class IV post and who are 40 years of age or below (45 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees) are eligible for appointment to Class III posts against a reserved quota on the basis of a departmental test. There is no proposal under consideration of Government to promote Class IV employees who have put in 10 years of service and have not passed Matriculation or equivalent examination.

Pakistani Boat in Kutch Sea Coast

2705. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani boat was anchored in Chhachhi village in Kutch sea coast on the 6th October, 1968 ;

(b) whether the boat has been confiscated ;

(c) if not, the reasons for entry of this boat into the village ; and

(d) whether Government have looked into the affairs and the result thereof;

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Praveshika and Vidyavinodini Examinations of Prayag Mahila Vidyapith

2706. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some women candidates had appeared in the Praveshika

and Vidyavinodini Examinations of the Prayag Mahila Vidyapith from Junior High School and Suryapal Higher Secondary School, Sonai, Mathura (U. P.) in 1962 and 1963 ;

(b) whether it is also a fact that the certificates of all the aforesaid examinations have not so far been sent to them in spite of repeated communications sent by them ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

2707. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय वार उनको दी गयी राशि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि गोहाटी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले बंगला-भाषी कचार जिले की जिला स्तर पर असमिया से भिन्न एक मान्यता प्राप्त भाषा है ; और

(घ) यदि हां, तो कचार जिले की क्षेत्रीय भाषा के लिए भी कुछ राशि का आबंटन करने के लिये कुछ कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। "विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के लिये भारतीय भाषाओं में साहित्य निर्माण" की केन्द्र प्रवर्तित-योजना के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के परामर्श से प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों और साहित्य निर्माण के लिए धन दिया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) इस प्रश्न पर गुवाहाटा विश्वविद्यालय के परामर्श से, असम सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायगा ।

Setting up of Patna Public College

2708. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an unknown person had set up a private educational institution named 'Patna Public College' for imparting education upto M.A. in Patna city :

(b) whether that person himself became the Secretary of the Governing body and appointed three former Vice-Chancellors of Universities and one present Vice-Chancellor as its members ;

(c) whether that Self-styled Secretary secured 15,000 rupees from 150 students as college admission fees, locked the college building and suddenly disappeared ;

(d) if so, whether Government have enquired as to how the present Vice-Chancellor became the member of the Governing body of the said private college and whether it was proper for him to do so ; and

(e) the action being taken or proposed to be taken to ban the setting up of such fake educational institutions ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर जलपाइगुड़ी में लाठी चार्ज

2709. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री कं० हाल्दर :**
श्री गणेष घोष :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अक्तूबर, 1968 को जलपाईगुड़ी में अतिरिक्त आयुक्त के बंगले के बाहर, जबकि वहां प्रधानमंत्री ठहरी हुई थीं, शान्त प्रदर्शनकारियों पर जो प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन देना चाहते थे, लाठी चार्ज किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस लाठी चार्ज के क्या कारण थे;

(ग) कुल कितने व्यक्ति घायल हुए;

(घ) क्या सरकार ने किसी जांच का आदेश दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . 24 अक्तूबर, 1968 को व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ प्रधान मंत्री से मिलने अतिरिक्त आयुक्त के निवास-स्थान पर गई । भीड़ के एक भाग ने अहाते में घुसना आरम्भ कर दिया जिसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों द्वारा रोका गया । पुलिस द्वारा कोई लाठी नहीं चलाई गई । उन्होंने केवल भीड़ के दबाव को रोका और भीड़ के एक उपद्रवी भाग को जिसने पथराव आरम्भ कर दिया था, लाठियों से भगा दिया ।

(ग) पथराव के कारण 25 पुलिस कर्मचारी घायल हुए । जनता के 19 व्यक्तियों को चोटें आई जो अधिकांश भगदड़ के कारण हुई थीं ।

(घ) और (ङ). भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में बताए गए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई जांच आवश्यक नहीं समझी जाती है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य की पूर्ति

2710. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री रा० बरुआ :

श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग के विषय-वार कितने प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं;

(ख) सरकार को कितने प्रतिवेदन पेश किये गये हैं और उनमें कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने कुल कितनी सिफारिशों पर विचार किया है और कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) इस समय प्रशासनिक सुधार आयोग निम्नलिखित प्रशासन क्षेत्रों पर विचार करने में लगा है :

(1) केन्द्र राज्य संबंध
(2) कर्मचारी प्रशासन
(3) राज्य स्तर पर प्रशासन
(4) जिला प्रशासन
(5) कृषि प्रशासन

इसके अतिरिक्त आयोग कुछ विशेष संगठनों पर प्रतिवेदन देने का विचार रखता है ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अब तक निम्नलिखित सात प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं और उनमें समाविष्ट सिफारिशों की संख्या प्रत्येक के सामने दी गई है :

	सिफारिशों की संख्या
(1) नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं	1
(2) योजना के लिये व्यवस्था (अन्तरिम प्रतिवेदन)	14
(3) योजना के लिये व्यवस्था (अन्तरिम प्रतिवेदन)	25
(4) सार्वजनिक-क्षेत्र उपक्रम	63
(5) वित्त लेखा और लेखा-परीक्षा	35
(6) आर्थिक-प्रशासन	57
(7) भारत सरकार का शासन तंत्र और इसकी कार्य-प्रणाली	18

(ग) प्रथम चार प्रतिवेदनों में समाविष्ट 103 सिफारिशों में से चार का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है शेष 99 सिफारिशों में, जिनका सम्बन्ध केन्द्र से है, 15 को छोड़कर सबमें अन्तिम निर्णय लिये जा चुके हैं। इन निर्णयों का कार्यान्वयन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है।

शेष 3 प्रतिवेदन विचाराधीन हैं।

गैर-सरकारी सेवा में अखिल भारतीय संवर्ग के भूतपूर्व अधिकारी

2711. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय संवर्ग के ऐसे सरकारी अधिकारियों की सूची जिन्होंने 1948-49 के पश्चात् आज तक बैंकिग तथा सामान्य बीमा कम्पनियों सहित गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की नौकरी कर ली है; और

(ख) ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियों की सूची जिनमें प्रत्येक भूतपूर्व अधिकारी ने नौकरी कर ली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि अवकाश-प्राप्त अधिकारियों को नियमों के अन्तर्गत अपनी नौकरी के बारे में सूचना नहीं देनी होती है। सिवाय इसके कि जब वे सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर व्यापारिक नियोजन स्वीकार करने के इच्छुक हों।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाटा से बसें खरीदना

2712. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में टाटा ने उत्तर प्रदेश सरकार को बसों की खरीद पर अब तक 3,40,000 रु० कमीशन के रूप में दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में उस राज्य ने टाटा से कितने मूल्य की बसें खरीदीं;

(ग) क्या टाटा ने इतना ही कमीशन उस राज्य को गत 5 वर्ष में भी दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उस रुपये का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, चेजिस खरीदने के लिये उत्तर प्रदेश को मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग व लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड ने कोई नगद आढ़त नहीं दिया था फिर भी कुछ छूट बतौर कटौती के दिये गये।

(ख) 1,10,58,575.70 रु० के लागत पर कुल 267 टी० एम० वी० चेजिस खरीदी गई।

(ग) और (घ). साधारण कटौती जो डी० जी० एस० और डी० के दर के मुताबिक एक थोक ग्राहक को मिल सकता है उसके अलावा निर्माण करने वाले फर्म को उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में कोई अन्य सुविधा नहीं दी है। यह कटौती उस रकम में समावेश की गई जो विक्रेता को दिया जाने वाला है इस मुद्दे में उनसे राज्य सरकार को कोई नगद अदायगी नहीं की गई।

मैसूर राज्य में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बुकिंगघर

2713. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में हवाई अड्डों के अलावा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन बुकिंग घर तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक कार्यालय की सिब्बन्दी पर प्रति मास कितना आवर्ती खर्च आता है; और

(ग) 1962-63 के पश्चात् अब तक प्रति वर्ष प्रत्येक कार्यालय ने कितने यात्री बुक किये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मैसूर राज्य में केवल एक ऑफ-लाइन स्टेशन, हुबली में है।

(ख) 800/- रुपये।

(ग) यह स्टेशन सालाना औसतन लगभग 800 यात्री बुक करता रहा है।

हाथियागढ़ घटना की न्यायिक जांच

2714. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोंडा जिले में सादुल्ला नगर पुलिस थाने की हाथियागढ़ घटना की न्यायिक जांच में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि न्यायिक जांच के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने खुफिया विभाग के द्वारा जांच कराई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें पता है कि जब न्यायिक जांच की जा रही थी राज्य सरकार के गृह-सचिव ने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि हाथियागढ़ घटना मनगढ़ंत थी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सादुल्ला नगर पुलिस स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे भूतपूर्व जमींदारों और प्रधानों के माध्यम से पर्चे छपवा रही है जिनमें लिखा है कि पुलिस निर्दोष है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आयोग ने अधिसूचित

किया है कि व्यक्ति, संघ, संस्थाएं इत्यादि जो जांच में भाग लेना चाहते हैं, 23 नवम्बर, 1968 तक लिखित वक्तव्य दायर कर सकते हैं।

(ख) राज्य गुप्तचर विभाग से 24 अगस्त, 1968 को पुलिस के विरुद्ध आरोपों की जांच आरम्भ करने के लिये कहा गया था। जांच आयोग की नियुक्ति 9 अक्टूबर, 1968 को राज्य के राजपत्र में अधिघोषित की गई थी। आरोप द्वारा जांच पूरी होने तक गुप्तचर विभाग की जांच स्थगित कर दी गई है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार गृह-सचिव ने इस संबंध में कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है कि हतियागढ़ घटना मनगढ़ंत थी।

(घ) राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि घटनाओं के संबंध में निकाले गये पर्चों में पुलिस का हाथ है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान-चालकों द्वारा 'नियमानुसार कार्य'

2715. **श्री दे० वि० सिंह :**

श्री शारदा नन्द :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अक्तूबर में इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के विमान-चालकों ने प्रबन्धकों द्वारा उनकी कुछ मांगें न मानने की बात का विरोध करने के लिए 'नियमानुसार कार्य' करना आरम्भ कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो विमान-चालकों की सही-सही मांगें क्या हैं और प्रबन्धकों की इन मांगों के बारे में क्या नीति है;

(ग) 'नियमानुसार कार्य' करने के फलस्वरूप विमान सेवाओं में हुई अस्तव्यस्तता का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विमान-चालक इस बात के बावजूद कि भारतीय वायु सेना में उनके प्रतिरूपी कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की तुलना में इनकी सेवा-शर्तें बहुत अधिक अच्छी हैं और उनका कार्य बहुत ही कम जोखिम का है, किसी न किसी बहाने से बार-बार हड़ताल कर देते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग). 25-10-68 को इंडियन कामर्शल पाइलाट्स एसोसिएशन ने आई० ए० सी० के प्रबन्धकवर्ग को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि वे तत्काल उसी समय से नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित उड़ान एवं कार्य-काल परिसीमाओं का सर्वथा यथा-निर्दिष्ट रूप में अनुपालन करना प्रारम्भ करेंगे। एसोसिएशन ने ऐसा करने के कोई विशिष्ट कारण नहीं बताये। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित उड़ानें विलंबित हुईं अथवा रद्द की गयीं :—

26-10-68	आई० सी० — 411	दिल्ली/कलकत्ता	रद्द की गयी
26-10-68	आई० सी० — 403	दिल्ली/बैंगलौर	रद्द की गयी
26-10-68	आई० सी० — 106	बैंगलौर/बम्बई	रद्द की गयी
26-10-68	आई० सी० — 405	दिल्ली/बम्बई	3 घंटे 20 मिनट विलंबित हुई
31-10-68	आई० सी० — 117	बम्बई/हैदराबाद	रद्द की गयी
31-10-68	आई० सी० — 165	बम्बई/कोचीन	2 घन्टे 5 मिनट विलंबित हुई

(घ) पिछले 3 सालों में दो ऐसे अवसर हुए जब इंडियन एयरलाइंस के विमान-चालकों के कुछ वर्गों ने हड़ताल की। एक और अवसर पर एयर इंडिया के विमान-चालकों ने 1967 में 27 से 30 जून तक चार दिन के लिए हड़ताल की। इंडियन एयर फोर्स के विमान-चालकों तथा इन दो कारपोरेशनों के विमान-चालकों की सेवा की शर्तों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि 'सिविलियन' तथा 'डिफेंस' सेवाओं की अपेक्षित आवश्यकताओं में मौलिक अन्तर है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

2716. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकें विभिन्न राज्यों द्वारा नियत-पाठ्यक्रमों के अनुकूल नहीं होती हैं;

(ख) कितनी पुस्तकें राज्यों द्वारा अनुपयोगी अथवा अमान्य पाई गईं और उनका मूल्य कितना था;

(ग) क्या यह सच है कि ये पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्यों से पूर्व परामर्श के और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना प्रकाशित की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ङ) इस हानि के लिए उत्तरदायी इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) यदि इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् आदर्श (माडल) पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करती है। ये पुस्तकें,

विद्यमान पाठ्यचर्याओं की समीक्षा करने के बाद, आजकल की सभी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त तथा स्कूल शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पुनर्निर्मित पाठ्यचर्याओं पर आधारित हैं। ये पुस्तकें राज्य सरकारों को अपनाने तथा अनुकूलन के लिए भेजी जाती हैं। तत्काल शत प्रतिशत अपनाने की बात नहीं सोची गई है। राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों की सूची (परिशिष्ट—I) तथा पुस्तकों के निर्माण पर हुआ खर्च दिखाने वाला विवरण (परिशिष्ट–II) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**- 2407/68] इसके देखने से पता चलेगा कि कोई बरबादी अथवा हानि नहीं हुई है।

(घ) से (च). आदर्श पाठ्य पुस्तकें बाहरी विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय परिषद् के विशेषज्ञ विभागों द्वारा तैयार की गई हैं। इसलिए किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल मैकेनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दुर्गापुर के निदेशक द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध आरोप

2717. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर के निदेशक, श्री एम० एम० सूरी द्वारा हाल में दिये गये त्याग-पत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर गम्भीर आरोप लगाये हैं और यदि हां, तो यह आरोप क्या हैं;

(ख) क्या श्री सूरी ने सरकारी कर्मचारी होते हुए भी परामर्श देकर गैर-सरकारी व्यक्तियों से बहुत-सा धन कमाया है और यदि हां, तो श्री सूरी ने इस प्रकार कितना और किन-किन व्यक्तियों अथवा फर्मों से धन प्राप्त किया;

(ग) श्री सूरी के अतिरिक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कितने वैज्ञानिकों ने गैर-सरकारी रूप में परामर्श देकर धन कमाया है और उनके नाम क्या हैं तथा गत दो वर्षों में उन्होंने इस प्रकार कितना धन कमाया है;

(घ) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रधान डा० एस० आर० सेन ने श्री सूरी और उनके द्वारा अपनाये गये अनुचित तरीकों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर के निदेशक, श्री एम० एम० सूरी से कोई पत्र अथवा त्याग-पत्र नहीं मिला है। श्री सूरी ने, जो रेल मंत्रालय के स्थायी अधिकारी हैं—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के उपाध्यक्ष को

22 जुलाई, 1968 को यह बताते हुए एक पत्र लिखा था कि वह 15 दिसम्बर, 1968 से आगे सी० एस० आई० आर० की सर्विस में और अधिक नहीं रहना चाहेंगे और यह भी लिखा था कि नियमानुसार वह रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को भी सूचित कर रहे हैं। श्री सूरी ने, उपर्युक्त पत्र में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रशासन के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है।

(ख) श्री सूरी ने पांच वर्षों की अवधि के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की अदायगी पर मेसर्स किर्लोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी लिमिटेड, पूना और मेसर्स किर्लोस्कर आइल ऐंजिन्स लिमिटेड को मंत्रणा देना व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर लिया था और पहले पहल, उपर्युक्त दोनों फर्मों में से प्रत्येक से 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की अदायगी मान ली थी। श्री सूरी के कथनानुसार, उन्होंने पहली नवम्बर, 1964 से उपयुक्त कार्य को करना शुरू कर दिया था। इस सम्बन्ध में श्री सूरी द्वारा प्राप्त की गयी राशि का 12-6-68 तक का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2408/68**]

(ग) 26 अप्रैल, 1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8558 के उत्तर में यह सूचना पहले ही दी जा चुकी है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर की कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से डा० एस० आर० सेन ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें उठाई हैं और इस संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा भी की है। इस मामले का, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्पूर्ण कार्य की जांच करने के लिए सी० एस० आई० आर० के अध्यक्ष (प्रधान मंत्री) द्वारा नियुक्त की गयी जांच समिति द्वारा, अध्ययन किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद दीन की मृत्यु का समाचार

2718. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी पाकिस्तानी राष्ट्रिक ने श्री मोहम्मद दीन नामक व्यक्ति की जिसे पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में सूचना देने के कारण पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी उसके गांव में हत्या कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) हत्यारे का पता लगाने और उसे दण्ड देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Number of C.R.P. Personnel in Kerala

2719. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Reserve Police personnel in Kerala State at present ;

(b) the date on which they were sent there and the reasons therefor ; and

(c) the date upto which it would be necessary to keep them there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There are 1017 personnel of the C.R.P. in Kerala at present ;

(b) On 1st March, 1967, on return from arduous duties in operational areas, a CRP contingent was sent to Kerala for rest, recuperation and training as per standard practice. Later in September, 1968, that contingent was augmented to protect the Central Government offices and installations.

(c) The CRP personnel mentioned above are in reserve for rest, recuperation and training. They will be withdrawn as and when need for their development elsewhere arises.

Two-Year and Three-Year Degree Course

2720. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of States where two-year degree course and three-year degree course is in force at present ;

(b) the obstacles in the way of implementing uniform course in the entire country ;

(c) the names of the States which have set up their own Boards of Higher Secondary Education and the States which have not so far set up such Boards ; and

(d) the arrangements made by the States which do not have such Boards for imparting education upto that level and the reaction of Government for giving permission for setting up of such Boards in these States ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Three-year degree course (B.A./B.Sc./B. Com) scheme is in force in all the Universities, except the Universities of Agra, Allahabad, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow and Meerut (in Uttar Pradesh) and University of Bombay (in Maharashtra), where the duration of the course is two years.

(b) The main difficulty is of finances.

(c) and (d). In States other than Haryana, Punjab, Madras, Nagaland, Gujarat, Kerala and Uttar Pradesh, Higher Secondary Examinations are held by Boards set up by the respective States. Madras, Nagaland, Gujarat, Kerala and Uttar Pradesh, have no Higher Secondary Schools. The Higher Secondary Examination in Haryana and Punjab is at present being conducted by the Punjab University but both these States propose to set up their own Boards. The question of permission by the Government of India does not arise as the State Governments are competent to set up such Boards.

पश्चिम बंगाल में बाढ़ में मारे गये लोग

2721. **डा० रानेन सेन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलपाईगुड़ी में हाल की भयंकर बाढ़ के कारण अस्पतालों के

अनेक रोगी तथा जेल के कैदी मर गये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार मरने वाले कैदियों और रोगियों की अलग-अलग से संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) और (ख). जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में आठ रोगी मारे गये थे। कोई भी बन्दी नहीं मारा गया।

काजी नजरुल की रचनायें

2722. **श्री देवेन सेन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने काजी नजरुल की रचनाएं प्रकाशित की हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार भी काजी नजरुल्ला की रचनायें प्रकाशित करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां।

(ख) काजी नजरुल इस्लाम की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए, फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। किन्तु वासुदेव चक्रवर्ती द्वारा संकलित कवि के जीवन-चरित्र को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें कवि की कुछ कविताओं का अंग्रेजी रूपान्तर भी शामिल है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद सेवाओं का पुनः बांटा जाना

2723. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के समय राज्य सरकार के कर्मचारियों से किसी एक राज्य में उनकी सेवा रखे जाने के बारे में विकल्प मांगा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दम्पत्ति के मामले में प्रत्येक दम्पत्ति की सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर एक ही राज्य में रखने का निर्णय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो कब तक ऐसे कितने मामलों का समायोजन किया गया है और कितने मामलों का समायोजन किया जाना शेष है;

(घ) लम्बित मामलों का अभी तक समायोजन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को उन सरकारी कर्मचारियों से जिनको उनके द्वारा वैकल्पिक राज्य में अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, ऐसे अभ्यावेदनों का तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) भूतपूर्व पंजाब राज्य के पुनर्गठन के समय कर्मचारियों के अन्तिम आबंटन के लिए कोई मत नहीं मांगे गये थे बाद में प्रभावित कर्मचारियों को, आबंटनों में परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया गया था।

(ख) व्यक्तिगत कठिनाइयों के मामलों में, जिसमें अन्य बातों के साथ पति तथा पत्नी को एक ही राज्य आबंटित करने की आवश्यकता शामिल है, अभ्यावेदनों पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया गया है, बशर्ते कि उत्तरवर्ती एककों में रिक्तियां उपलब्ध हों और प्रत्येक एकक से संतुलित संवर्ग बनाये रखने की आवश्यकता हो। व्यक्तिगत मामले परिस्थितियों की सम्पूर्णता को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर निश्चित् किये जाते हैं।

(ग) से (च). पति तथा पत्नी को यथासम्भव एक ही राज्य में आबंटित किया गया है, बशर्ते कि उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध हों। ऐसे मामलों की संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

राज्यों में न्यायिक पदों की संख्या

2724. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सिद्दय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति के शासनाधीन प्रत्येक राज्य में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक पदों, दीवानी तथा फौजदारी को 1950 से अब तक के प्रत्येक वर्ष में श्रेणीवार तथा ग्रेडवार स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या थे; और

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में वर्षवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का इन सेवाओं में विभिन्न ग्रेडों-श्रेणियों में पृथक्-पृथक् क्या अनुपात था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लचित सेना की गतिविधियां

2725. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि असम में जनवरी में हुई गड़बड़ से पूर्व तथा उसके पश्चात् वहां के गैर-असमी लोगों को "लचित सेना" के नाम से धमकी देने वाले पत्र तथा टेलीफोन काल प्राप्य हुये हैं जिनमें उनसे कहा गया था कि वे असम छोड़कर चले जाएं अन्यथा उनकी हत्या कर दी जायेगी और उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ेगी;

(ख) क्या इस सेना से किसी व्यक्ति को इस बीच गिरफ्तार किया गया है तथा उस पर मुकदमा चलाया गया है;

(ग) क्या उन्होंने इस रहस्यपूर्ण संस्था की ओर आगे कोई जांच कराई है तथा इसका पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गोहाटी में हुई गड़बड़ के परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख व्यापारियों द्वारा लचित सेना के नाम से दो जाली टेलीफोन काल प्राप्त हुये थे। कुछ धमकी भरे पत्र भी ध्यान में आये जो लचित सेना के नाम से भेजे गये थे।

(ख) निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 27 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था।

(ग) और (घ). लचित सेना के नाम पर गुप्त गतिविधियों पर सावधानी से निगरानी रखी जा रही है और सार्वजनिक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार कड़ी सतर्कता बरत रही है।

मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्रों को ईसाई बनाना

2726. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारत में विदेशी ईसाई संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के तथा लड़कियों को लालच देकर अनुचित दबाव डाल कर अथवा राजी करा कर ईसाई बना लिया जाता है और यदि इन तरीकों से काम न चले तो वास्तविक बल प्रयोग द्वारा ऐसा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पाच वर्षों में राज्यवार कितने लोगों को ईसाई बनाया गया तथा पहले वे किस-किस धर्म के अनुयायी थे;

(ग) क्या यह सच है कि तथाकथित समाज-सेवी संस्थायें लोगों की गरीबी का लाभ उठाकर लोंगों की कठिनाइयों का अनुचित लाभ उठाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ऐसे परिवर्तनों के बारे में इस मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

मिनिकाय द्वीप

2727. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनिकाय द्वीप में आतंक फैला हुआ है और इस बारे में 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मण्डल उनसे मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आतंक के बारे में आरोप सही नहीं हैं। फिर भी जून, 1968 में मिनिकीय से कुछ स्थानीय नेता भारत सरकार के समक्ष अपनी शिकायतें तथा मांगे रखने के लिये नई दिल्ली आये थे। उनमें से एक मार्ग संदिग्ध आगजनी के मामले में, जिसमें अप्रैल, 1968 में अमीन का कार्यालय नष्ट हो गया था, स्वतंत्र जांच कराने के बारे में थी। केन्द्रीय सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी मामले में जांच करने के लिये मिनिकाय भेजा गया। उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

Use of Hindi

2728. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 131 on the 10th November, 1965 and state :

(a) the further progress since made in the use of Hindi ;

(b) whether arrangements have been made to reply to all the Hindi letters in Hindi ;

(c) whe ements have also been made for publishing all the journals and booklets of various Ministries in Hindi ;

(d) whether all the Statutory and non-Statutory rules have been translated into Hindi ;

(e) the names of the 276 sections, Ministry-wise, in which noting and drafting is being done in Hindi ;

(f) whether the entire administrative work of non-gazetted employees is being done in Hindi along with English ; and

(g) if the reply to the above parts be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Administrative instructions regarding the use of Hindi for official purposes of the Union were issued under the Ministry of Home Affairs O. M. No. 2/29/68-OL, dated 6th July, 1968, a copy of which has already been laid on the Table of Lok Sabha. To ensure compliance of these instructions, a senior officer of the rank of Joint Secretary in each Ministry/Department has been assigned the responsibility and quarterly progress reports have been prescribed to be submitted to the Ministry of Home Affairs to watch the progress of implementation.

(b) Yes, Sir.

(c) According to the provisions of the Official Languages (Amendment) Act, all reports and official papers laid before the house or houses of Parliament have to be issued in Hindi and English both. Arrangements in this behalf have been made.

(d) No, Sir.

(e) Hindi can be used in all Sections and Offices, as employees are free to use Hindi or English for purposes of noting and drafting.

(f) For the facility of Class IV staff, instructions exist that general orders regarding terms and conditions of their services, charge sheets and instructional orders and replies to petitions received from them in Hindi are to be issued in Hindi. All entries in the service books of Class IV employees, working in Central Government Offices located in Hindi-speaking areas, are to be made in Hindi.

(g) The Official Language (Legislative) Commission has been entrusted the responsibility of preparing authorized Hindi translations of statutory rules. The Ministry of Education is similarly preparing Hindi translations of non-statutory rules. As the amount of work involved is very large, it will take considerably long time to complete.

Use of English in U. P. Government Departments

2729. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of the Departments in U. P. in which the use of English has been stressed instead of Hindi by the U. P. administration during the President's rule there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Use of English instead of Hindi has not been stressed in any of the Departments in U. P. during President's rule.

Number of Candidates in IAS/IPS/IFS Examinations

2730. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of candidates who appeared in the written examinations held for the I.A.S., I. P. S. and I. F. S. during the last five years, year-wise ;

(b) the number out of them, year-wise, who passed ; and

(c) the number out of them who secured 60 to 80 percent marks in the written examination but failed in the interview ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A statement giving the information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 2409/68]**

(c) Nil.

New Key Board of Hindi Typewriters

2731. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether in the Hindi Typewriter with new key board, the letters like 'म','ज,' 'न','प','व,' which are of frequent use, are in the upper row instead of middle row and the letters like 'ह','ज्ञ','य','श्र', which are of lesser use appear in the middle row ;

(b) whether it is also a fact that the letter 'ज्ञ' which is of lesser use and which is already in the middle row, falls under the first and the middle fingers which are fast moving fingers and the letters 'ख','घ','म,' which are also of frequent use, are given in half and in

order to write these as full letters, the typewriter has to be shifted every time to put a part of the letter as 'T' which slows down the speed ;

(c) whether the viram (।) which is used after each sentence is in the uppermost row and is at one corner and its use takes double the normal time because it is in the upper shift and the shift lock key has to be used every time for its use ;

(d) whether the comma (,) is in the uppermost row which is also of frequent use ; and

(e) the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) In the standard key board for Hindi and Marathi typewriters approved by the Government of India in 1964, there are 46 keys spread over four rows. The letters 'म','ज','न','प','व', are in the lower shift keys in the second row from the top. Letters like 'ह' and 'य' are in the lower shift and letters 'श्र','ज्ञ', are in the upper shift of the third row from the top. With a view to ensuring speed, letters of frequent use are always kept in the lower shift so that they can be typed without operating the shift key.

(b) The letter 'ज्ञ' is in the upper shift of the third row from the top (fifth key from the right) ; letters 'ख' and 'घ' are in halves in the lower and upper shifts in the second and the last row respectively and in order to type them in full, the sign 'T' is used which is in the lower shift in the third row from the top and for operating this key, no shift key is required to be used. These letters are, however, not too frequently used. The letter 'म', as already pointed out, is in the lower shift key (third key from the left) in the second row from the top and is in full and not in half.

(c) and (d). The numeral (।) which is in the upper shift key in the first row is at present used as the viram sign. This key is third from the left and is not in the corner. It is true that this sign is in the upper shift requiring the use of shift key. The comma (,) is in the lower shift key in the middle (sixth key from the left) of the top row. As has been pointed out above, letters and signs of frequent use have been kept in the lower shift.

(e) Various complaints about the positioning of letters and keys in the approved key board were examined by a Committee of Experts with which the representatives of the typewriter manufacturers in the country were also associated. With a view to ensuring better speed and efficiency, the Committee has recommended certain changes in the positioning of certain letters, signs and numerals. The recommendations of the Committee are under the consideration of the Government of India.

भारत में पब्लिक स्कूल प्रणाली

2732. **श्री सिद्ध्या :**

श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **शिक्षा** मंत्री शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन (1964—66) के पृष्ठ 10 और 11 के संबंध ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयोग के इस निष्कर्ष से सहमत है कि अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में

स्थापित पब्लिक स्कूल व्यवस्था के साथ हम अब तक चिपके हुये हैं तथा हम जिस नये प्रजातन्त्रात्मक तथा समाजवादी समाज को बनाना चाहते हैं उसमें इस प्रणाली के लिये कोई उचित स्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के लिये अब तक इस दिशा में कोई नीति सम्बन्धी निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि महात्मा गांधी ने भी देश में पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का जोरदार समर्थन किया था;

(घ) यदि हां, तो स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक, पब्लिक स्कूलों के बारे में सरकारी नीति के निर्माण में उनके विचारों का कहां तक योगदान रहा है; और

(ङ) क्या सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखा जावेगा जिसमें देश में मौजूदा पब्लिक स्कूल प्रणाली के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का दृष्टिकोण दिया गया हो ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (ङ). इस बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उसका निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राजकीय संकल्प के पैराग्राफ 4 (4) (ख) में दिया गया है, जो कि पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया है। उसका सम्बन्धित भाग तत्काल संदर्भ के लिये नीचे दिया जाता है :

सामाजिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा आयोग की सिफारिशों में बताई गई समान स्कूल पद्धति को अपनाया जाना चाहिये। सामान्य स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर सुधार करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये। पब्लिक स्कूलों की तरह से विशेष स्कूलों में छात्रों का दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये और सामाजिक वर्गों के पृथकरण को बचाने के लिये फीस माफी का अनुपात विहित कर देना चाहिए। परन्तु इससे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पब्लिक स्कूल

2733. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 के आरम्भ में देश भर में कितने स्वतंत्र पब्लिक स्कूल ऐसे थे जिनमें वे स्कूल भी शामिल हैं जो औपचारिक रूप से हेडमास्टर कानफरेन्स के सदस्य नहीं हैं किन्तु पब्लिक स्कूलों की तरह चलाये जाते हैं, और इस समय ऐसे कितने स्कूल हैं;

(ख) इस समय इन स्कूलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) प्रतिरक्षा, शिक्षा आदि मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा संचालित पब्लिक स्कूलों की पद्धति पर शिक्षा देने वाले कितने स्कूल हैं तथा इन स्कूलों की प्रत्येक श्रेणी के नाम क्या हैं; और

(घ) देश में इस समय स्वतंत्र पब्लिक स्कूलों तथा सरकार द्वारा चलाये जाने वाले पब्लिक स्कूलों में क्रमशः कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना शिक्षा मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों की गोपीनीय आचरण पंजियों में प्रतिकूल टिप्पणी

2734. **श्री सिद्दय्या** :
श्री प्र० रं० ठाकुर :
क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अन्तर्गत किसी सरकारी कर्मचारी की गोपनीय आचरण पंजी में प्रतिकूल प्रविष्ठी अथवा टिप्पणी की सम्बन्धित कर्मचारी को तुरन्त सूचना देनी पड़ती है जिससे उसे अपनी स्थिति की सफाई देने तथा अपने आपको सुधारने का भी मौका मिल सके;

(ख) क्या यह भी अपेक्षित है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति अथवा उसे स्थायी बनाने की कार्यवाही में इन टिप्पणियों पर ध्यान देने से पहले इस बारे में प्रभावित कर्मचारी से प्राप्त हुये अभ्यावेदन की पूरी तरह से जांच करनी होती है और उसे निपटाना होता है;

(ग) यदि हां, तो व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों के योग्यताक्रम का पुनरीक्षण करने तथा नियमों के अधीन उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के लिये सरकारी कार्यालयों में क्या विशिष्ठ प्रबन्ध हैं; और

(घ) ऐसा कर्मचारी क्या कार्यवाहीविधि अपना सकता है जिसकी अनुचित प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध अभ्यावेदनों पर ध्यान नहीं दिया जाता अथवा जिनका उत्तर नहीं दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यदि किसी सरकारी कर्मचारी की गोपनीय आचरण पंजी में प्रतिकूल टिप्पणी हो, तो उसकी सरकारी कर्मचारी को तुरन्त सूचना देनी पड़ती है ।

(ख) और (ग). प्रभावित अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना की तिथि के छः सप्ताह के अन्तर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होता है । ऐसी टिप्पणी के विरुद्ध दिये गये सभी अभ्यावेदनों पर सक्षम अधिकारी द्वारा तुरन्त निर्णय लिया जाता है परन्तु किसी भी हालत में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने की तिथि से छः सप्ताह से अधिक समय नहीं लगता । यदि किसी हालत में प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को नहीं दी जाती अथवा यदि सूचना दी जाती है तो अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता, तो उसके बारे में पदोन्नति / स्थायीकरण के बारे में विस्तृत प्रक्रिया गृह-कार्य मंत्रालय के ओ० एम० संख्या 1/3/65 इ.एस.टी.टी. (डी) दिनांक 20 फरवरी, 1967 में दी गई है जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी०** 2410/68]

(घ) भाग (क), (ख) तथा (ग) के बारे में दिये गये उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका

2735. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

श्री सिद्दय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1950 के पश्चात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण के बारे में सरकार द्वारा 1950 के पश्चात् जारी की गई पुस्तिका का, जिसमें विभिन्न आदेश/हिदायतें दी हुई हैं, संकलन केवल सरकारी उपयोग के लिये किया गया था और इन जातियों के सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रयोग के लिये नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पुस्तिका की प्रतियां संसद् सदस्यों तथा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की विभिन्न कल्याण समितियों/संघों द्वारा मांगे जाने पर उनको उपलब्ध की जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या ऐसी ही पुस्तिका किसी राज्य सरकार ने अब तक प्रकाशित की है जैसा कि कुछ वर्ष पहले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त ने सिफारिश की थी; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण के बारे में 1950 से भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों/अनुदेशों की पुस्तिका का संकलन केवल सरकारी प्रयोग के लिये ही किया गया था ।

(ख) चूंकि पुस्तिका में इस मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेश हैं, जो कि सरकारी प्रयोग के लिये हैं, वे सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और संघ राज्य क्षेत्रों को उन्हें सभी सूचनाएं देने की दृष्टि से भेजी गई थी ।

(ग) पुस्तिका की प्रतियां संसद् सदस्यों को अनुरोध प्राप्त होने पर दी गई हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को घोषित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण-संघों से पुस्तिका की प्रतियां देने के लिये पिछले कुछ दिनों में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुये ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इसकी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों की आचरण पंजियों में प्रविष्टियां

2736. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सिद्दय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी सुधारी जा सकने वाली तथा सुधारी न जा सकने वाली त्रुटि अनिवार्य रूप से कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिये जब तक कि उसे किसी कर्मचारी की आचरण पंजी में दर्ज करने का विचार न हो;

(ख) क्या आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि यद्यपि आसन्न उच्च-अधिकारी द्वारा आचरण पंजी लिखने की वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है तथापि विशेष रूप से प्रतिकूल टिप्पणियों के मामले में उससे उच्चतर अधिकारी को आचरण पंजी लिखने वाले अधिकारी की टिप्पणियों के बारे में स्पष्ट और निश्चित निर्णय करना चाहिये और अपनी राय पूरी तरह लिखनी चाहिये तथा उसे आचरण पंजी लिखने वाले छोटे अधिकारी के निर्णय पर निर्भर रहने के बजाय पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस बारे में तत्सम्बन्धी आदेशों का पालन कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त हिदायतें जारी की गई हैं । उन अधिकारियों के लिये, जो गोपनीय रिपोर्ट रखते हैं, गोपनीय रिपोर्टों की छानबीन यह देखने के लिये करना आवश्यक है कि क्या वे इन हिदायतों के अनुसार लिखी गई थीं और क्या प्रतिकूल टिप्पणियां, यदि कोई हों, सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित कर दी गई हैं । यदि किसी रिपोर्ट में कोई कमी हो तो उसे सम्बन्धित पुनरीक्षण-अधिकारी को संशोधन के लिये लौटा देना चाहिये ।

गोपनीय आचरण पंजी पद्धति में आमूल परिवर्तन

2737. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सिद्दय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात रिकार्ड में है कि संघ लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष ने विचार व्यक्त किया था कि गोपनीय आचरण पंजी के लगभग 50 प्रतिशत मामलों में यह पाया गया कि गोपनीय आचरण पंजी से किसी सरकारी कर्मचारी की वास्तविक योग्यता का पता नहीं लगता है, ये पंजियां संक्षिप्त और अस्पष्ट होती हैं तथा इससे बुद्धि अथवा अन्य योग्यताओं का सही मूल्यांकन नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो गोपनीय आचरण पंजी पद्धति में आमूल परिवर्तन करके तथा सरकारी कर्मचारियों की योग्यता का मूल्यांकन करने के अन्य तरीकों से स्थिति सुधारने की दिशा में क्या कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । यह विवरण द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय XLV के पैरा 22 में समाविष्ठ है ।

(ख) और (ग). द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये गोपनीय रिपोर्टों को रखने तथा तैयार करने से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेश अक्तूबर, 1961 में जारी किये गये थे । हाल ही में किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित प्रपत्र संशोधित कर दिया गया है । नये प्रपत्र में अधिकारियों के श्रेणीकरण से संबंधित खाना समाप्त कर दिया गया है ।

गोपनीय आचरण पंजी का महत्व

2738. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सिद्द्य्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यवाहक पद पर स्थायी करने तथा उच्च पद पर तरक्की देने के मामले में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत गोपनीय आचरण पंजी को क्या महत्व दिया जाता है ;

(ख) क्या चयन द्वारा, या परीक्षा द्वारा पदोन्नति के मामले में इस बारे में कोई अन्तर है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में अपनाई गई प्रथा की निरन्तर आलोचना को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिये किसी कर्मचारी के काम तथा उपयुक्तता को आंकने के लिये सरकार ने गोपनीय आचरण पंजी का महत्व हाल ही में कम कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या परिवर्तन किये गये हैं और तत्सम्बन्धी आदेश क्या हैं ; और

(ङ) सभी कार्यालयों में इन नई हिदायतों का पालन हो इसके लिए क्या कोई स्थायी व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) किसी ग्रेड में पुष्टि और पदोन्नतियां (दोनों चयन और गैर-चयन आधार पर) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जाती है जो उनकी गोपनीय आचरण पंजी के आधार पर सम्बन्धित व्यक्तियों

के सेवा रिकार्डों का मूल्यांकन करती है। फिर भी, जबकि एक चयन पद पर पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकित सापेक्ष गुण-दोष आधार पर की जाती है, गैर-चयन पदों पर पदोन्नतियां और पुष्टिकरण सम्बन्धित व्यक्ति की केवल उपयुक्तता के आधार पर ही किया जाता है अर्थात् गैर-चयन पदों में पदोन्नतियां और पुष्टि करते समय उम्मीदवार के सापेक्ष गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जाता है।

(ख) विद्यमान आदेशों के अनुसार किसी चयन-पद पर पदोन्नति के लिये पात्र अधिकारियों का विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 'विशिष्ट' 'बहुत अच्छा' या 'अच्छा' के रूप में उनके गुण दोषों के आधार पर जैसा उनके गोपनीय आचरण पंजी में प्रतिफलित है, वर्गीकरण किया जाता है। (श्रेणी III से श्रेणी II में, श्रेणी II के भीतर और श्रेणी II से श्रेणी I की सबसे निचली सीढ़ी या वर्ग में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार को उनके सेवा रिकार्ड के आधार पर उनको अन्यथा दिये जाने वाले वर्गीकरण से एक श्रेणी ऊपर वर्गीकरण किया जाता है। यह रियायत चयन सूची से एक वर्ष में भरे जाने वाले किसी विशेष ग्रेड या पदों में कुल रिक्तियों के केवल 25 प्रतिशत तक समिति है।) तब यह चयन सूची "विशिष्ट" रूप में वर्गीकरण किये गये व्यक्तियों को प्रथम स्थान में रखकर और फिर उन्हें जिन्हें 'बहुत अच्छा' के रूप में वर्गीकरण किया गया है और अन्त में उन्हें जिनका 'अच्छा' के रूप में वर्गीकरण किया गया है प्रत्येक वर्ग के अन्दर उनकी अपने आपस की वरिष्ठता में बिना कोई बाधा डाले तैयार की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची से पदोन्नतियां की जाती हैं। जहां पदोन्नतियां किसी विशिष्ट परीक्षण परीक्षा के आधार पर की जाती हैं, उम्मीदवारों का सापेक्ष गुण-दोष उनके द्वारा विशिष्ट परीक्षण / परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के और गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के (यदि परीक्षण / परीक्षा के लिये नियमों में व्यवस्था हो) आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सफल उम्मीदवारों की सूची उम्मीदवारों को उनके द्वारा परीक्षण में प्राप्त और उनकी गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के (यदि नियमों में व्यवस्था की गई हो) आधार पर योग्यता-क्रम में रखकर बनाई जाती है। इसके बाद पदोन्नतियां उसी क्रम में की जाती हैं जिसमें उस सूची में नाम रखे गये हैं।

(ग) और (घ). अभी हाल में किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप गोपनीय रिपोर्ट का प्रपत्र संशोधित किया गया है। नये प्रपत्र में अधिकारियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में खाना समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) वर्तमान अनुदेशों के अधीन, प्राधिकारियों को, जो अपने नियन्त्रणाधीन कर्मचारियों और सेवाओं की आचरण पंजिकाएं रखते हैं, यह देखने को वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की छानबीन करनी पड़ती है कि क्या वे अनुदेशों के अनुसार लिखे गये और प्रतिकूल टिप्पणियों, यदि कोई हों, सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित की गई और यदि रिपोर्ट में कोई त्रुटि हो तो सम्बन्धित अधिकारी को सुधार के लिये लौटानी होती है।

बिहार में आदिम जातियों पर गोली चलाना

2739. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1053 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार से इस बीच तथ्य प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुलिस को 2 जून, 1968 को गांव चीरी में गोली चलानी पड़ी जब एक आदिवासियों की हिंसात्मक भीड़ ने पुलिस के कहने पर तितर-बितर होने से इन्कार कर दिया और मानव जीवन के लिये खतरा उत्पन्न हो गया । गोली चलाने के परिणामस्वरूप 5 व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गये और एक की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई । आयोग जांच अधिनियम के अधीन गोली चलाने की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है ।

बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर माओ समर्थक तत्व

2740. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि बिहार भारत-नेपाल सीमा पर माओ समर्थक तत्वों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिबिधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

दिल्ली पुलिस बल के ढांचे में परिवर्तन

2741. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बल के ढांचे में आमूल परिवर्तन किये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). दिल्ली पुलिस आयोग ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस के कार्य संचालन में सुधार के लिये कई उपायों की सिफारिश की है । उनमें से अधिकांश सिफारिशों की परीक्षा की जा चुकी है और शेष की सक्रिय परीक्षा की जा रही है । उनकी परीक्षा भी जल्दी समाप्त होने की आशा है । जैसे और जब सिफारिशों पर निर्णय किये जाते हैं उनके कार्यान्वयन के लिये उचित कदम उठाये जाते हैं ।

सोवियत संघ में संस्कृत पाण्डुलिपियों का पता लगना

2742. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ की ताजिक गणतंत्र में दो संस्कृत पाण्डुलिपियों का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने तथा इन्हें भारत में प्रकाशित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ब्राह्मि लिपि में खुदे हुए भोज वृक्ष की छाल के कुछ अवशेष सोवियत संघ के ताजिकिस्तान गणतन्त्र में मिले बताये जाते हैं ।

(ख) भारतीय राजदूतावास, मास्को से, इन पाण्डुलिपियों के ब्योरे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । यदि पाण्डुलिपि भारत के हित में हुई तो मूल पाण्डुलिपियों अथवा उनकी फोटोस्टेट प्रतियों को प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

Headmaster Residing in School Buildings in Himachal Pradesh

2743. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of school Headmasters who have been residing in school buildings since 1961-62 in each district of Himachal Pradesh ;

(b) whether it is a fact that these Headmasters have not been paying any rent to Government and, if so, the number, among them, of those who have been served with notices to vacate school buildings during the last five years as also the amount of money recovered from them as rent ; and

(c) whether Government have received any complaints in this regard and, if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Class IV School Employees of Himachal Pradesh

2744. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Principals and Headmasters of the Schools of the Education Department of Himachal Pradesh compel class IV employees working there to do private work for them and, in case of their refusal to do private work, their services are terminated ;

(b) whether it is also a fact that many Members of Parliament addressed numerous complaints to the State Government in this regard, as a result of which the employees, whose services had been terminated in the aforesaid manner, were reinstated ;

(c) if so, whether these employees have been paid salaries for the period during which their services remained terminated and, if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that after their reinstatement these employees had been retired in 1964-65 and the accounts of their G.P. Fund, gratuity and pension have not so far been settled ; and

(e) if so, the reasons therefor and the number of such cases in each District of Himachal Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e). The requisite information is being collected from the Himachal Pradesh Administration and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

विदेशी सरकारों और व्यापारियों की ओर से व्यवसायिक हित के लिये प्रचार

2745. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य कार्यालय और गुप्तचर विभाग ने उन व्यक्तियों और फर्मों की एक सूची तैयार की है जो विदेशी सरकारों और व्यापारिक हितों की ओर राजधानी तथा देश के अन्य स्थानों में समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार करते हैं ;

(ख) क्या सरकार को अमरीका और ब्रिटेन में भी ऐसी फर्मों के होने का पता है ;

(ग) क्या इंडिया न्यूज एण्ड फीचर एलायेंस तथा इस प्रकार की अन्य फर्में समाचार सिण्डीकेटों के नाम से कई विदेशी दूतावासों और गुप्तचर एजेन्सियों के लिये भारत में कार्य कर रही हैं ; और

(घ) क्या उसकी तथा उसकी सहकारी कम्पनियों की वैदेशिक कार्य मंत्रालय चन्दे द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता करता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सरकार के पास सूचना नहीं है ।

(ग) सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि इण्डिया न्यूज एण्ड फीचर एलायेंस किसी विदेशी दूतावास या गुप्तचर एजेन्सी के लिये भारत में कार्य कर रहा है ।

(घ) वैदेशिक कार्य मंत्रालय इंडिया न्यूज एण्ड फीचर एलायेंस को कुल मिलाकर 25,400 रु० का वार्षिक चन्दा देता है ।

केरल में भारत विरोधी आन्दोलन

2746. **श्री हेम बरुआ** :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अक्तूबर, 1968 से केरल में एक भारत-विरोधी आन्दोलन

आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आन्दोलन ने एक जन आन्दोलन का रूप ले लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह आन्दोलन कितना फैल गया है और इस आन्दोलन के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर के लिये योजना निकाय

2747. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक योजना निकाय बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या मनीपुर से चुने हुए संसद् सदस्यों को इस निकाय में लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो संसद् सदस्यों को इस स्थानीय योजना निकाय का सदस्य न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). मनीपुर प्रशासन ने इस क्षेत्र के लिये 3 योजना निकायों का संगठन किया है । राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं और इसमें सब मंत्री तथा 6 अशासकीय सदस्य हैं । राज्य विकास तथा योजना समिति में 46 सदस्य हैं जिनमें उस क्षेत्र के संसद् सदस्य शामिल हैं । इन दो समितियों के अलावा एक योजना समिति है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं तथा प्रशासन के सभी सचिव इसके सदस्य हैं ।

सैण्ट्रल स्कूलों में भाषा नीति में परिवर्तन

2748. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान भाषा नीति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; तथा कुछ राज्यों में अधिक केन्द्रीय स्कूल खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रीय स्कूलों में तीन भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार ने, केन्द्रीय स्कूलों में, भाषा नीति को बदलने का निर्णय नहीं किया है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन से कुछ राज्यों में पांच नये केन्द्रीय स्कूल खोलने का प्रास्ताव प्राप्त हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सभी केन्द्रीय स्कूलों में कक्षा पांच से कक्षा आठ तक, हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत तीनों भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था है ।

Tourist Centre at Rajgir (Bihar)

2749. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Rajgir (Patna—Bihar) is a famous tourist centre ;

(b) whether it is a fact that large number of Indian and Foreign Tourists visit the aforesaid tourist centre from October to February every year ;

(c) whether it is also a fact that the tourists have to face tremendous difficulties due to the lack of suitable arrangements for staying, conveyance, sanitation, light, food and also due to the disturbances created by gangsters :

(d) whether Government have drawn up any scheme for removing these difficulties : and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Rajgir is well-known because of its association with the Buddha, and its hot water springs. Consequently, a large number of home tourists and Buddhist pilgrim groups from other countries visit Rajgir.

(c) Some difficulty is being experienced by visitors due to lack of accommodation and suitable transport for visiting places of interest within Rajgir but no complaints have been received regarding sanitation, food, light or disturbances created by gangsters.

(d) and (e). To further augment accommodation, the State Government is constructing a Tourist Shala with 50% Central subsidy. When it is commissioned, which is expected during the current financial year, the total accommodation in Rajgir will be about 200 beds. An aerial chair-lift is also being installed, with 50% Central subsidy, to carry pilgrims up to Gridhkut where the Japanese Buddhist Association is constructing a Shanti stupa and residential accommodation.

The India Tourism Development Corporation Ltd. propose to start sight-seeing coach services for tourists in this area, which will supplement the one already being conducted by the State Government. They will also station a few cars in this area for the use of tourists.

हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2750. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की गैर-कानूनी हड़ताल के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को (1) चेतावनी दी गई, (2) मुअत्तिल किया गया, (3) पदच्युत किया गया तथा न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया;

(ख) क्या उन व्यक्तियों से, जिनके अपराध क्षमा कर दिये गये तथा सेवा में रहने दिया गया, कोई लिखित क्षमायाचना प्राप्त की गई;

(ग) उन नेताओं के विरुद्ध, जो स्वयं सरकारी कर्मचारी नहीं हैं परन्तु कर्मचारियों को हड़ताल के लिये प्रोत्साहन देने में सक्रिय रहे हैं, क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में ऐसी गैर-कानूनी हड़ताल करके सरकारी कर्मचारी देश के सामान्य जीवन को अस्तव्यस्त न करें, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

(i) गिरफ्तार किये गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या ——8,134

(ii) दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप पदच्युत किये गए कर्मचारियों की संख्या ——95

(iii) मुअत्तिल किये कर्मचारियों की संख्या ——7,847

(iv) उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवाएं समाप्त की गईं ——2,535

(ग) किसी भी राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं लाए गए हैं ।

(घ) सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

पाकिस्तानी सहायता प्राप्त कर रहे मिजो

2751. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के बाद कि मिजो पाकिस्तान से सक्रिय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, इस गिरोह के किन्हीं सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सीमा पर से भविष्य में सभी घुसपैठों को बन्द करने के लिये हमारी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में चोरी छिपे लाए गए अवैध शस्त्रास्त्र का पता लगाने की पूरी कोशिश की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) जिनके पास ये शस्त्रास्त्र पाए गए उन्हें क्या दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). मिजो विद्रोहियों के विरुद्ध सुरक्षा दलों की सैनिक कार्यवाहियां जारी हैं और सैनिक कार्यवाहियों के दौरान पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है । सुरक्षा दल सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने के लिये सतत् सतर्कता बरतते हैं और अपनी सैनिक कार्यवाहियों में अवैध शस्त्रास्त्र का भी पता लगाते हैं ।

विदेशों में रोजगार ढूंढने वाले मेधावी वैज्ञानिक

2752. **श्री एस० आर० दामानी** :

श्री देवेन सेन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के भूतपूर्व

महानिदेशक डा० हुसैन जहीर के हाल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाओं में व्याप्त नौकरशाही प्रशासन को यह कहते आलोचना की है कि हमारे मेधावी वैज्ञानिक विदेशों में रोजगार ढूंढ़ते फिरते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नोबल पुरस्कार विजेता डा० खुराना को भारत में अनुसन्धान करने की सुविधायें उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई थी; और

(ग) हमारे अनुसन्धान केन्द्रों की कमियों को दूर करने तथा देश के मेधावी वैज्ञानिकों को भारत में ही रखने और प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) समाचार-पत्रों में प्रकाशित डा० एस० हुसैन जहीर के वक्तव्य की ओर ध्यान गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यद्यपि देश में वैज्ञानिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, किन्तु वैज्ञानिकों, टेकनोलोजी-विज्ञों और इंजीनियरों को रोजगार के और अधिक मौके तेजी से आर्थिक विकास होने पर ही मिल सकते हैं ।

दिल्ली नगर निगम को भंग करना

2753. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के कार्य को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने की उप-राज्यपाल की सिफारिश के बावजूद उनके मंत्रालय ने निगम को भंग करने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम को भंग करना सरकार के विचाराधीन नहीं था । अतएव उसका विचार छोड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेलगांव में महाराष्ट्र समर्थक प्रदर्शन

2754. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अक्तूबर, 1968 को बेलगांव के सर्किट हाउस के निकट एकत्रित महाराष्ट्र

समर्थक कुछ प्रदर्शनकारियों ने बेलगांव, निपान तथा करवार को मैसूर राज्य से महाराष्ट्र को हस्तांतरित करने की अपनी मांग व्यक्त करने के लिये उनकी कार पर पत्थर फेंके थे;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री की कार को, जैसे वह सर्किट हाउस के बाहर निकली, रोकने की कोशिश की, कार पर कुछ पत्थर भी फेंके गये। फिर भी, कार आगे बढ़ी। भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 337, 355, 147, 149 और 427 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। जहां तक सीमा विवाद का सम्बन्ध है उसे यथाशीघ्र तय करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गैर-हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

2755. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गैर-हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देती है जो हिन्दी को मुख्य विषय के रूप में लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियां देने की क्या कसौटी है; और

(ग) ऐसी छात्रवृत्तियां पाने वाले विद्यार्थियों और कालेजों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को उत्तर-मेट्रिक में, हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ने के लिए प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां दी जाती है।

(ख) उम्मीदवारों को 'अगली नीचली' परीक्षा में प्राप्त कुल तथा हिन्दी में प्राप्त अंकों के आधार पर और योग्यता-क्रम से राज्यवार चुना जाता है।

(ग) यह योजना 1955 में शुरू की गई थी और तब से निम्नलिखित छात्रवृत्तियां दी गई हैं :—

1955-56	—	10
1956-57	—	66
1957-58 to 1960-61		110 (Each year)
1961-62	—	150

1962-63	—	220
1963-64	—	220
1964-65	—	1,500
1965-66	—	1,000
1966-67	—	500
1967-68	—	1,000

इस प्रकार, 1967-68 तक कुल 5,106 छात्रवृत्तियां दी गई हैं। 1968-69 के दौरान 1,000 छात्रवृत्तियां देने का विचार है। छात्रवृत्तियां कालेजों को न दी जाकर, विद्यार्थियों को सीधे ही दी जाती है। चुने हुए उम्मीदवार, देश भर में फैले 300 से अधिक विभिन्न मान्यता प्राप्त कालेजों संस्थाओं में अध्ययन करते हैं। 13 वर्ष की अवधि में जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलीं उनके नाम की सूची तथा जिन-जिन कालेजों में उन्होंने अध्ययन किया, उनकी पूरी सूची भारी भरकम होगी।

Hindi Medium in all Departments of Universities

2756. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to adopt Hindi medium in all the Departments of Universities of the Hindi speaking States by 1973; and

(b) if so, the action so far taken by Government in this regard and the action proposed to be taken in future?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) It is for the Universities and not for the Government of India or the State Governments to decide about the medium of instruction at university level. The last Conference of Vice-Chancellors and Education Secretaries of Hindi-speaking States held at Varanasi generally favoured the idea that the change-over of the media of instruction to Hindi to first degree level in all the faculties should be effected by 1973.

(b) Pursuant to this opinion, Government of India have requested various State Governments to take up production of university level books in different Indian languages for which funds would be made available by the Government of India on 75:25 basis.

Tourist Resort at Parasnath Hill in Bihar

2757. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Parasnath Hill situated in Bihar is a famous and important tourist resort:

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for its development;

(c) if so, the outlines thereof; and

(d) the time by which Government propose to implement the scheme?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Parasnath Hill is an important place of pilgrimage for Jains.

(b) Government of India have no scheme to develop Parasnath.

(c) and (d). Do not arise.

उड्डयन क्लब

2758. **श्री अगाड़ी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने उड्डयन क्लब हैं और वे राज्य-वार कहां-कहां पर हैं; और

(ख) वर्ष 1960-61 से अब तक प्रत्येक क्लब को कुल कितनी वार्षिक सहायता दी गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2411/68]

बेलगाँम (मैसूर) में उड्डयन क्लब

2759. **श्री अगाड़ी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगांम, मैसूर राज्य में एक उड्डयन क्लब खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस विषय पर अब तक जो एकमात्र पत्र प्राप्त हुआ है वह संसद् सदस्य श्री एस० ए० अगाड़ी का दिनांक 5.10.68 का पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री के नाम पत्र है।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है, परन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मैसूर राज्य में बैंगलौर में 'गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल' नामक एक फ्लाइंग क्लब पहले से विद्यमान है, तथा इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध सीमित निधियों को भी दृष्टि में रखते हुए इस प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने की संभावना संभवतया नहीं है।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

2760. **श्री अगाड़ी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर-महाराष्ट्र-केरल सीमा विवादों सम्बन्धी महाजन आयोग का प्रतिवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) अन्तिम रूप से निपटारे के लिये संसद् में इस विषय पर कब चर्चा की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो महाजन आयोग के प्रतिवेदन को कार्यरूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इन विवादों को यथाशीघ्र हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस विषय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है किन्तु अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह विषय संसद् के समक्ष कब तक रखा जा सकेगा।

राजनीतिक षड़यंत्रकारियों का पुनर्वास

2761. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीतिक षड़यंत्र के उन मामलों का ब्योरा क्या है जिनमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की;

(ख) राजनीतिक षड़यंत्रकारियों को किस प्रकार फिर से बसाया गया है अथवा बसाया जा रहा है; और

(ग) जो राजनीतिक षड़यंत्रकारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जेलों में मर गये थे उनके परिवारों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा विदेशों से आमंत्रित व्यक्ति

2762. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के निमंत्रण पर उसकी स्थापना के बाद से भारत आये थे ;

(ख) परिषद् के प्रबन्धक निकाय ने प्रत्येक दौरे के लिये कितनी धनराशि की मंजूरी दी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि सामान्यतया मंजूर की गई राशि से अधिक खर्च किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना अधिक खर्च किया गया था और इसे कैसे नियमित किया गया था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के निरीक्षण के समय किसी भी विदेशी को आमंत्रित नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों में फालतू कर्मचारी

2763. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी तथा सहायता प्राप्त कार्यालयों के नाम क्या हैं जिनके बारे में वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने उनमें से प्रत्येक कार्यालय में वर्तमान कर्मचारियों के औचित्य के लिए निरीक्षण किया है ;

(ख) इन कार्यालयों में कुछ कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) इन फालतू कर्मचारियों को इन कार्यालयों द्वारा किस प्रकार खपाये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2412/68]

(घ) सरकार का केवल सरकारी कार्यालयों में फालतू कर्मचारियों से सम्बन्ध है और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों में फालतू कर्मचारियों से नहीं है। सेल को सूचित किये गये फालतू कर्मचारियों की पुर्नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिये गृह मंत्रालय में एक केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल स्थापित किया गया है। फालतू कर्मचारियों की तेजी से पुर्नियुक्ति करने के लिए सरकारी कार्यालयों द्वारा नई भर्ती पर जब तक केन्द्रीय सेल से इस बारे में कि उनके पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार प्रस्तुत करने को नहीं है एक प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया जाय, कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। सेल को सूचित अधिकांश कर्मचारी अन्य स्थानों में उपलब्ध रिक्तियों में पहले ही पुर्नियुक्त कर दिये गये हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में गोलमाल

2764. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में गोल-माल के मामलों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में परिषद् के कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था और उनमें से प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध क्या आरोप थे ; और

(घ) प्रत्येक मामले में दिये गये दण्ड का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) परिषद् में गोलमाल के तीन मामले हो चुके हैं। पहले मामले में 1,740 रुपये, दूसरे

में 287.19 रुपये तथा तीसरे में 6.60 रुपये की राशि थी । इन तीनों मामलों में की गई जांच से पता चला था कि क्रमश: 1,740 रुपए, 72 रुपये और 6.60 रुपये की राशि का गबन किया गया था । नियमों के अनुसार दोषी पाये गए व्यक्तियों को सजा दी गयी थी और पहले दो मामलों में सम्बन्धित व्यक्यिों से 1,740 रुपये और 72 रुपये की वसूलियां भी की गयी थीं ।

(ग) और (घ). विवरण सभा-पटल पर रखाजाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2413/68]

मध्य प्रदेश में एक विदेशी धर्म प्रचारक की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

2765. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अगस्त, 1968, के मध्य प्रदेश के "बिलासपुर टाइम्स" में एक विदेशी धर्म प्रचारक श्री आर० ए० बिक्स की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस समाचार के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस धर्म प्रचारक ने 'ईसाई गिरजा (अनुयायी) सेवा संस्था', जिसका प्रधान कार्यालय जबलपुर में होगा, स्थापित करने के लिए समवाय विधि प्रशासन विभाग को आवेदन किया है ;

(घ) क्या सरकार को दमोह (मध्य प्रदेश) के कुछ भारतीय ईसाइयों से एक याचिका प्राप्त हुई है कि इस धर्म प्रचारक को एक नई संस्था स्थापित करने की अनुमति न दी जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने समाचार देख लिया है ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष का भाषण

2766. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1968 को लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की परेड में श्री एम० एस० गोलवलकर के भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने भारत में मजहबी अल्पसंख्यक समुदायों के अस्तित्व का विरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने एकत्रित स्वयंसेवकों को परामर्श दिया कि वे हिन्दुओं को छोड़कर अन्य नागरिकों को गैर-भारतीय समझें; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सार्वजनिक भाषणों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 4 नवम्बर, 1968 को श्री एम० एस० गोलवलकर द्वारा किये गये भाषण की रिपोर्ट को सरकार ने देखा है। भाषण हिन्दू राष्ट्र के सिद्धान्त का मूलरूप से प्रचारक है। सरकार इस विचार को धर्म-निर्पेक्षता पर आधारित आधुनिक भारतीय नीति के मूल तथ्यों के पूर्णतया विरुद्ध समझती है।

Bus Route Permits

2767. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of bus-route permits issued on political recommendations during the last six months in the Meerut Transport Division as also the number of persons who made such recommendations ; and

(b) the complete details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The required information is being collected from the U. P. Government and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

भारत में निरक्षरता

2768. **श्री जनार्दनन :**

श्री कं० हाल्दर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के आधे से अधिक निरक्षर लोग भारत में हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ;

(ग) क्या तीसरी योजना में साक्षरता बढ़ाने के प्रयास निष्प्रभावी रहे थे ;

(घ) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण थे ; और

(ङ) चौथी योजना में निरक्षरता को दूर करने के लिये सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). साक्षरता की प्रतिशतता 1961 में 24 से 1966 में 28.6 प्रतिशत बढ़ाने की सम्भावना है किन्तु इस दिशा में किये गये प्रयत्न तेजी से बढ़ रही जन-संख्या के अनुरूप नहीं हैं।

(ङ) इस मामले का संबंध मूल रूप से राज्य सरकारों से है। चौथी आयोजना के दौरान निरक्षरता को दूर करने के लिये, सरकार का विचार वयस्क साक्षरता के लिये क्रियात्मक साक्षरता, कामगरों के लिये संस्थाएं और प्रौढ़ साक्षरता आदि के बारे में प्रायोगिक प्रायोजना जैसी अनेक योजनाएं चलाने का है और उन पर या तो अमल किया जा रहा है अथवा वे विचाराधीन हैं।

रूस सरकार के साथ करार

2769. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा रूसी प्रतिनिधियों के बीच हुए करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) रूस जाने के लिये चुने गये भारतीय विशेषज्ञों के नाम तथा अर्हताएं क्या हैं ;

(ग) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है ;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत लाये जाने वाला प्रयोगशाला का साज-सामान किस प्रकार है तथा उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ङ) क्या कारण है कि केवल बम्बई, खड़गपुर, हैदराबाद तथा बंगलौर नगरों को ही जहां औद्योगिक श्रमिक काफी अधिक संख्या में पाये जाते हैं रूस-प्रधान संकाय स्थापित करने के लिये चुना गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). करार में, रूस में इन्जीनियरी अनुसंधान और प्रयोगशाला उपस्कर सहित तकनीकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करने के लिये 15 भारतीय विशेषज्ञों तक, लगभग चार सप्ताह के लिए भेजे जाने की व्यवस्था है। यह अध्ययन भारत-सोवियत रूबल क्रेडिट के अन्तर्गत सोवियत सहायता से भारत में इन्जीनियरी में उन्नत अध्ययन तथा अनुसंधान के चार केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में है।

इस प्रयोजन के लिये रूस को भेजे गये भारतीय विशेषज्ञों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2414/68]

(घ) उन्नत अध्ययन के भारतीय केन्द्रों के लिए धातु विज्ञान, वैमानिक इन्जीनियरी, साधन-विनियोग तथा भूविज्ञान और भू-भौतिकी के लिए आवश्यक विशेष उपस्कर प्राप्त करने का विचार है। भारतीय विशेषज्ञों द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद उपस्कर के खर्च का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जाएगा।

(ङ) धातु विज्ञान, वैमानिक-इन्जीनियरी, साधन-विनियोग तथा भूविज्ञान और भू-भौतिकी के उन्नत अध्ययन के चार केन्द्र, भारती यटेक्नोलोजी संस्थान, बम्बई, भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान,

खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में स्थापित करने का विचार है, क्योंकि अपेक्षित सुविधाएं और अवस्थापना इन संस्थानों में उपलब्ध है। इन केन्द्रों और औद्योगिक कामगरों में कोई सम्बन्ध नहीं है।

विदेशी शस्त्र और गोला बारूद इत्यादि का बरामद होना

2770. **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में आसाम, नागालैण्ड, मनीपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में विदेशी चिह्नों वाले कितने शस्त्र और गोला बारूद इत्यादि बरामद किये गये ;

(ख) क्या उन तथाकथित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके कब्जे में ये हथियार पाये गये थे अथवा जिन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर हथियार इकट्ठे करने के लिये जिम्मेवार पाया गया था और यदि हां, तो इन व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) अवैध शस्त्रास्त्रों को भारत लाने की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1-11-66 से 31-10-68 तक की अवधि में असम, नागालैण्ड, मनीपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विदेशी चिह्नों वाले बरामद हुए शस्त्रों और गोला बारूद की संख्या इस प्रकार है :

(1)	बी० एल०/एम० एल० बन्दूकें	507
(2)	राइफलें	80
(3)	पिस्तौलें/रिवाल्वर	36
(4)	एल० एम० जी०	3
(5)	राकेट लांचर	1
(6)	60 एम० एम० मोर्टर	1
(7)	व्ही० एल० पिस्तौल	1
(8)	परकुशन कैप्स	100
(9)	डाइनेमाइट	164
(10)	बन्दूकें/राइफलें/पिस्तौलें/रिवाल्वरों के लिये गोला बारूद	2550 गोलियां

(ख) इस सम्बन्ध में 68 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :

(1) पड़ताल चौकियों और सीमा चौकियों को सशक्त करना ।

(2) सीमा सुरक्षा दलों और सीमा शुल्क प्राधिकारियों के गश्त को कड़ा करना ।

(3) पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी करना ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश को सरकारी कर्मचारियों का दिया जाना

2771. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा हरियाणा के कितने सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों को दिये गए थे और उनकी विभागवार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिये हैं कि उन्हें उनके मूल राज्यों को वापिस भेजा जाये ; और

(ग) उनके आवेदन-पत्रों पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उन कर्मचारियों के अतिरिक्त, जो संघ राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित क्षेत्र के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को अपने आपसे आवंटित किये गये थे, तत्कालीन पंजाब राज्य के 9,357 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश को आवंटित किये गये थे । उन व्यक्तियों के निवासस्थान और उनके विभागवार विघटन के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों में से 5,843 कर्मचारियों ने निवासस्थान के आधार पर अथवा अन्य आधारों पर अपने आवंटनों में परिवर्तन के लिये अभ्यावेदन दिये हैं ।

(ग) पुनर्गठन की क्रिया से प्रभावित कुल 57 विभागों में से, प्रभावित कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद 52 विभागों में आवंटनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है । शेष विभागों में आवंटनों को अन्तिम रूप देने का कार्य प्राथमिकता-आधार पर जारी है ।

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथ चंडीगढ़ के बीच मदों का विभाजन

2772. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विभाजन क्रियान्विति समिति ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ सरकारों के बीच विभिन्न मदों के विभाजन का कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों का विभाजन किया गया है तथा उनका कब्जा दे दिया गया है और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र वार उनका मूल्य कितना है ; और

(ग) कितने मद अभी बकाया हैं और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र वार कितने मूल्य के हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जैसा 7 जून, 1967 को माननीय सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के उत्तर में पहले ही बताया गया था, पंजाब विभाजन क्रियान्विति समिति नाम की कोई समिति नहीं है। फिर भी जनवरी, 1967 में यह निश्चय किया गया था कि सचिवालय और विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के भंडारों का विभाजन किया जाय और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ की बैठक की जाय और भंडार के विभाजन को तय किया जाय। तदनुसार 42 विभागों के भंडारों का विभाजन हो चुका है और शेष विभागों के भण्डारों का विभाजन किया जा रहा है। फिर भी उन मदों की परिगणना करना, जिनका विभाजन हो चुका है और उत्तरवर्ती राज्यों को कब्जा दिया जा चुका है, तथा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार उनके मूल्य और ब्यौरे बताना तथा उन मदों का मूल्य बताना जिनका विभाजन होना है, ऐसे ब्योरों को एकत्रित करने में लगने वाले समय और श्रम के कारण, व्यावहारिक नहीं होगा।

बड़े पत्तनों का विकास

2773. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 तक भारत में कितने बड़े पत्तनों का विकास हो जायगा तथा उनकी सामान लादने तथा उतारने की क्षमता कितनी होगी ;

(ख) वर्ष 1973-74 तक भारत में जहाजों में लादने के लिए कुल कितना सामान होने की संभावना है तथा यह बन्दरगाह इस सामान की ढुलाई का काम किस प्रकार कर सकेंगे ; और

(ग) लगाई जाने वाली पूंजी का ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). कार्य-वाहक कुशलता व क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, वर्तमान आठ बड़े पत्तनों का विकास चौथी पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा। इसके अलावा दो बड़े पत्तन, एक मंगलौर और दूसरा तूतीकोरिन में स्थापित करने का प्रस्ताव है। बड़े पत्तनों के विकास का कार्यक्रम अभी बन रहा है यह इस समय बताना संभव नहीं है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितना निवेश रखा जायगा, कितनी क्षमता होगी और 1973-74 के अन्त तक कितना यातायात ले पायेगा।

इन्दिरा मार्केट, दिल्ली

2774. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा मार्केट में ट्रकों तथा रहड़ियों के खड़े करने के लिए दिल्ली पुलिस की जिन व्यक्तियों/फर्मों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ट्रकों तथा रहड़ियों के खड़े करने पर नियंत्रण का समय प्रातः 8.00 से 11.00 बजे तथा सायं 4.00 से 7.00 बजे है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्दिरा मार्केट, दिल्ली की केलों की सबसे बड़ी मार्केट होने के कारण वहां प्रत्येक ट्रक और रहड़ियों को सामान लादने तथा उतारने के लिए ट्रैफिक के सामान्य घंटों में भी 15 से 20 मिनट तक खड़ा (पार्क) किया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ट्रैफिक के सामान्य घंटों में इतने थोड़े समय के लिए गाड़ियों के खड़े करने में भी, पुलिस वाले इन गाड़ियों के मालिकों को तंग करते हैं तथा उनका चालान करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वहां ट्रैफिक के सामान्य घंटों में ट्रक तथा रहड़ियों के खड़े करने की अनुमति देने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (i) श्री एम० एल० विनायक, निदेशक, भारत का जन-संपर्क सलाहकार, पोस्ट बाक्स संख्या 52, नई दिल्ली ।

(ii) श्री हरवंश सिंह तलवार, मंत्री, आर्यपुरा कल्याण संस्था, 3593, चौक आर्यपुरा, सब्जी मण्डी, दिल्ली ।

(ख) से (ङ). इन्दिरा मार्केट एक दुकान व रिहायशी क्षेत्र है और इसकी गलियां इतनी छोटी हैं कि किसी प्रयोजन से खड़ा (पार्क) करना समस्त सड़कों पर रुकावट उत्पन्न करता है। अतः जनता से शिकायतें प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्वाह्न 6.00 बजे से अपराह्न 10.00 बजे तक इन्दिरा मार्केट के उत्तर की ओर ट्रक और रहड़ियों समेत सभी प्रकार की गाड़ियों के खड़े होने पर निषेधात्मक आदेश जारी किये । तंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कार्यवाही उन व्यक्तियों के विरुद्ध की जाती है जो निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हैं । निषेधात्मक आदेशों के उठाने के प्रश्न पर विचार सब्जी मण्डी के आजादपुर हटाये जाने पर किया जा सकता है ।

समाज कल्याण अधिछात्रवृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां देने का कार्यक्रम

2775. **श्री सिद्ध्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री समाज कल्याण अधिछात्रवृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम के बारे में 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है, जो सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2415/68]

भारतीय लेखकों की रूस में प्रकाशित पुस्तकें

2776. **श्री जुगल मंडल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लेखकों की कितनी पुस्तकें रूस में प्रकाशित हुई हैं ; और

(ख) क्या उन पुस्तकों के प्रकाशन से पूर्व रूसी प्रकाशकों द्वारा समय-समय पर भारतीय लेखकों की अनुमति प्राप्त की गई है और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है ।

(ख) सोवियत रूस किसी लिप्यधिकार समझौते का साझीदार नहीं है जिससे वे भारतीय लेखकों की अनुमति के बिना भारतीय कृतियों का अनुवाद कर सकें । भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रूस के प्राधिकारियों ने अपने देश में उनकी पुस्तकें प्रकाशित करने से पहले किसी भारतीय लेखक से परामर्श किया हो ।

मध्यम तथा छोटे पत्तनों का विकास

2777. **श्री जुगल मंडल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में देश में मध्यम दर्जे के और छोटे पत्तनों के विकास की योजना को अन्तिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस प्रयोजना के लिए कुल कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर है । चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्यम तथा छोटे पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का प्रस्ताव योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है ।

Burning Alive of a Youngman in Banda District

2778. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain goondas burnt a youngman alive in Pakharauli village of Baberu Thana in Banda District (U. P.) after breaking his limbs ;

(b) whether the goonda, who burnt alive the said person, had already murdered another person two or three months before and is an old professional goonda ;

(c) whether it will be enquired why the Police is not vigilant towards such goondas ; and

(d) the number of murder cases registered in Baberu Thana in Banda District during 1968 and the number of those murder cases in respect of which prosecution proceedings were conducted in the courts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government of U. P. have reported that a case has been registered by the local police in connection with the alleged beating, killing and burning of a youngman by some persons of a village Pakharauli and Paras of Police station Baberu in District Banda.

(b) Three persons who are allegedly involved in the above mentioned case are also reported to be connected with another murder case.

(c) The U. P. Government have reported that Police has been vigilant throughout.

(d) Seven cases were registered at Police station Baberu during the year 1968. Four cases were challaned, one is under investigation and in 2 cases final reports were submitted.

विशाखापत्तनम वाह्य पत्तन परियोजना

2779. **श्री रा० रा० सिंह देव :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में एक वाह्य पत्तन बनाने की योजना की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ होने और कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । विशाखा-पत्तनम वाह्य पत्तन परियोजना का निर्माण सिद्धान्त रूप से अनुमोदित हो चुका है ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 31 करोड़ रुपये है ।

(ग) इस समय ठीक तौर से यह बताना संभव नहीं है कि परियोजना कब कार्यान्वित होगी और कब पूरी होगी । विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिये विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने परामर्श अभियन्ता की नियुक्ति कर ली है । रिपोर्ट की प्राप्ति पर योजना के कार्यान्वित करने के लिये यथार्तवत् समय-अभिसूची बना ली जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश के विभिन्न भागों में 'उग्रपंथी क्रान्तिवादियों, की हाल ही की गतिविधियां

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर): मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"देश के विभिन्न भागों में 'उग्रपंथी क्रान्तिवादियों' की हाल ही की गतिविधियां"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): जब से वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कुछ उग्रवादियों ने हिंसात्मक कार्यवाहियां कीं तबसे इस प्रकार के गुट की गतिविधियों के सम्बन्ध में इस सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है। माओत्से तुंग के सिद्धान्तों का अनुसरण करने वाले ऐसे गुट साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) से अलग हो गये हैं और उन्होंने क्रान्तिकारी संघर्ष करने के इरादों की घोषणा की है।

हाल ही में हमें नक्सलबाड़ी गुट द्वारा केरल में तेल्लिचेरी पुलिस थाने और पुलपल्ली पुलिस चौकी पर हमला करने के सम्बन्ध में सूचनाएं मिली हैं। 22 नवम्बर, 1968 को राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 300 व्यक्तियों ने भालों, छुरों, चाकुओं, विस्फोटक पदार्थों, लाठियों, कुटी हुई मिर्चों, बिजली के बल्बों आदि से लैस होकर कन्नानोर जिले के तेल्लिचेरी थाने को घेर लिया था। इस कार्यवाही से पूर्व उन्होंने तेल्लिचेरी टेलीफोन केन्द्र की टेलीफोन की तारें काट दी थीं। उन्होंने सशस्त्र सिपाही पर एक विस्फोटक पदार्थ फेंका था परन्तु जब उन्होंने देखा कि पुलिस उन्हें पीटने के लिये आगे बढ़ रही है तो वे अपने हथियार, झंडे, माओत्से तुंग के चित्र आदि छोड़कर भाग गये। इस घटना के बाद पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

24 नवम्बर को प्रातः तीन बजे लगभग एक गिरोह ने पुलपल्ली पुलिस चौकी पर आक्रमण किया था। इस गिरोह ने वायरलेस सेट को तोड़फोड़ दिया और वहां के कर्मचारियों की मारपीट की थी। उन लोगों के पास देसी बन्दूकें, देसी बम और भाले आदि थे। कुन्नीकृष्णन नायर नामक हवलदार की हत्या कर दी गई थी। एक सिपाही पास के जंगल में भाग गया था। फिर उन्होंने मशालों से वहां के रिकार्ड को आग लगा दी थी। जब आक्रमणकारी पास के थाने की ओर जा रहे थे तो उनका एक देशी बम फट गया। परन्तु आक्रमणकारियों के आगे के लोगों ने इस घटना को पुलिस का हमला समझा और वे दूसरी ओर भाग गये। बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। रास्ते में उन्होंने कुछ घरों में लूटपाट की और वहां के निवासियों को डराया धमकाया और उनसे नकदी, चावल, अन्य खाद्य पदार्थ और आभूषण आदि छीन लिये। इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। अपराधियों को

पकड़ने के लिए पुलिस उस क्षेत्र में गश्त लगा रही है। कालीकट और एलप्पी जिलों में पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने की दो और घटनाओं का भी हमें पता चला है। हम राज्य सरकार से इन घटनाओं का पूरा ब्योरा प्राप्त कर रहे हैं।

निःसन्देह सभा के सभी पक्ष यह चाहेंगे कि इन खतरनाक गतिविधियों को दृढ़ता से दबा दिया जाये। मैंने मुख्य मंत्री को इन मामलों की जड़ का पता लगाने के लिए कहा है और ऐसी कार्यवाही करने के लिये कहा है जिससे यह घटनाएं दोबारा न हों। इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार सभी सम्भव सहायता राज्य सरकार को देगी।

हमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अनाज के मामले को लेकर उग्रवादियों द्वारा हिंसात्मक कार्य किये जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 2 सितम्बर, 1968 को 50-60 व्यक्तियों के सशस्त्र समूह ने एक असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर को पीटा तथा उसे जिन्दा जला देने का प्रयत्न किया था। उसी समय एक मजिस्ट्रेट तथा कुछ पुलिस को वहां भेजा गया जिसने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था। मुजफ्फरपुर नगर के निकट कुछ गांवों में जबरदस्ती फसलें काट लेने की भी सूचना हमें मिली है।

आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में हाल ही में 3 सशस्त्र हमलों की भी सूचना मिली थी। हमने राज्य सरकार से इन घटनाओं का ब्योरा मांगा है।

उग्रवादियों की गतिविधियों पर सरकार की कड़ी नजर है और वह राज्य सरकारों के साथ संपर्क स्थापित किये हुए है। सरकार इन गतिविधियों को रोकने के लिए और जनता की सुरक्षा तथा सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार सभी सम्भव उपाय करेगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उग्रवादियों की ये गतिविधियां पिछले कई वर्षों से चल रही हैं। नागालैंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और अब केरल में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस प्रकार की गतिविधियां होने लगी हैं। वर्ष 1948—50 में आन्ध्र प्रदेश में एक क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाया गया था। अब वैसी ही घटनाएं फिर हो रही हैं। पुलिस कर्मचारियों पर भी आक्रमण किये जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। बंगाल में एक वर्ष तक अराजकता रही। फिर 26 जनवरी, 1968 को इन साम्यवादी तत्वों ने सम्प्रदायवादियों के साथ मिल कर गोहाटी में बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी थी।

केरल में सशस्त्र लोगों ने कितने ही आक्रमण किये हैं परन्तु केवल 360 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वास्तव में ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक है। पुलिस अब तक इस पूरे गिरोह का पता मालूम नहीं कर सकी है।

यह कहना ठीक नहीं कि साम्यवादी दल का एक गुट ही ये कार्यवाइयां कर रहा है।

वास्तव में साम्यवादी दल भारत में अपना प्रशासनिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। वे पहले अव्यवस्था पैदा करते हैं और गरीब लोगों तथा विद्यार्थी समुदाय को पथभ्रष्ट करते हैं। इसके पीछे विदेशी शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। नागालैंड और नक्सलबाड़ी इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं। चीन और रूस का इन कार्यवाइयों में पूरा-पूरा हाथ है। इन देशों से काफी धन भी प्राप्त हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने विधान सभा में बताया था कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसे चीनी दूतावास से धन मिल रहा था। वास्तव में ऐसे बहुत से मामले हैं परन्तु गुप्तचर विभाग इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति की गम्भीरता को समझती है, या वह इन प्रतिक्रियावादियों की गति-विधियों के प्रति उदासीन बनी रहेगी ? इन सशस्त्र हमलों के सामने सरकार क्यों निःसहाय बनी हुई है ? क्या सरकार भारत में साम्यवादी दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तैयार है और यदि नहीं तो हमारे देश में इन गतिविधियों को रोकने के लिए गृह-कार्य मंत्री का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने गत दो वर्षों में उग्रवादी दल की गति-विधियों के विषय में जो कुछ बताया है, वह ठीक है। परन्तु उन्हें उसका बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख नहीं करना चाहिए। हम इन दलों के कार्य करने के ढंग और उनके खतरनाक आशय के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क हैं। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) में भी इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): वे जनबूझ कर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस सम्बन्ध में भी विचार किया जा सकता है। मैं इस बारे में कोई अन्तिम राय व्यक्त नहीं करना चाहता। हम इन मामलों के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं परन्तु जहां कहीं संवैधानिक सरकारें बनी हुई हैं वहां हमें उन पर निर्भर करना पड़ता है।

राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के सिद्धान्त पर हमारा विश्वास नहीं है। जहां तक हिंसात्मक कार्यवाइयों का सम्बन्ध है उनके साथ कानूनी तौर से निपटा जायेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि प्रशासन इतना अकर्मण्य क्यों था और पुलिस के सिपाही अपनी रक्षा करने में क्यों असमर्थ थे।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था। हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये पुलिस ने कई स्थानों पर कार्यवाही की है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलवादी इस प्रकार की कार्यवाइयां कर रहे हैं। सर्वप्रथम ये कार्यवाइयां किसान क्रांति के रूप में बंगाल में आरम्भ की गई थीं परन्तु उस समय हमने उस पर इतनी गम्भीरता से विचार नहीं किया था। बाद में नक्सलबाड़ी तथा बंगाल के अन्य क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। परन्तु तत्कालीन राज्य सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही

नहीं की थी । अन्ततोगत्वा भारी दबाव के कारण श्री अजय मुकर्जी को कुछ कार्यवाही करने का निर्णय करना पड़ा । अब तो स्थिति यहां तक बढ़ गई है कि एक नक्सलवादी दल बन गया है ।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना सम्बन्ध माओ से बताया है । उन्होंने यह भी कहा है कि उनका विश्वास उग्र तथा क्रांतिकारी तरीकों में है । वैसे तो मैं नहीं चाहती कि किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबन्ध लगे परन्तु एक समय ऐसा आ जाता है जब यह सोचना होता है कि क्या ऐसे राजनीतिक दल को बिना कुछ कहे कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

मुझे यह पता लगा है कि यह अन्य क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है । केरल कांग्रेस के महासचिव बहुत समय से चिल्ला रहे हैं कि वहां घुसपैठ को योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है । यह भी कहा गया है कि सरकार लोगों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर रही है । श्री नम्बूदिरीपाद ने स्वयं कहा है कि वह अशाँति की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं । श्रीमती गौरी ने घोषणा की है कि उनका विश्वास संसदीय प्रणाली की सरकार में नहीं है । यह परिस्थितियां फैलती जा रही हैं और उन्हें रोकने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है । मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि भारत को ऐसे बेवफादार लोगों से बचाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है । यह छापामार युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह नई बात बड़ी खतरनाक है । जो नक्सलवादियों ने 1967 में किया उससे निपट लिया गया है । यह प्रवृत्तियां अब अन्य क्षेत्रों में फैलती जा रही हैं । श्री नम्बूदिरीपाद ने इसके बारे में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं । यदि वह आवश्यक कार्यवाही नहीं करते हैं तो भारत सरकार इस पर विचार करेगी ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, before I put my question, I want to state that the wording of calling attention notice is not proper because the Naxalites have been described as "revolutionaries". If that is so then are we "Counter revolutionaries" ? We also brought about a silent revolution in 1967 through the ballot-box.

Now I want to know from the Home Minister whether these activities are scattered or is there any central organisation behind these violent activities ?

Secondly has Government ascertained whether these organisations have any direct link with Peking or not ?

Thirdly all the State Chief Ministers are at present in New Delhi and as such will Government discuss with them how to punish and curb these activities and make an all India plan for it ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इन लोगों को "क्रांतिकारी" कहने के हक में नहीं हूं परन्तु क्योंकि यह शब्द प्रस्ताव में थे, इसलिये यह यहां लिखे हुये हैं ।

अब रहा प्रश्न तो उसका उत्तर यह है कि यह दल साम्यवादी मार्क्सिस्ट दल से निकला है । उनका विश्वास क्रांतिकारी संघर्ष में है जिसमें उग्रवाद भी शामिल हैं और उससे वे सरकार बदलना चाहते हैं । पर बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और यही मूल कारण है । इनकी सुनियोजित

कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है। परन्तु इसमें से एक संस्था का निर्माण होता दिखाई देता है। पहले हम यहां राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी एक विधेयक लाये थे परन्तु उसका सब दलों ने विरोध किया था।

रहा दूसरा प्रश्न तो उसका उत्तर यह है कि माओ से जब प्रेरणा आती है तो दूसरे साधन भी आते हैं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : यह विभिन्न साम्यवादी दल देश में अराजकता फैला रहे हैं तथा हिंसा का प्रचार कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों का पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्या सरकार इन कम्युनिस्ट दलों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

दूसरे यदि इन पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है तो क्या सरकार इनके लिये "मार्शल-ला" के अन्तर्गत कोई विशेष कानून लागू करने का विचार कर रही है ताकि उन पर चलाये गये मुकदमों का शीघ्र निर्णय हो सके क्योंकि इन्होंने रूस द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर किये गये आक्रमण को भी उचित बताया था ?

Shri Bhogendra Jha : (Jainagar) Sir, are we discussing foreign affairs now ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य के इस प्रश्न का मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे 1968 (हिन्दी संस्करण)।

(2) वर्ष 1966-67 के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 1—समीक्षा (हिन्दी संस्करण)।

(3) वर्ष 1966-67 के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 2—विस्तृत विनियोग लेख (हिन्दी संस्करण)।

(4) वर्ष 1966-67 के लिये ब्लाक लेखे (ऋण लेखे के पूंजी विवरणों सहित), संतुलन-पत्र तथा लाभ हानि लेखे, रेलवे (हिन्दी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2379/68]

व्यापारिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा नाविक भविष्य निधि योजना का वार्षिक प्रतिवेदन

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) मास्टरों तथा मैट्स की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 968 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) जी० एस० आर० 2008 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1968 का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(दो) ऊपर की मद (एक) (क) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2380/68]

(2) नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के कार्य के बारे में 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति :

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2381/68]

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचनायें

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अधिसूचना संख्या सी आई (आर) 4699/पन्द्रह-39 (9)–1966 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम दिए गए हैं ।

(दो) अधिसूचना संख्या सी आई (आर)-7578/पन्द्रह-39 (9)–1966 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें मेरठ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2382/68]

भारतीय पुलिस सेवा विनियमों सम्बन्धी संशोधन तथा केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार द्वारा एक दूसरे के भेजे गये संदेश

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० जी० आर० 1983 की एक प्रति जो दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदावली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2383/68]

(2) 19 नवम्बर, 1968 को गृह-कार्य मंत्री द्वारा सभा में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखना अध्यादेश, 1968 के बारे में केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार द्वारा एक दूसरे को भेजे गये निम्नलिखित संदेशों की एक-एक प्रति :

(एक) राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों, संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों/मुख्यायुक्तों के नाम गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) का दिनांक 14 सितम्बर, 1968 का बेतार संदेश संख्या 13/6 (एस)/68-ई एस टी (बी)।

(दो) राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों, संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों/मुख्यायुक्तों के नाम गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) का दिनांक 17 सितम्बर, 1968 का बेतार संदेश संख्या 13/6 (एस) / 68-ई एस टी (बी)।

(तीन) गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) के नाम केरल के मुख्य सचिव का दिनांक 18 सितम्बर, 1968 का अत्यावश्यक (क्रैश) संदेश संख्या 54851/ एस एस 4/68/ होम।

(चार) मुख्य सचिव, त्रिवेन्द्रम के नाम गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) का दिनांक 19 सितम्बर, 1968 का अत्यावश्यक (क्रैश) बेतार सन्देश संख्या 59/14/68 पोल I (बी)।

(पांच) गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) के नाम केरल के मुख्य सचिव का दिनांक 19 सितम्बर, 1968 का बेतार सन्देश संख्या 54851/एस० एस० 4/68—होम ।

(छः) मुख्य सचिव, केरल, त्रिवेन्द्रम के नाम गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) का दिनांक 23 सितम्बर, 1968 का सी० सी० बी० सन्देश संख्या 40873 ।

(सात) गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) के नाम मुख्य सचिव, त्रिवेन्द्रम का दिनांक 26 सितम्बर, 1968 का बेतार सन्देश ।

(आठ) गृह, नई दिल्ली (होम, नई दिल्ली) के नाम मुख्य सचिव, केरल, त्रिवेन्द्रम का दिनांक 27 सितम्बर, 1968 का बेतार सन्देश ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2384/68]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 26 नवम्बर, 1968 की बैठक में टेलीग्राफ तारें (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक 1968, को पास कर दिया है ।

टेलीग्राफ तारें (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक
TELEGRAPH WIRES (UNLAWFUL POSSESSION) AMENDMENT BILL

राज्य सभा द्वारा पारित हुये

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में टेलीग्राफ तारें (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन, विधेयक 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) 1968-69
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PUNJAB) 1968-69

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं वर्ष 1968-69 के लिये पंजाब राज्य सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) 1968-69
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1968-69

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1968-69 के लिये पांडिचेरी संघ राज्य के क्षेत्र सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय, सभा में सोमवार, 2 दिसम्बर, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी-कार्य लिया जायेगा :

(1) आज की कार्य सूची में दर्ज किये गये ऐसे सरकारी काम पर विचार, जिस पर आज चर्चा नहीं की जा सकेगी।

निम्न विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना

(2) बीमा (संशोधन) विधेयक, 1968 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1967

मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी विधेयक, 1968।
विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(3) वर्ष 1965-66 और 1966-67 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार तथा उसे पारित करना।

(4) मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1968 को 4 बजे म० प० पर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में चर्चा।

(5) बुधवार, 4 दिसम्बर, 1968 को 5 बजे म० प० पर देश में सूखे की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

(6) गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1968 को 5 बजे म० प० पर चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा।

श्री नाथ पाई : (राजापुर) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी पर चर्चा करने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति निर्णय करेगी।

श्री नाथ पाई : कल आपने स्वयं कहा था । जब हमने मांग की थी उस समय मंत्री महोदय उपस्थित थे ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उसमें इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था तथा उन्होंने यह कार्यक्रम निर्धारित किया था, न कि मैंने ।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) लगभग सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों ने 5 दिसम्बर, 1968 को हड़ताल करने की जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की धमकी की ओर ध्यान दिलाया था । परन्तु सप्ताह के कार्यक्रम के विवरण में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कल आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग ले सकते थे । आपको उसमें भाग लेने से किसने रोका था ? अब इस प्रश्न को उठाने का कोई लाभ नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी के बारे में चर्चा उठाना नहीं चाहते, परन्तु मैं आपका ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए उस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने को तैयार हो गई है । मैं आपसे और आपके द्वारा श्रम मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि इस समय संसद् का अधिवेशन हो रहा है, इसलिए शिष्टाचार के नाते उन्हें इस बात का सभा में उल्लेख करना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : कल भी श्री नाथ पाई और आपने यही प्रश्न उठाया था, तथा मंत्री महोदय से यह कहा गया था कि वह आपकी बात श्रम मंत्री को बता दें ।

श्री स० मो० बनर्जी : दूसरी बात उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के सम्बन्ध में है । उत्तर-प्रदेश के शिक्षकों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है तथा वे उसका उल्लंघन करेंगे । उत्तर प्रदेश में विधान सभा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को यहां उठाया जाना चाहिए और शिक्षा मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षा मंत्री यहां बैठे हैं और आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ।

नेफा में चीनियों द्वारा गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 633 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 633 RE. CHINESE TRAINING GUERILLAS IN NEFA

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना विवरण सभा-पटल पर रखें ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी हां, मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2385/68]

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पच्चीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो 28 नवम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो 28 नवम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक—जारी
STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक पर आगे चर्चा की जायेगी । श्री रणधीर सिंह अपना वक्तव्य जारी रखें ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, Sir, yesterday while speaking on this Bill I was saying that farmer is the bread giver to the 55 crores of people of this country. It will therefore be in the fitness of things if the daily business of the Parliament is started after paying tribute to him.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

My submission is that farmer is the base of this country and the entire nation is dependent on him. If the farmer of this country is not prosperous this country can never be prosperous. He is the foundation stone of our country. I want to make it clear that the base of this country is agriculture and not industry. The fact is that on the advice of few persons very huge sum-say-an amount of Rs. 3000 crores has been spent on large scale industries and the result is that the return from this investment is not even 1 $\frac{1}{2}$%. If this amount would have been given to 45 crore Kisans, the condition of this country would have been much better today. I have no intention of mentioning the name of China here, because China is unfriendly to us. But the fact remains that China had made much progress and the main reason for her progress is

that Kisan is respected there. Today, China is one of the biggest powers of the world and the only reason for her progress is that Kisan is respected in China. So my submission is that we must pay due regard to our Kisan.

I am thankful to the Hon. Finance Minister for bringing this Bill before the House. But at the same time I want to add a word of caution for him. He should see that the Agricultural Credit Corporation does not become a bureaucratic organisation. Kisan should be given due representation in it. According to the provisions of the Bill all the Seven Members of the Board of Directors of the Corporation will be non-agriculturists, because two among them will be Central officials, one from the Reserve Bank, two from the concerned State—one non-official and one expert and two other Members from the Banks. Thus the Kisan for whom this corporation is being set up is being deprived of any representation. So my submission is that like L. I. C. Central, Zonal and Divisional Advisory Committees should be set to advise the corporation and Kisan should be given due representation in them.

I would also like to request the Hon. Minister to see that credit is given to the deserving and poor farmers and not to those who are already well off.

I would also like to draw the attention of the Hon. Minister to another overlapping provision in this Bill. The Board of Directors will consist of seven Members. But three Committees have been set up for them. It is not desirable to set up so many committees for seven members only. I would like to request the Hon. Minister to see to it.

It has been said that the corporation will be run on business principle. I want to say that it should not be a business man's shop and the principle of the corporation should be the interest of the farmer. Its object should be rural development and national development. The aim of the corporation should be upliftment of the Kisan.

I express my gratitude to you Sir, for giving me this opportunity for speaking on this Bill and I am also thankful to the Government for bringing a bill for the betterment of the farmer.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : This Bill which provides for constituting a corporation with a view to provide financial assistance in our agricultural endeavour, should have been brought in this House much earlier. The food problem in country has been prevailing since long and such a Bill was very much needed. Even if it is so late, I welcome and support this Bill. Besides that, I congratulate Shri K. C. Pant for bringing this Bill here.

But in this connection I have to make certain very important points which should be given serious considerations.

Firstly, the Government have constituted a number of other corporations viz. the Film Finance Corporation, Industrial Finance Corporation etc. but we know that these corporations became the monopoly of only a few rich men and the bona-fide workers in those fields could not get any benefit out of those corporations. Much misappropriation was made by the interested monopolists and the real purpose of these organisations was defeated. If this new corporation also meets the same fate, it will be most unfortunate for us all. I would, therefore, forcefully urge that very serious consideration should be given to these aspects and no political interests should be allowed to prevail in this corporation ; since this corporation will be the only source of help to the poor farmers.

Unfortunately, I donot find any clause in this Bill which assures that this corporation will encourage only food production specially in the interests of the farmers, and that it will not become the monopoly of the vested political interests.

I would, therefore, emphasise upon making use of this corporation in a more efficient and just manner. Only then we can get the best and benefiting results. So, the maximum money should reach the small farmers so as to get mass productions through masses thereby increasing the income of the common people. This will reduce economic imbalance. For this purpose the Directorate authorities should be very vigilant to ensure that the loans are given only to those common people who do not have adequate resources to purchase good bullocks, new progressive seeds and modern fertilizers. These loans should not be provided to those big agriculturists or land lords who already have enough resources for their needs and who might misuse these loans to meet the other ends.

Clause 3 of this Bill has excluded several State and these benefit will not be available to them. Those States are Punjab, Haryana, Himachal Pradesh etc.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock

[**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं**
Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

Shri Randhir Singh : I may kindly be allowed to speak for two minutes only.

Mr. Chairman : Let Mr. Sharma conclude. I shall call him later.

Shri Yajna Datt Sharma : I am grateful to you that you have allowed me to continue. I was speaking on clause 3 of the Bill. It is very objectionable clause since it provides only for a few states whereas this corporation should have been meant for the whole country. There should not be any political interest behind it.

I appreciate that this corporation is meant to help increase production in the areas where the farmers have comparatively more difficulties, but in Punjab, Haryana and Himachal also the farmers are working very hard and have a great desire to do a lot within their limited resources. In view of their capacity as also the fertility of those areas, if they are also provided with the benefits of this corporation they too will get encouragement in the field of productivity. Our food problem is a national problem and, therefore, there should be no discrimination. Hon. Minister may please think over it and include these States also.

Then an amount of Rs. 25 crores is very small amount for this corporation. It clearly shows that the farmers are always ignored. The Government are thus undermining the intensity of problems relating to agriculture, food-grains and the resources to the farmers. It is just like a bluffing the farmers. This little amount is definitely insufficient for the purpose. It is against the interest of the farmers.

Under clause 9 (a) you propose to nominate officers to hold the posts of Directors and Chairman of this Corporation. It will certainly involve political considerations. They will always think in terms of benefiting vested interests. Therefore only the experts in the field of finance and agriculture should be posted in these corporations. This subject is totally away from any party consideration. So only those persons should be deployed who understand and can handle problems of the farmers and help them in their endeavours.

Then while providing loans, due consideration should be given for their recovery. A period of five years has been fixed and the State Governments will arrange for recovery of these loans. But there have been instances where powerful elements escape recovery. Such people have political influence and they very easily evade recoveries. On the other hand they avail themselves of 75 per cent of these benefits. But the poor farmer who is sometimes unable to repay the loans owing to certain unavoidable circumstances, is severely brought to book. It is therefore essential to sympathetically realise the condition of the poor farmers also while asking for refund of loans. Besides that we should always be vigilant about the recoveries of these loans.

Mr. Chairman : What does Shri Randhir Singh want to say ?

Shri Randhir Singh : I am grateful to you that you have allowed me to put my point. I want to say that the farmer sacrifices almost everything viz., his money, his property and even his house for sugar-cane cultivation, but he is being forced to sell his produce to the mills. Everybody is free to sell his produce to whomsoever he chooses or may not sell at all ; but the farmers are being forced through police to sell his produce to the mills at a very very cheap price viz. Rs. 2.50 per maund whereas even the wood is being sold at Rs. 9 per maund. It is strange. The Minister of Parliamentary affairs had assured me to convey this grievance of farmer to the Government. I want to know whether Dr. Ram Subhag Singh has told the Government or not. He is sitting here.

Mr. Chairman : It is not relevant to the subject being discussed here. I shall not call the Hon. Minister now. You give your point in writing to the Speaker, if you have not done so. He may perhaps consider it. You cannot raise this point here.

Shri Randhir Singh : If you do not permit I hereby stage walk out against your ruling.

इसके बाद श्री रणधीर सिंह सभा भवन से बाहर चले गये

Shri Randhir Singh then Left the House

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I congratulate the Hon. Minister for his sympathy towards the poor farmers and bringing this Bill in the House. But the limit of the paid up capital i.e. Rs. one to five crores for one Corporation is very small amount. Recently as many as 2 lakh cows worth Rs. five crores were killed in Rajasthan. Now how can a Corporation whose paid up capital is only five crores rupees help the farmers? The farmers have always been neglected in the name of big industries. Therefore the paid up capital for a Corporation should be much more.

Out of our total currency worth 5,289 crores, Rs. 2,000 crores are confined in black money. There are some people in this country whose individual property is worth about Rs. 300 crores. Large amounts belonging to PL 480 are also there. If you collect even a part of this money, you can give much benefit to the farmers. It is a pity that lakhs of people and cows are dying of starvation and you propose to satisfy the farmers with this little amount.

About Rs. 600 crores are there in income tax arrears, and Rajasthan Canal can be constructed at the cost of Rs. 100 crores thereby feeding about 5 lakhs of people for several years. Can't you think in these terms also ?

So the problems and difficulties of the farmers should be attended to immediately. We see that Narbada Project has also not been completed. You issue ordinances in regard to so many important matters, so why not on these very important issues also ? L.I.C. has given a loan of Rs. 25 lakh to the Hindustan Times. There are certain other cases also where loans have been granted to industrialists also to purchase shares. Why it is not that the Reserve Bank may give loans to the farmers also ?

The report of the Sukhthanker Committee should be laid down on the Table of the House. If some strictness is used and tax and black money is recovered, the same can be utilised for the welfare of the farmers.

Farmers depend solely and whole-heartedly on Government. The Government should, therefore, save them from industrialists' pains.

Shri Mohd. Ismail (Barrackpore) : It is a matter of happiness that the Government have brought a Bill here for the benefit of the farmers. But will they be able to achieve what the hope therein ? I doubt it.

Today, the farmers are caught in the grip of money-lenders. According to the Reserve Bank of India, the farmers owe Rs. 2,789 crores of rupees to the money-lenders for which they have to pay a sum of Rs. 300 crores as interest. I donot hope, this Bill would provide any relief to them. The same state will prevail. On the other hand, there is enough scope in this Bill for the Mahajans to continue their exploitation.

It is quite surprising to find that the Mahajans are charging from 18 to 37 percent interest from the farmers. There is no provision in this Bill to save the farmers from this course.

The proposed corporation is not for the whole country. It is for a few States only. This Bill is sure to strengthen the interests of the Mahajans, and the farmers will go on suffering. You have given Rs. 100 crores to the Food Corporation but you are giving only Rs. 5 crores to the Agricultural credit corporation. Why is it so ? How do you then propose to help the farmers ?

Then you propose to nominate officials to work on these Corporations. This would further threaten the mutual relations between the Centre and the State. How will it do if every thing is to be controlled by you ? Why not the persons from the respective States be elected to hold posts on the Corporations ?

Secondly, you should provide not Rs. 5 crores but Rs. 50 crores for the Corporation. Thirdly, you should write off the loan of Rs. 2800 crores on the farmers for which they are paying Rs. 300 crores as interest ; and save them.

At present, the farmers do not get loan on their crops. The big people get loans on land, and then lend it to the farmers at 10 to 30 per cent interest. Thus these big people

run their business. It is very common in India. This Bill should, therefore, be so designed that the farmers are protected from the grip of the Mahajans; these poor people may be able to get loans from the corporation. Only then you will be able to achieve what you have speculated in this Bill.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर): राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। यह विधेयक भारत के 5 पूर्वी राज्यों के सहायतार्थ, कृषकों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है। परन्तु यह विधेयक बड़ी देर से पेश किया गया है तथा दूसरे इसमें कृषकों की सहायता के लिए बहुत थोड़ा धन नियत किया गया है। हम जानते हैं कि इन राज्यों में सिंचाई योजनाओं का यथोचित विकास नहीं हुआ है तथा अधिकतम कृषक वर्षा पर आश्रित हैं। और इस प्रकार उनका भाग्य प्रकृति की दया पर बनता बिगड़ता है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछले तीन अथवा चार वर्षों से निरन्तर सूखा पड़ रहा है। तकावी ऋण तथा अन्य ऋणों से बड़े तथा मध्यम वर्ग के किसान दबे हुए हैं। सरकार ने राज्यों में ऋण निगम स्थापित करने का जो निर्णय किया है वह बहुत अच्छा है यद्यपि यह निर्णय बहुत विलम्ब से किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पांच पूर्वी राज्यों में इन निगमों की स्थापना करने में विलम्ब न करे।

सरकार ने इन निगमों की राशि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये रखी है। यदि इस राशि में वृद्धि कर दी जाये तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी क्योंकि इस प्रकार किसानों की अधिक अच्छे ढंग से सेवा की जा सकेगी। इन नियमों की भुगतान की शर्तों को बनाते समय सरकार को मौसम तथा फसल की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

जहां तक विधेयक के विभिन्न खण्डों का सम्बन्ध है मुझे इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि इन निगमों का कार्य संचालन इनके द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा किया जायेगा।

इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री रंगा (श्री काकुलम): मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। परन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत बनाये जाने वाले संगठनों से बहुत सीमित क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा।

मैं नहीं समझ सका कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मैसूर, तामिलनाड, आन्ध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र को इस वियेयक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत न लाये जाने के क्या कारण हैं। जहां तक सहकारिता आन्दोलन का सम्बन्ध है मद्रास को छोड़कर अन्य राज्यों में यह पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। मद्रास में भी इसके और विधान की गुन्जायश है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इन बैंकों की प्राधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई कारण नहीं है। मेरे साथी ने 25 करोड़ रुपये का सुझाव दिया है। परन्तु मेरे विचार में कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। अधिक से अधिक धन इन संगठनों को दिया जाना चाहिए।

जहां तक इन निगमों के प्रबन्ध का सम्बन्ध है इसमें केवल अधिकारीगण ही नहीं बल्कि किसानों से अहर्ता के आधार पर भी लोगों को लिया जाना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इन संगठनों को अन्य ऋण संगठनों से स्वतन्त्र रूप से काम नहीं करना चाहिए बल्कि किसानों की सहायता करने वाले अन्य संगठनों का कार्य भी समन्वित करना चाहिए।

सरकार को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय किसानों को जितना ऋण दिया जाता है वह बहुत कम है और उससे समस्या का हल नहीं होता। अनेक किसान ट्रैक्टर क्रय करना चाहते हैं परन्तु उसमें भारी धनराशि की आवश्यकता होती है। यदि किसी किसान को अपनी तीन एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाना होता है तो उसके लिए उसे अपनी एक एकड़ भूमि बेचनी होती है। अतः सरकार को चाहिए कि इन निगमों को अधिक धन दे जिससे कि किसान इससे लाभ उठाकर अपनी भूमि का सुधार कर सकें।

इन निगमों द्वारा ऋण दिये जाने के लिए सरकार ने पांच वर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है जबकि भूमिबंधक बैंक बीस वर्ष के लिए ऋण देते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस अवधि को बढ़ाने की व्यवहार्यता पर विचार करे।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : I express my gratitude to the Hon. Minister through you for bringing this Bill through which efforts have been made to improve the lot the farmers of the Rajasthan.

This Bill will definitely, prove beneficial to the farmers of the Rajasthan. Agriculture has not developed much in Rajasthan although it is the second biggest state in India in terms of area. There is only 2.9 milliare irrigated land out of total 53 milliare agricultural land. It is true that some efforts have been made for improving the conditions of farmers after coming into being the popular Government in Rajasthan but much has not been done.

Even now if some concrete steps are taken in this direction farmers of the country should welcome them.

In Rajasthan, Orissa, Bengal, Tripura and Manipur co-operative movements have not developed to the extent they should have developed and as a result thereof farmers could not got sufficient loans for digging wells, electric installation and also for improving the agricultural output. So now there is a need to for such an organisation which may extend loans to the farmers in proper time for the above purposes.

The period for the repayment of loans which has been fixed at five years may extended.

I also want to suggest that a man with agricultural background should be appointed as the Managing Agent. A man with the background of the co-operatives cannot solve the problems of the farmers.

With these words I welcome and support this Bill.

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय यदि इस विधेयक को इसके वर्तमान, रूप में पास कर दिया जाता है तो इससे विधेयक के सीमित उद्देश्य, जिनको विधेयक को लाने वाले प्राप्त करने का दावा करते हैं, पूरे नहीं हो सकेंगे । विधेयक से संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताया गया है कुछ राज्यों में सहकारी ऋण किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि इन कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में सहकारी ऋण पद्धति सफल रही है । परन्तु मेरे विचार में यह बात गलत है । सहकारी आन्दोलन इन राज्यों में भी किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके ।

अत: मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के अन्तर्गत इस संगठन को केवल कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में बनाया जायेगा क्योंकि किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं किया गया है ।

इस विधेयक के अन्तर्गत न केवल किसानों को बल्कि कृषि से सम्बन्धित कामों में लगे लोगों को भी ऋण दिये जाने की व्यवस्था है । परन्तु जब हम इस विधेयक के खण्ड 19 (क) को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि इसके अन्तर्गत बनाये जाने वाले निगम द्वारा केवल किसानों तथा सहकारी कृषि संस्थाओं को ही ऋण दिया जायेगा । इस विधेयक में 'किसान' शब्द की व्याख्या भी नहीं की गई है । अत: यदि यह निगम सम्बन्धित कामों अर्थात् डेरी तथा मुर्गीपालन के काम में लगे लोगों की सहायता करना भी चाहे तो यह निगम उनकी सहायता नहीं कर सकता । अनेक राज्यों में मछलीपालन, डेरी तथा मुर्गीपालन सहकारी संस्थाएं हैं जो सहकारी कृषि संस्था के अन्तर्गत नहीं आतीं । ऐसी संस्थाएं इस निगम से ऋण नहीं ले सकतीं ।

इस विधेयक में केवल पांच वर्ष के लिये ऋण देने की व्यवस्था है । यह अवधि बहुत कम है । अत: इसको बढ़ाकर दस वर्ष किया जाना चाहिये । इसका कारण यह है कि कुछ फसलें जैसा कि नारियल, रबड़ की फसलें हैं । ये पांच वर्ष के बाद ही उपज देना आरम्भ करती हैं ।

इस विधेयक में ब्याज की दर भी निर्धारित नहीं की गई है । इसको बाद में नियमों के अन्तर्गत अथवा भारत के रिजर्व बैंक तथा सम्बन्धित निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

हमारे देश में सहकारी ऋण समितियों में तथा ऋण सम्बन्धी आवेदनपत्रों पर लगाई जाने वाली कठोर शर्तों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं के कारण ही सहकारी ऋण पद्धति पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो सकी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रख सकते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चालीसवां प्रतिवेदन

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से जो 27 नवम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से जो 27 नवम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1968
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1968

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1968
(अनुच्छेद 15, 16 आदि का संशोधन)

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 1968

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1968
(अनुच्छेद 1 और 3 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1968
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1968

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

विदेशी धन की आमद का विनियमन विधेयक

REGULATION OF THE FLOW OF FOREIGN MONIES BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill to regulate the flow of foreign money coming into India and to provide for the curbs on the harmful activities of foreigners and their agents in this country."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी धन की भारत में आमद का विनियमन करने तथा इस देश में विदेशियों और उनके एजेन्टों की हानिकारक गतिविधियों पर रोक के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

पुस्तकों तथा समाचारपत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) (संशोधन) विधेयक, 1968

DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS (PUBLIC LIBRARIES) (AMENDMENT) BILL, 1968

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुस्तकों और समाचारपत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुस्तकों और समाचारपत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अ० त्रि० शर्मा : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

व्यय विनियमन तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक ,1968

REGULATION OF EXPENDITURE AND ERADICATION OF CORRUPTION BILL, 1968

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के, उनके उपक्रमों, कम्पनियों और संस्थाओं तथा उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निमंत्रणाधीन सभी सिविल निकायों के आन्तरिक तथा बाह्य व्यय और अदायगी का विनियमन करने : व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के समूचे व्यापारिक लेन-देन पर निगरानी रखने, आयकर, बिक्री कर तथा अन्य करों की चोरी को रोकने और अन्य कुरीतियों पर नियंत्रण रखने; तथा भ्रष्टाचार, चोर बाजारी तथा तस्करी का उन्मूलन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय,राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के, उनके उपक्रमों, कम्पनियों और संस्थाओं तथा उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन सभी सिविल निकायों के आन्तरिक तथा बाह्य व्यय और अदायगी का विनियमन करने : व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के समूचे व्यापारिक लेन-देन पर निगरानी रखने, आयकर, बिक्री-कर तथा अन्य करों की चोरी को रोकने और अन्य कुरीतियों पर नियंत्रण रखने ; तथा भ्रष्टाचार, चोर बाजारी तथा तस्करी का उन्मूलन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री हुमायून कबिर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री नाथपाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे ।

श्री पीलुमोडी (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इसको उचित ढंग से प्रस्तुत किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है । सभा के कुछ सदस्यों के अनुरोध पर इस विधेयक के लिये $4\frac{1}{2}$ घण्टे का समय रखा गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I want to know whether Government is conveying a meeting of all the parties for the consideration of this Bill or whether Government itself bring forward same Bill as the congress party divide on this ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय नाथपाई द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक सभा के समक्ष है। यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था और अब प्रतिवेदन तथा विधेयक दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : संयुक्त समिति में कांग्रेस के सदस्यों का बहुमत है। अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको मना क्यों किया जाये ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have not challenged the rights of Shri Nath Pai.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि 15 अथवा 20 मिनट का समय ही लें।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं चाहता हूं कि कोई भी निर्णय करने से पूर्व सभा विधेयक के प्रत्येक पहलू पर विचार करे।

इससे पूर्व कि मैं विधेयक के विषय के बारे में कुछ कहूं मैं विशेषकर उन माननीय सदस्यों से जो कि मेरे से सहमत नहीं हैं अपील करूंगा कि वे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें। मुख्य न्यायाधिपति ने भी सावधानी बरतने की अपील की है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुमत से दिये गये निर्णय की अत्यावश्यक बातों का मैं संक्षिप्त से वर्णन करूंगा। इसमें कहा गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 तथा 248 से मिलती है न कि अनुच्छेद 368 से जिसमें केवल अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 13 के कार्यों के अन्तर्गत संशोधन एक कानून है और इसलिये यदि यह संशोधन भाग तीन में उल्लिखित अधिकारों को छीनता है अथवा कम करता है तो यह अवैध है।

निर्णय के अन्त में यह भी कहा गया है कि हम घोषणा करते हैं कि इस निर्णय के लिए जाने की तिथि से अर्थात् 27 फरवरी, 1967 से संसद् को संविधान के भाग तीन के किसी उपबन्ध का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी जिससे कि उसमें दिये गये मूल अधिकारों को छीना जा सके अथवा कम किया जा सके। अन्त के वाक्य में इस समूचे निर्णय का सार दिया गया है जिसमें कहा गया है कि देश के पिछले इतिहास को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय लोगों के प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं कर सकती। अतः हम लोगों के संरक्षक हैं। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : माननीय सदस्य को निर्णय को तोड़मोड़ कर नहीं बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय को पूरी तरह पढ़ा है। माननीय सदस्य ठीक बोल रहे हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : माननीय सदस्य ने निर्णय की अपनी विवेचना दे दी है।

श्री रंगा (चित्तूर) : न्यायाधीशों ने यह कभी नहीं कहा कि उनके विचारों को स्वीकार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनकी विवेचना नहीं है । यह वाक्य निर्णय से लिया गया है ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : श्री नाथपाई ने निर्णय से वाक्य पढ़ने के पश्चात् उसमें जो संशोधन किया है उस पर श्री फ्रैंक एन्थनी ने आपत्ति की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री नाथपाई से निवेदन करूंगा कि वह सम्बन्धित वाक्य को पहले पढ़ें । उस पर वह अपनी टिप्पणी करने में स्वतन्त्र हैं ।

श्री नाथपाई : मेरे वाक्य पूरा करने से पूर्व ही श्री फ्रैंक एन्थनी बोल उठे । पूरा वाक्य इस प्रकार है "परन्तु अपने देश के पिछले इतिहास को देखते हुए लोगों के प्रतिनिधियों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अनियंत्रित तथा असीमित शक्ति से निरंकुश राज्य बन सकता है ।" मेरी ही नहीं परन्तु एक प्रसिद्ध न्यायाधीश जोकि बाद में भारत के मुख्य न्यायाधिपति बने, श्री वान्चू ने कहा कि किसी भी न्यायपालिका के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना उसके विधिवत कार्यसंचालन के अन्तर्गत नहीं आता । मैं न्यायपालिका का आदर करता हूं परन्तु मुझे अपने लोगों में विश्वास व्यक्त करने का अधिकार है । यद्यपि मेरे देश के लोग अनपढ़ हैं तथापि इन्हीं लोगों ने देश को स्वतंत्रता दिलाई है इन्हीं लोगों द्वारा हमें एक स्वतंत्र संविधान दिया गया है ।

जहां तक कानून की विवेचना का सम्बन्ध है हम इसमें स्वतन्त्र नहीं है । विवेचना करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है । मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायिक पुनर्विलोकन के परदे में न्यायालय ऐसा कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं जोकि देश की विधान सभाओं का है । यह प्रवृत्ति नई नहीं है । श्री फ्रांसिस बाकोन ने कहा है कि न्यायाधीशों को कानून की विवेचना करते समय कानून बनाने का काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए । इसी प्रकार संसद् को न्यायपालिका का काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ।

मैं इस निर्णय से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि इसमें जनता के लोकतन्त्रात्मक निर्णयों के प्रति शंका व्यक्त की गई है । न्यायाधीश लोगों को उनसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । दूसरे यह निर्णय इस गलत विचार पर आधारित है कि सम्पत्ति के अधिकार पर रोक लगाने से निरंकुश शासन के स्थापित होने का डर है ।

मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मामले में यह इतना महत्वपूर्ण निर्णय दिया है वह मूल अधिकारों का मामला नहीं था बल्कि वह कुछ जमींदारों द्वारा असीमित सम्पत्ति रखने का मामला था । उनका कहना था कि उनके सम्पत्ति रखने सम्बन्धी अधिकार खतरे में हैं ।

यदि भारत के किसी नागरिक के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय

अथवा उच्च न्यायालय से सहायता मांगने पर प्रतिबन्ध लगाने का यह निर्णय किया गया होता तो बात समझ में आ सकती है परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ जमीनदारों ने यह शिकायत की थी कि उनकी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को खतरा पैदा हो गया है। इस पूरे सिद्धान्त पर विचार करते हुए इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कहा गया है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो देश में एकदलीय शासन का मार्ग खुल जायेगा। यदि देश में एकदलीय तंत्र के प्रबल समर्थक मौजूद होंगे तो उच्चतम न्यायालय देश में एकदलीय शासन को आने से नहीं रोक सकेगा। हमारी जनता का लोकतन्त्र में विश्वास है, अतः हमारे देश में एकदलीय शासन नहीं कायम होगा। हमारे देश में किसी दल की उदारता तथा न्यायालय की व्याख्या से लोकतन्त्र की स्थापना नहीं हुई है।

50 वर्ष पूर्व अमरीकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होम्स ने कहा था "किसी स्वतन्त्र देश का संविधान कुछ न्यायाधीशों के रहने से नहीं बनता, बल्कि लोग उसे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बनता है।" यही संविधान का मूल अर्थ है। संविधान जनता की इच्छा, आशा तथा आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। यह जैसा कुछ होता है वैसा ही रहता है और उसमें जो कुछ संशोधन करना होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कराती है।

जनता को संयम तथा स्वतन्त्रता की भावना की स्वयं रक्षा करनी चाहिये। हमें अपनी जनता के लिये स्वतन्त्रता, न्याय तथा समानता की भावना की रक्षा के लिये न्यायाधीशों का ही आश्रय नहीं लेना चाहिये। जैफरसन ने कहा था, "मैं जनता के अतिरिक्त पूर्ण शक्ति तथा स्वतन्त्रता की सुरक्षा के किसी और निश्चित स्रोत को नहीं जानता।" उच्चतम न्यायालय को इस बात की चिन्ता है कि हमारे प्रतिनिधि गैर-जिम्मेदार हो सकते हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता परन्तु मैं भारतीय जनता पर विश्वास करने का खतरा सदा उठाने के लिये तैयार हूं। जनता कभी-कभी गलती भी कर सकती है परन्तु तानाशाही के विरुद्ध यही गारंटी होगी कि जनता को अधिकार दिया जाये तथा उसे स्वतन्त्रता का जोखम उठाने के लिये तैयार किया जाये।

मैं इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाये गये दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय ने यह विवाद उठाया है कि संविधान का अनुच्छेद 13 (2) संसद् को ऐसी कोई विधि बनाने से रोकता है जो खण्ड (3) के अधीन मिली मूलभूत स्वतन्त्रता कम करे अथवा उसे छीन ले। इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कि क्या अनुच्छेद 13 (2) में जिस विधि की कल्पना की गई है, वह संविधान का वही संशोधन है जिसकी कल्पना अनुच्छेद 368 द्वारा की गई है। मैं अपने विचार के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से ही उद्धरण देना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय के एक नहीं बल्कि तीन न्यायाधीशों का यह मत है कि संविधान के अनुच्छेद 13 (2) में जिस विधि की कल्पना की गई है, वह संविधान का वह संशोधन नहीं है जिसकी कल्पना अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत की गई है। अनुच्छेद 13 (2) संसद् अथवा किसी विधान मण्डल द्वारा बनाये गये किसी सामान्य कानून पर

रोक लगाने का काम करता है तथा इस देश में ऐसे कई मामले हैं। उदाहरण के लिये श्री ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में मुख्य न्यायाधीश श्री कानिया ने कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 13 (2) को पर्याप्त सावधानी बरतने की दृष्टि से शामिल किया गया है तथा यदि उसे न रखा गया होता तो भारत का उच्चतम न्यायालय तथा भारत की जनता ऐसी किसी भी विधि के विरुद्ध लड़ती जिससे मूलभूत स्वतन्त्रता कम होती हो। देश की विधि तथा संवैधानिक विधि में अन्तर होता है। संसद् अपनी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। परन्तु यदि संसद् की कोई सामान्य विधि मूलभूत स्वतन्त्रता को छीनने का प्रयास करती है तो उच्चतम न्यायालय का उस विधि को रद्द घोषित करना उचित होगा।

उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर एक बार नहीं बल्कि दो बार निर्णय दिया है। पहला निर्णय सर्वसम्मति से हुआ था और दूसरा बहुमत से निर्णय यह दिया गया था कि संसद् संविधान के भाग 3 में संशोधन कर सकती है तथा अनुच्छेद 13 (2) में उसके इस अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शंकरी प्रसाद के मामले में निर्णय दिया था कि अमरीकी संविधान का अनुसरण करने वाले किसी संविधान निर्माता ने कुछ मूलभूत अधिकारों को भाग 3 में शामिल करके उन्हें राज्य द्वारा बनाये गये कानूनों में हस्तक्षेप से मुक्त नहीं किया था। परन्तु स्पष्ट निर्देश न होने के कारण हमें यह मानने में कठिनाई अनुभव हुई कि उनका अभिप्राय भी इन अधिकारों को संवैधानिक संशोधनों से मुक्त रखने का था। अनुच्छेद 368 की शर्तें पूर्णतया सामान्य थीं तथा संसद् को बिना किसी अपवाद के संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। हमारा यह विचार है कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि का अभिप्राय संवैधानिक शक्ति के प्रयोग के अधीन संविधान में किये गये संशोधन से नहीं बल्कि सामान्य वैधानिक शक्ति के प्रयोग के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों से है और उसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किये गये संशोधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है। अमरीकी संविधान की भांति यह केवल एक ढांचा ही नहीं है। इसमें प्रत्येक स्थिति के लिये उपबन्ध नहीं किया गया है परन्तु उसे यथासम्भव विस्तृत तथा स्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिये, यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान निर्माताओं का अभिप्राय संविधान के भाग 3 को अनुच्छेद 368 के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना था।

मैं इस सम्बन्ध में संविधान के निर्माता डा० अम्बेदकर का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने संविधान सभा में संशोधन के अधिकार के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था, "संविधान सभा ने कनाडा की भांति जनता को संविधान में संशोधन न करने का अधिकार देकर और अमरीका अथवा आस्ट्रेलिया की भांति संविधान में संशोधन के बारे में असाधारण शर्तें लगाकर संविधान पर अन्तिम निश्चय की मुहर लगाने से ही अपने आपको नहीं रोका अपितु संविधान से संशोधन के लिये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया का उपबन्ध भी किया है।"

संविधान निर्माता ने कहा है कि संविधान सभा ने जान-बूझकर एक बहुत ही सरल प्रक्रिया का उपबन्ध किया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था ? मेरे विचार में बर्र एक बहुत ही रूढ़िवादी राजनीति शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि जिस संविधान में संशोधन का उपबन्ध नहीं होता, उसमें उसको बनाये रखने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं होता। इसलिये, डा० अम्बेदकर का यह कथन ऐसे ही विचारकों की भांति है : "मैं संविधान के किसी भी आलोचक को चुनौती देता हूं कि वह सिद्ध करे कि विश्व के किसी भी देश की संविधान सभा ने इस देश जैसी परिस्थितियों में संविधान में संशोधन की इतनी सरल प्रक्रिया का उपबन्ध किया है।"

एक और महान विचारक थामस पेन ने कहा है कि कोई संसद् अथवा प्राधिकार कोई ऐसे खण्ड, अधिनियम अथवा घोषणायें लागू नहीं कर सकता जो आने वाली पीढ़ियों को सदा के लिये बाध्य करें।

संविधान का समय की आवश्यकतानुसार संशोधन होना चाहिये। अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने जब संविधान के संशोधन को रोका तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायालय को कानून बनाने की शक्ति नहीं दी जा सकती।

मेरा संशोधन का अभिप्राय किसी मूल अधिकार को समाप्त करना नहीं। गोलकनाथ के मामले पर निर्णय से संविधान में बहुत अन्तर हो गया है। मैं तो अपने संशोधन द्वारा लोगों के अधिकार को पुनः दिये जाने के पक्ष में हूं। यह अधिकार इस निर्णय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय पांच के मुकाबले छः न्यायाधीशों के बहुमत से दिया गया है। मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। मैं तो देश की जनता को सर्वोच्च मानता हूं। उसी के अधिकारों के लिये मैं यह संशोधन लाया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) की संवैधानिक वैधता पर सदन को परामर्श देने के लिये भारत के महान्यायवादी को बुलाया जाये।"

यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा संशोधन इसलिये बहुत उचित है क्योंकि संयुक्त समिति में विचार के समय भी महान्यायवादी उपस्थित नहीं थे। इस विधेयक पर बहुत समय से विचार हो रहा है। इस विधेयक के दायरे में कुछ ऐसे कानूनी मामले आते हैं जिन पर महान्यायवादी को प्रकाश डालना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि भाग तीन का संशोधन करने का संसद् को अधिकार नहीं है। क्या यह सदन अब उस

न्यायालय का अपमान करना चाहता है ? क्या यह उचित अथवा ठीक है ? हमें ऐसा कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिये । मैं चाहता हूं कि महान्यायवादी इस बारे में अपनी राय दें । क्या यह उचित होगा कि सभी मूल अधिकारों के बारे में संसद् को संशोधन करने का अधिकार दे दिया जाये ? भविष्य में आने वाली संसदों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते । क्या हमें ऐसा विधान पारित करना चाहिये जो संविधान के उपबन्धों के विपरीत हो । इन बातों के स्पष्टीकरण के लिये महान्यायवादी को बुलाने का संशोधन मैंने रखा है ।

विधि तथा सामाजिक कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मुझे आश्चर्य है कि महान्याय-वादी को बुलाने का संशोधन प्रस्तुत किया गया है । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । उनके विचार न्यायालय के निर्णय के साथ आल इंडिया रिपोर्टर में देखे जा सकते हैं । सरकार की ओर से मुकदमे के लिये पैरवी उन्होंने ही की थी ।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 आस्ट्रेलिया के उपबन्ध के अनुसार है । इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गयी है । मेरे विचार में महान्यायवादी को स्पष्टीकरण के लिये आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । संविधान के कुछ भागों के संसद् द्वारा संशोधन किये जाने के बारे में माननीय सदस्यों में मतभेद है । इसमें कोई कानूनी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

हां, जब उच्चतम न्यायालय या और कोई न्यायालय किसी कानून में त्रुटि बताता है तो संसद् उस कानून में संशोधन करके उस त्रुटि को हटा सकती है । अब भी यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा समझता है तो वह उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) की संवैधानिक वैधता पर सदन को परामर्श देने के लिये भारत के महान्यायवादी को बुलाया जाये" ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 25 ; विपक्ष में 128

Ayes 25 ; Noes 128

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : श्री नाथ पाई के इस विधेयक पर पहले ही चार दिन चर्चा हो चुकी है । फिर विधि मंत्री के प्रस्ताव पर इसे संयुक्त समिति को सौंपा गया था । समिति ने लगभग सभी प्रमुख विधिविज्ञों को साक्ष्य देने के लिये बुलाया था । भारत के महान्यायवादी ने कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया था, मैंने अब कुछ संशोधन रखे हैं । यहां पर मुख्य प्रश्न यह है कि

संविधान के मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी भाग के संशोधन करने का अधिकार किसे है ? संसद् को यह अधिकार है अथवा नहीं ? इस बारे में 1952 में भी उच्चतम न्यायालय में एक मामला खड़ा हुआ था। श्री पातंजली शास्त्री द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 368 के संशोधन से अनुच्छेद 13 (2) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस निर्णय से बिहार के लोगों को बहुत राहत मिली। पटना उच्च न्यायलय ने भूमि सुधार कानून को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था। इस प्रकार स्पष्टीकरण हो गया था और भारत के विभिन्न विधान मंडलों द्वारा पारित कानूनों को वैध करार दिया गया था। यह फरवरी, 1967 तक रहा। दोनों सभाओं में पारित हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृत से विधेयक कानून बन जाता है। संविधान में यही प्रक्रिया दी हुई है।

शंकरी प्रसाद के तथा अन्य मामलों में उच्चतम न्ययालय ने निर्णय दिया था कि इस बारे में संविधान को संशोधित माना जायगा। इस सम्बन्ध में मूल अधिकार भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार मुख्य बात तो यह है कि विधायी शक्ति संसद् को प्राप्त है। मैं सदैव मूल अधिकारों में परिवर्तन के विरुद्ध रहा हूं।

[श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता में बसे पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को दी गयी जमीन के बारे में विधान सभा के कानून को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। हजारों लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। अन्ततः संविधान में संशोधन करना पड़ा इसे अनुचित नहीं कह सकते। क्योंकि यह मानवता के आधार पर किया गया था। श्री नाथ पाई के इस विधेयक का उद्देश्य संसद् के उन अधिकारों को दिलाना है जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णय से लगभग समाप्त कर दिया गया है।

हमारा संविधान अमरीका तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों से बहुत अच्छा है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। जब भी अधिकारों का हनन हो, न्यायालय में संरक्षण के लिये जाया जा सकता है। इस विधेयक द्वारा उस अधिकार को छीना नहीं जा रहा।

हमारे संविधान के बनाने वाले इसे अनम्य नहीं बनाना चाहते थे। प्रश्न यह है कि इसका कौन संशोधन कर सकता है संसद् या उच्चतम न्यायालय ? जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा न्यायपालिका के कुछ सदस्य ? 11-11-1948 को पंडित नेहरू ने कहा था कि हमें अपना संविधान अनम्य नहीं बनाना चाहिये। देश की तरह और लोगों की तरह संविधान भी परिवर्तन-शील होना चाहिये। अब यह सभा देश की संविधान सभा भी है। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन करने का अधिकार भी है। इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। और कुछ संशोधन के साथ इसे पारित किया जाना चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : सन 1950 में जब संविधान लागू किया गया था, यह पहली बार है कि यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या संसद् को मूल अधिकारों वाले भाग के संशोधन करने का अधिकार है अथवा नहीं? 1965 में सज्जन सिंह के मामले में मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्रगडकर ने कहा था कि 'संविधान का संशोधन' का स्पष्ट अर्थ यह है कि समूचे संविधान का संशोधन किया जाना। उच्चतम न्यायालय ने जब संसद् को मूल अधिकारों के बारे में संशोधन करने के अयोग्य घोषित किया था उस समय शायद माननीय न्यायाधीशों ने देश में फैली स्थिति को ध्यान में रखा होगा।

उच्चतम न्यायालय संसद् अथवा विधान मंडल के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है परन्तु क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संसद् संविधान का संशोधन करके मूल अधिकारों को समाप्त कर देगी ?

यह ठीक है कि विधान मडलों में अस्थिरता है। देश में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उन पर हमें चिन्ता है। हमें विचार करना है कि ऐसी स्थिति में संसद् क्या कर सकती है ?

अनुच्छेद 141 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय देश के कानून की घोषणा कर सकता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार संसद् मूलभूत अधिकारों को बदल या कम नहीं कर सकती। यदि संसद् इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 13 (2) में संशोधन करना चाहिये। मेरे विचार में यह एक सम्भावना है।

दूसरी सम्भावना यह है कि संसद् को अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिये। संसद् को अनुच्छेद 13 (2) में मूलभूत अधिकारों में इस प्रकार का संशोधन करने की छूट नहीं दी गयी है जिसके फलस्वरूप वे संक्षिप्त कर दिये जायें या छिन जायें। जब हम यह कहते हैं कि कानून का शासन होना चाहिये तो इसका अर्थ यह है कि पहले संसद् को कानून का आदर करना चाहिये। यदि संसद् ही संविधान का उल्लंघन करने की अनुमति दे तो इसका अर्थ यह है कि हम संविधान का आदर नहीं करते हैं। संविधान में उल्लिखित है कि देश में कानून लागू करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च प्राधिकार है। जब संसद् एक कानून पास करती है और हम लोग ही उसका उल्लंघन करते हैं तो हम उसका जनता पर आरोप नहीं लगा सकते। वास्तव में ऐसी ही बातें हो रही हैं। यदि हम ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करेंगे तो जनता का हम पर विश्वास कैसे रहेगा ?

इस स्थिति के समाधान के लिये अनुच्छेद 143 में यह व्यवस्था है कि हम सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार परिषद् से अपनी राय पर पुनर्विचार करने के लिये कह सकते हैं। इससे चाहे संसद् की सर्वोच्चता को आघात पहुंचे परन्तु इससे हम जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे कि संसद् सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार का अतिक्रमण नहीं करती।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मैं यह नहीं चाहता कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच इस प्रकार का संघर्ष चलता रहे और इस विधेयक के पारित होने से इस संघर्ष का अन्त नहीं होगा। इन तीनों विकल्पों में से सब से उपयुक्त यह होगा कि हम इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेज दें।

मैं अपने मतदाताओं से पूछे बिना उनकी ओर से संसद को यह अधिकार नहीं दे सकता कि वह उनके विभिन्न अधिकारों को संक्षिप्त कर दे या छीन ले। इस मामले को संसद दो-तिहाई बहुमत से भी निर्णय नहीं कर सकती। यदि यह विधेयक पारित भी हो जाता है तो उसे प्रभावशाली बनाना लगभग असम्भव होगा क्योंकि ऐसा करने के लिये कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों का समर्थन अनिवार्य है। अतः इस शक्ति को प्राप्त करना सर्वोच्च न्यायालय का तिरस्कार मात्र है।

श्री मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर) : हमारे संविधान निर्माताओं ने मूलभूत अधिकारों को विशेष महत्व दिया है। इन मूलभूत अधिकारों को चयन और संहिताबद्ध करने का उद्देश्य यह था कि उसमें कानूनी हस्तक्षेप न किया जा सके। अन्यथा उनके संहिताबद्ध किये जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं था।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि किसी तात्कालिक कठिनाई को ध्यान में रख कर मूलभूत अधिकारों के बारे में विचार नहीं करना चाहिये बल्कि उन्हें संविधान में स्थायी रूप प्रदान करने के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय ने श्री गोलकनाथ के मामले में निर्णय देते हुए लिखा है कि हमारे उदार संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार दिये हैं। इन अधिकारों की जहां तक गारंटी दी गई है उन्हें सरकार भी कम करने या छीनने में असमर्थ है। यदि अधिकारों को छीना जा सके तो फिर गारंटी देना ही व्यर्थ है। अतः माननीय सदस्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकते। संविधान सभा और संसद के कार्य में स्पष्ट अन्तर है और यह अन्तर संविधान रहने तक बना रहेगा। संविधान निर्माता इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि आगामी संविधान सभाओं में जनता द्वारा निर्वाचित लोग आयेंगे। उन्होंने इन संगठनों को संविधान में कुछ सीमा तक संशोधन करने की शक्ति दी थी। डा० अम्बेदकर ने अनुच्छेद 304 (अब अनुच्छेद 368) के मसौदे पर विचार करते हुए कहा था कि भविष्य में यदि कोई संसद किसी ऐसे अनुच्छेद में संशोधन करना चाहे, जो "भाग 3" में उल्लिखित न हो तो वह दो-तिहाई के बहुमत से ऐसा कर सकेगी। अतः यदि वर्तमान संसद और राज्य विधान मंडलों को सामूहिक रूप से अधिकार देने का उनका विचार होता तो इस अनुच्छेद के उपबन्ध में "भाग 3" को भी सम्मिलित कर लिया जाता जैसाकि अब प्रयत्न किया जा रहा है। इसकी बजाय मूलभूत अधिकारों में कानूनी प्रक्रिया द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता।

जब तक भारत में संसदीय लोकतंत्र है तब तक जनता को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता ।

संसद सदस्यों का चुनाव जनता के हितों की रक्षा करने के लिये किया गया है उनके अधिकारों को कम करने या छीनने के लिये नहीं । मेरे विचार में संसद केवल कानून बनाने की दृष्टि से सर्वोच्च है । संसद और गणतंत्र दोनों आपस में बदले जाने वाले शब्द नहीं हैं । वे दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं । अतः मेरा विचार यह है कि विधान मंडल संविधान की मुख्य बातों में जिनमें मूलभूत अधिकार भी सम्मिलित हैं संशोधन नहीं कर सकते । संसद का दूसरा अर्थ सत्ताधारी दल है और जिसका अर्थ वर्तमान सरकार है । किसी सरकार को ये अधिकार समाप्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता ।

अनुच्छेद 13 (2) में लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खण्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी । यहां विधि का अर्थ कोई साधारण विधि नहीं हो सकता । इसमें संवैधानिक विधि अवश्य सम्मिलित होना चाहिये अन्यथा यह खण्ड निरर्थक हो जाता है ।

जिस रूप में संविधान इस समय है वह हमारी स्वाधीनता, लोकतंत्र और संसद का संरक्षक है । इसका सबसे बहुमूल्य भाग मूल अधिकारों का उपबन्ध है । संविधान में संशोधन एक साधारण-सी बात बन गयी जो अनुचित है ।

मेरा विचार यह है कि यदि मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन किया जाता है तो यह निर्णय जनता को स्वयं करना चाहिये । इस सम्बन्ध में जनमत करवाया जाना चाहिये जिससे जनता स्वयं इस सम्बन्ध में निर्णय कर सके । इस कार्य में न जल्दी करनी चाहिये और न ही जल्दी करने की कोई आवश्यकता है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं विधेयक का विरोध करता हूं । इस विधेयक को पारित करना अराजकता को बुलावा देना है । देश में पहले ही विधिशासन का सम्मान बहुत कम लोग करते हैं । हमारा संविधान विधिशासन का प्रतीक है । परन्तु देश में अराजकता का वातावरण बना हुआ है । यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय को चेतावनी मात्र है कि उन्हें संसद का उचित सम्मान करना चाहिये । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि संसद सार्वभौम नहीं बल्कि संविधान सार्वभौम है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जनता सार्वभौम है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात का अवसर दिया जाना चाहिये । आप बाद में उनके तर्कों का जवाब दे सकते हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : संविधान सार्वभौम है । संविधान बनने के बाद इस संसद का निर्माण हुआ है । यह बात इस निर्णय में भी कही गयी है ।

हम इस विधेयक द्वारा क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वही बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। समूचे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। केवल दो दर्जन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसा आवश्यक नहीं है तथा संसद को मूलभूत अधिकारों के बारे में संवैधानिक शक्तियां देने के लिये अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है। यह गलत है तथा अनुच्छेद 13 (2) के विरुद्ध है। संसद अपनी शक्तियों में इस प्रकार वृद्धि नहीं कर सकती।

मूलभूत स्वतन्त्रता का इतना महत्व है कि दोनों दलों में सर्वसम्मति में पारित किया गया विधेयक भी निष्प्रभावी होगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी यही है। मैं समझता हूं कि सरकार में किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा है। आप उच्चतम न्यायालय में मतभेद को जान बूझ कर उकसाने वाला कार्य कर रहे हैं। यदि यह विधेयक पारित कर दिया जाता है और उसके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर न्यायालय उसे रद्द घोषित कर देगा और उससे सरकार का अवमान होगा। यदि उच्चतम न्यायालय उसे रद्द घोषित न करके अपने विचारों में परिवर्तन करे तो उससे उच्चतम न्यायालय का अवमान होगा।

यदि संयुक्त समिति का यह विचार हो कि अनुच्छेद 368 मूलभूत अधिकार देता है और एक के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के दो तिहाई के बहुमत में संशोधन किया जा सकता है तो यह सिफारिश करने की क्या आवश्यकता है कि राज्यों द्वारा अभिपुष्टि की शर्त रखी जानी चाहिए। यदि आप समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय गलत है तो आपने यह क्यों स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 368 में दर्ज प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है। यह मानकर आप उच्चतम न्यायालय के इस विचार का समर्थन कर रहे हैं कि मूलभूत अधिकारों पर अनुच्छेद 368 लागू करने का संविधान निर्माताओं का अभिप्राय नहीं था।

इस संशोधन से अल्पसंख्यकों को बहुत खतरा है। अल्पसंख्यक वर्ग मूलभूत अधिकारों के बावजूद पिसा हुआ है। यदि आप अनुच्छेद 25, 26, 29 तथा 30 को निकाल दें तो हमारी शिक्षा संस्थाओं को खतरा हो जायेगा। केरल में साम्यवादी सरकार ने हमारे स्कूलों को बन्द करने का प्रयत्न किया परन्तु अनुच्छेद 30 के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। श्री मोरारजी देसाई ने भी 1954 में ऐसे प्रयत्न किये थे परन्तु अनुच्छेद 30 के कारण हमारे स्कूल बच गये थे। यदि आप सभा को एक के बहुमत से यह अधिकार छीन लेने की शक्ति देंगे तो तुरन्त ही अनुच्छेद 25, 26, 29 तथा 30 समाप्त हो जायेंगे।

दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था*

PROVISION OF CIVIC AMENITIES TO UNAUTHORISED COLONIES IN DELHI**

Shri Randhir Singh (Rohtak): The city of Delhi is a matter of pride for our country, but in this city six lakh persons are living in very miserable condition. Out of a total

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour Discussion.

of 233 colonies in this city people living in 113 colonies are leading a life of poverty. People with lower slab of income are living in those colonies.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao in the Chair]

Those colonies do not have the provisions of electricity, drainage and street lighting. There are no public latrines, reading rooms, children's parks, roads and schools. On the other hand in New Delhi area roads are very wide and heavily lit. The Jan Sangh Members have been elected from Delhi and they are now occupying huge bungalows. They have done nothing for those slum dwellers.

An expenditure of Rs. 705 lakhs had to be incurred on the slum clearance schemes in Delhi. I would like to know from Shri Balraj Madhok about the progress made towards construction of 1,25,000 tenements in Delhi. Nothing is clear about the scheme for 44,000 squatterers on public land.

The question of lack of civil amenities in these colonies has not only been raised in **The Statesman** and **The Hindu** but also in the newspapers of U. S. S. R. It has not only disgraced Delhi or the Government, it has also brought a bad name for the whole of India. I would like to know the time by which those colonies will be regularised and civic amenities will be provided in them.

Delhi Administration, Delhi Development Authority and the Central Government accuse each other in the matter of responsibility in this connection. The responsibility of each agency should be fixed and the employees should not be made a scape goat for the political wranglings. A time limit should also be fixed for provision of roads, electricity, schools, transport and other facilities in such colonies.

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : हम माननीय मंत्री से केवल यही पूछना चाहते हैं कि इन बस्तियों को कब तक अधिकृत घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is necessary to modify the Master Plan for Delhi in order to regularise those colonies. I would like to know whether necessary modification in the Master Plan for this purpose will be made. I would also like to know whether the notices under Section 4 and 6 will be withdrawn in respect of 66 colonies in order to enable the corporation to regularise them. My last question relates to a loan of Rs. three crores to the corporation as a revolving fund for providing minimum amenities in the colonies.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : I would like to know from the Hon. Minister when the demand of Delhi Corporation for providing certain amenities to the people of Delhi and regularising certain areas will be accepted and whether necessary financial assistance will be rendered to the corporation to enable it to provide all these facilities to the people.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The refugees from West Punjab have tried to provide shelter for themselves by their own efforts. I would like to know whether the necessary

modification will be made in the Master Plan in order to provide them with basic amenities for this purpose financial assistance will have to be given to Delhi Administration.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : नई दिल्ली में जो चमक दमक है, वह देश की सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जब मैं पहली बार दिल्ली में संसद का सदस्य बन कर आया तो दिल्ली की स्थिति को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ।

सरकार ने अभी तक सस्ते मकान का कोई नमूना पेश नहीं किया है। सरकार ने यह नहीं बताया कि एक गरीब आदमी दो कमरों के साथ स्नानागार और शौचालययुक्त मकान 2500 अथवा 3000 रुपये में कैसे खरीद सकता है ? सरकार ने कुल धन का 45 प्रतिशत विशाल भवनों और बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर खर्च कर दिया है।

पंजाब के दो लाख लोगों ने अपनी पसीने की कमाई से छोटे छोटे झोंपड़े बनाये। पहले इस सरकार ने इनका कोई पथ प्रदर्शन नहीं किया और अभी भी इनकी स्थिति अनिश्चित है।

मैं मंत्री महोदय से इन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं ; वह यह बतलायें कि वे इन तथाकथित अनधिकृत बस्तियों के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक करने जा रहे हैं।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): यह प्रश्न आज पहली बार सदन के सामने नहीं आया है। सरकार, निगम, दिल्ली विकास अधिकरण तथा महानगर परिषद इन कठिनाईयों से परिचित है। विभिन्न विभागों, निगम तथा हमारे मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मध्य अनेक बैठकें हुई हैं। परन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों की संख्या 204 है। इनमें से 103 को अधिकृत बस्तियां बनाने के बारे में विचार किया गया है। शेष 101 बस्तियां न तो मास्टर प्लान के अनुसार हैं और न ही म्यूनिसिपल अधिनियम के अनुसार। फिर भी हम इस बारे में काफी प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं यह स्वीकार नहीं करता कि नगरपालिका निगम इन बस्तियों को आवश्यक नागरिक जरूरतों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी सभी सुविधायें दी जा रही हैं। कुछ समय पूर्व नगरपालिका निगम ने इन बस्तियों के लोगों से इस बारे में सहयोग भी मांगा था। उन लोगों से कहा गया था कि जिन्होंने नकशे पास कराये बिना ही मकान बना लिये हैं वे विकास-खर्च अदा करें। उस समय विकास-खर्च के रूप में 7 करोड़ रुपये एकत्रित होने की आशा थी परन्तु अब मूल्य ऊंचे हो जाने से यह राशि 30 से 35 करोड़ तक पहुंचेगी। परन्तु लोग इसका भुगतान करने में संकोच कर रहे हैं।

इन लोगों ने अनधिकृत रूप से भूमि घेर ली, भवन बना लिये हैं और अब स्थिति ऐसी है कि वहां कोई स्कूल अथवा पार्क भी नहीं बनाया जा सकता। इन लोगों ने बड़े सस्ते दामों

पर यह भूमि खरीदी परन्तु अब विकास-खर्च देने से इन्कार करते हैं। यदि वे लोग यह भुगतान करें तथा मास्टर प्लान का उल्लंघन न करें तो हम उन बस्तियों को अधिकृत घोषित कर सकते हैं। हम हर प्रकार की नागरिक सुविधायें भी देने को तैयार हैं। वित्त देने के बारे में भी यद्यपि कोई प्रस्ताव सरकार के पास आयेगा तो उस पर भी विचार किया जायेगा। मैं यही आश्वासन दे सकता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 दिसम्बर, 1968/11 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 2, 1968/ Agrahayana 11, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—18-3-69—600